D/4075
D/2739
Total-23 sheet

न्यायालयः– अविनाश कुमार, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई प्रथम, पटना।

दिनांक–18.02.2026

स्पेशल केस नं0–32 / 18
आर.सी नं0–18 / ए / 02
सी.आई.एस नं0–3389 / 14

राज्य द्वाराः–पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई, एसीबी, पटना–सूचक।

बनाम

1. श्री रामबदन सिंह, तत्कालीन प्रभारी डी0टी0ओ0, उम्र–लगभग 70 वर्ष, पिता–स्व0 रघुवीर सिंह, साकिन–जोधा गली, सूरज मार्केट के सामने, नई सराय, बिहारशरीफ, स्थायी निवास ग्राम व पोस्ट–तीउस वाया बरबीघा, जिला–शेखपुरा।
2. श्री नवीन कुमार झा, तत्कालीन काउंटर क्लर्क, उम्र–लगभग 67 वर्ष, पिता–स्व0 त्रिलोचन झा, साकिन–सिंघवाड़ा, थाना–सिंघवाड़ा, जिला–दरभंगा।
3. श्री उमेश कुमार सिंह, तत्कालीन काउंटर क्लर्क, उम्र–लगभग 70 वर्ष, पिता–स्व0 परमहंस सिंह, साकिन–फतेहपुर, थाना–दिलदारगंज, जिला–पटना।
4. श्री चंद्रशेखर, तत्कालीन काउंटर क्लर्क, उम्र–लगभग 69 वर्ष, पिता–स्व0 रामकिशुन प्रसाद, साकिन–परेवन बीघा, थाना–नगर नौसा, जिला–नालंदा (बिहारशरीफ)।
5. श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन काउंटर क्लर्क, उम्र–लगभग 64 वर्ष, पिता–कैलाश प्रसाद, साकिन–कुमार डीह, थाना–रहुयी, जिला–नालंदा (बिहारशरीफ)।

————अभियुक्त।

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–RCPAT2002A0018, दिनांक–21.10.2002।

आरोप अंतर्गत धारा– भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी)।

संज्ञान अंतर्गत धारा–भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी)।

अभियोजन पक्ष की ओर सेः–1. श्री रवि कुमार, विद्वान वरीय लोक अभियोजक, सीबीआई एवं
2. श्री आशीष जायसवाल, विद्वान वरीय लोक अभियोजक, सीबीआई।

बचाव पक्ष की ओर सेः– 1. श्री सुभाष चंद्र झा, विद्वान अधिवक्ता।
2. श्री अभिषेक प्रियदर्शी, विद्वान अधिवक्ता।
3. श्री राजेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

निर्णय की तिथिः– 18 फरवरी, 2026।

उपस्थित :– अविनाश कुमार, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई–प्रथम, पटना।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले ऊपर वर्णित पांचों अभियुक्तगण श्री रामबदन सिंह, श्री नवीन कुमार झा, श्री उमेश कुमार सिंह, श्री चंद्रशेखर एवं श्री अनिल कुमार सिन्हा का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) की धारा के अंतर्गत किया गया।

2. प्रस्तुत वाद श्री जावेद इकबाल, डीजीएम (विजलेंस), बीएसएनएल, पटना के लिखित शिकायत के आधार पर उत्पन्न हुआ है। अभियोजन के कथानक अनुसार मामला इस प्रकार है:-

"During the course of verification of records pertaining to Telegraph office Biharsharif, it revealed that Shri R.B. Singh, in the pay scale of Rs 5000-150-8000 while posted as incharge telegraph office at Biharsharif during the year 1997-2002 in collusion with other officials misappropriated an amount Rs 31 lakhs (approx) which the department/BSNL had collected as telephone bills from the different subscribers. Shri R.B. Singh who was working as incharge of that section used to collect the telephones revenue from different Delaing Assistants posted in telegraph office at Biharsharif and who were collecting telephone bills from the different subscribers under receipt. The duty of Shri R.B. Singh was to collect the above telephone revenue from different Dealing Assistans as per the records available with them. Thereafter he had to account for the amount so collected in the cashbook and then deposit the entire amount in SBI, Biharsharif. Preliminary enquiry has established that Shri R.B. Singh did not deposit the entire Government/BSNL revenue collectd by him and he has been found in the habit of misappropriating bulk of the amount in conspiracy with others which he had been receiving from the different clerks. On most of the occasions the entire amount received from the subscribers were not deposited in the bank nor accountd for in the cashbook. It is suspected that Shri R.B. Singh in collusion with some other offcials of the Department has been in the habit of fradulently misappropriating the government/BSNL money which was entrusted to him and because of the fraudulent acts committed by Shri R.B. Singh and others, the Department of Telecommunications/BSNL had to sustaion a wrongful loss of Rs. 31 lakhs(approx). I would therefore requested to kindly investigate the case against Shri R.B. Singh and others for taking necessary action."

3. प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर इस कांड की प्राथमिकी सं0–RCPAT2002A0018, दिनांक–21.10.2002, भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के अन्तर्गत दर्ज किया गया तथा मामले का अनुसंधान किया गया और अनुसंधानों–परांत अनुसंधान–कर्ता श्री एच0 हेमरोम, निरीक्षक, सी0बी0आई0 / ए0सी0बी0, पटना द्वारा आरोप–पत्र सं0–11 / 2004, दिनांक–29.06.2004, भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के

अन्तर्गत अभियुक्त–गण कमशः श्री रामबदन सिंह, श्री राम कुमार लाल दास, श्री यू0के0 सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री अनिल कुमार सिन्हा, श्री नवीन कुमार झा, श्री राम केवल प्रसाद एवं श्री इंद्रदेव प्रसाद के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक–02.07.2004 को समर्पित किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा दि0–18.08.2004 को ऊपरोक्त आठों अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरोक्त धाराओं में अपराध का संज्ञान लिया गया तथा अभिलेख अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु रखा गया।

4. अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तों की उपस्थिति के ऊपरांत उन्हें पुलिस प्रपत्र की आपूर्ति करायी गई और दिनांक–19.10.2013 को श्री रामबदन सिंह, श्री राम कुमार लाल, श्री चंद्रशेखर, श्री अनिल कुमार सिन्हा, श्री नवीन कुमार झा, श्री इंद्रदेव प्रसाद एवं श्री यू0के0 सिंह के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के अन्तर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया, जिसे सुनकर ऊपरोक्त आरोपियों अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया और विचार की मांग किया। विचारण के कम में अभियुक्तगण राम केवल प्रसाद, राम कुमार लाल दास एवं इंद्रदेव प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

5. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोपों को सभी युक्ति युक्त संदेहों से परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

6. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से आरोप–पत्र में वर्णित मौखिक साक्षियों में से कुल 8 साक्षियो का साक्ष्य कराया गया है।

<u>मौखिक साक्षियों के रूप में:–</u>

7. अभियोजन साक्षी सं0–1 श्री अर्जुन सिंह, अ0सा0–2 श्री मथुरा सिंह, अ0सा0–3 श्री नवल किशोर, अ0सा0–4 श्री एच0 हेमरोम, अ0सा0–5 श्री पंकज कुमार, अ0सा0–6 श्री विजय कुमार, अ0सा0–7 श्री जावेद इकबाल एवं अ0सा0–8 श्री अभय सुंदर हैं।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कैश के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर उन्हें प्रदर्श अंकित कराये गये हैं, जो इस प्रकार है :–

प्रदर्श–1 से 1/5:–अभियुक्तगण कमशः अनिल कुमार सिंह, आ0बी0 सिंह, यू0के0 सिंह, चंद्रशेखर, एन0के0 झा एवं इंद्रदेव प्रसाद के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश ।
प्रदर्श–2:–Annexure-A list of short credit charged in the cashbook.
प्रदर्श–3 :–Annexure-B
प्रदर्श–4–Annexure-C
प्रदर्श–5:–Annexure-D.
प्रदर्श–6:–Defalcation at T.O. Biharsharif
प्रदर्श–6 / 1:–एनेक्सचर–ए।
प्रदर्श–6 / 2:–समरी, 5 शीट्स।
प्रदर्श–7:–Bradma, दिनांक 09.10.1997।
प्रदर्श–8:–मार्कड–X/2 के पेज 71, जिस पर इंट्री नहीं है, दि0 09.10.97 का।
प्रदर्श–9:–ENG-9 का रिसीट संख्या 173 से 194।

प्रदर्श–10:–डेली लिस्ट 311 एवं 312 ऑन मार्क–X/1.
प्रदर्श–11:–ENG-9 का रिसीट संख्या 225 से 250।
प्रदर्श–11 / 1 :–ए0एच0 121 रिसीट संख्या 1 एवं 2।
प्रदर्श–12:–डेली लिस्ट संख्या 369।
प्रदर्श–13:–दिनांक 19.11.1997 से 26.03.1998 तक कैशबुक।
प्रदर्श–14:–ईएनजी–9, ए0एच0–129।
प्रदर्श–15 व 15 / 1:–पेज नंबर 21 एवं 22 ऑन मार्कड–X/4।
प्रदर्श–16:–ईएनजी–9, ए0एच0–35।
प्रदर्श–17:–पेज नंबर 47 ऑन मार्कड–X/5।
प्रदर्श–17 / 1:–पेज नंबर 46 Bradma, रिसीट।
प्रदर्श–18:–कैशबुक रजिस्टर।
प्रदर्श–19:–ईएनजी–36।
प्रदर्श–20:–पेज नंबर 12 एवं 13 ऑन मार्कड–X/6।
प्रदर्श–21:– Bradma of daily list 60 in marked X/6.
प्रदर्श–22:–डेली लिस्ट नंबर 62।
प्रदर्श–23:–Bradma daily list 60 ।
प्रदर्श–24:–डेली लिस्ट नंबर 63।
प्रदर्श–25:–डेली लिस्ट नंबर 105 (सीरियल नंबर 103 से 108)
प्रदर्श–26:–डेली लिस्ट नंबर 110।
प्रदर्श–27:–ईएनजी ए0एच0 37।
प्रदर्श–28:–Daily list no 111.
प्रदर्श–29:–Bradma daily list.
प्रदर्श–30:–मनी रिसीट नंबर 12 से 35।
प्रदर्श–31:–Daily list no 135.
प्रदर्श–32:–Money receipt no 35 to 39 (AH 38).
प्रदर्श–33:–Daily list no 136.
प्रदर्श–34:–मनी रिसीट नंबर ए0एच0 39 रिसीट नंबर 49 से 85.
प्रदर्श–35:–Daily list 154.
प्रदर्श–36:–Daily list 155.
प्रदर्श–37:–Daily list 156.
प्रदर्श–38:–Daily list 178.
प्रदर्श–39:–Daily list Bradma 209.
प्रदर्श–40:–Receipt no 229 to 236, AH. 39.
प्रदर्श–41:–Daily list 178.
प्रदर्श–42:–Bradma, Dt-28.08.1998.
प्रदर्श–43:–E.N.G. book no A/H 50, receipt no 26 to 155.
प्रदर्श–44:–डेली लिस्ट नंबर 230, 5 शीट्स।
प्रदर्श–45:–ईएनजी–9 रिसीट नंबर 194 से 232।
प्रदर्श–46:–डेली लिस्ट नंबर 234।
प्रदर्श–47:–डेली लिस्ट नंबर 235, 2 शीट्स।
प्रदर्श–48:–ईएनजी–9, ए0एच0 68 तारघर, बिहारशरीफ का रिसीट नंबर 38 से 66।
प्रदर्श–49:–डेली लिस्ट नंबर 399।
प्रदर्श–50:–Bradma, daily list no 400.
प्रदर्श–51:–ए0एच0 का रिसीट नंबर 93 से 106।
प्रदर्श–52:–डेली लिस्ट नंबर 479।
प्रदर्श–53:–डेली लिस्ट रिसीट नंबर 480।

प्रदर्श–54:–मनी रिसीट नंबर 241 से 245।
प्रदर्श–55:–मनी रिसीट नंबर 1 से 79।
प्रदर्श–56:–ईएनजी–9 बुक नंबर एच0–100 रिसीट नंबर 9 से 136।
प्रदर्श–57:–डेली लिस्ट नंबर 525
प्रदर्श–58:–Bradma, daily list no 526.
प्रदर्श–59 व प्रदर्श–59 / 1:–बिहारशरीफ तारघर का कैशबुक रजिस्टर।
प्रदर्श–59 / 2:–कैशबुक रजिस्टर।
प्रदर्श–59 / 3:–कैलकुलेशन रजिस्टर।
प्रदर्श–59 / 4 से 59 / 9:–06 कैशबुक रजिस्टर।
प्रदर्श–60:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 2325 से 2609।
प्रदर्श–60 / 1:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 2115 से 2324।
प्रदर्श–60 / 2:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1895 से 2114।
प्रदर्श–60 / 3:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1773 से 1894।
प्रदर्श–60 / 4:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1650 से 1772।
प्रदर्श–60 / 5:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1444 से 1649।
प्रदर्श–60 / 6:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1332 से 1443।
प्रदर्श–60 / 7:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1212 से 1331।
प्रदर्श–60 / 8:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1092 से 1211।
प्रदर्श–60 / 9:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 968 से 1091।
प्रदर्श–60 / 10:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1847 से 1931।
प्रदर्श–60 / 11:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1266 से 1346।
प्रदर्श–60 / 12:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 155 से 325।
प्रदर्श–60 / 13:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 326 से 493।
प्रदर्श–60 / 14:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 494 से 668।
प्रदर्श–60 / 15:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 669 से 823।
प्रदर्श–60 / 16:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 824 से 974।
प्रदर्श–60 / 17:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 975 से 1131।
प्रदर्श–60 / 18:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1132 से 1311।
प्रदर्श–60 / 19:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1312 से 1498।
प्रदर्श–60 / 20:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1499 से 1707।
प्रदर्श–60 / 21:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1708 से 1856।
प्रदर्श–60 / 22:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 1857 से 2079।
प्रदर्श–60 / 23:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 2080 से 2228।
प्रदर्श–60 / 24:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 2229 से 2436।
प्रदर्श–60 / 25:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 2437 से 2587।
प्रदर्श–60 / 26:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 2588 से 2781।
प्रदर्श–60 / 27:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 2782 से 2943।
प्रदर्श–60 / 28:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 2944 से 3136।
प्रदर्श–60 / 26:–बैंक रेमीटेंस चालान पेज नंबर 3137 यक 3329।
प्रदर्श–61 व 61 / 1:–ईएनजी–9 मनी रिसीट।
प्रदर्श–62:–औपचारिक प्राथमिकी।
प्रदर्श–62 / 1:–लेटर नंबर Vig/Conf/ To BHR/2001-2002, dt. 18.10.2002.
प्रदर्श–63:–टोटल 28 ईएनजी फॉर्म–9।
प्रदर्श–64:–ए0सी0जी 89 फॉर्म व वाउचर।
प्रदर्श–65:–कुल 05 डेली लिस्ट, 05 बंच।
प्रदर्श–66:–कुल 100 ईएनजी फॉर्म–9।

प्रदर्श–67:–जीईक्यूडी रिपोर्ट नं0–डीएक्ससी–564 / 2003 / 349, दि0 12.02.2004।
प्रदर्श–68:–कुल 17 डेली लिस्ट।
प्रदर्श–69:–कुल 30 डेली लिस्ट।
प्रदर्श–70:–कुल 02 डेली लिस्ट, मार्च 2000, जनवरी 2002।
प्रदर्श–71:–ईएनजी फॉर्म–9।
प्रदर्श–72:–कुल 07 कैशबुक रजिस्टर।
प्रदर्श–73:–डिफॉल्केशन कैलकुलेशन रजिस्टर।
प्रदर्श–74:–एटेंडेंस रजिस्टर, बीएसएनएल बिहारशरीफ, कुल 04।
प्रदर्श–75:–कुल 25 डेली लिस्ट।
प्रदर्श–76:–ईएनजी फॉर्म–9।
प्रदर्श–77:–ईएनजी फॉर्म–9।
प्रदर्श–78:–स्पेसीमेन सिग्नेचर।
प्रदर्श–79:–लेटर नंबर 165, दिनांक 16.01.2004।
प्रदर्श–80:–पी एंड टी मैनुअल वॉल्यूम–14।
प्रदर्श–81:–Short credit and wrong totaling from dt. 01/10/2000 to 31/03/2002.
प्रदर्श–82:–List of Short credit of DTO office, Biharsharif.
प्रदर्श–83:–डेली लिस्ट अक्टूबर 2000 से मार्च 2002।
प्रदर्श–84:–ENG-8 and ENG-9 missing dt. 26.10.2000 to 30.03.2002.
मार्क–X (पहचान हेतु):–बैंक स्कॉल।
मार्क–X/1 (पहचान हेतु):–Total 54 sheet Bradma & daily list.
मार्क–X/2 (पहचान हेतु):–Cashbook.
मार्क–X/3 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट बंच, कुल 62 पेज।
मार्क–X/4 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट बंच।
मार्क–X/5 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट, अप्रैल, 1998।
मार्क–X/6 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट, मई 1998।
मार्क–X/7 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट, जून 1998।
मार्क–X/8 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट, जुलाई 1998।
मार्क–X/9 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट, 237 से 277, 48 पेज।
मार्क–X/10 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट, नंबर 431 से 481।
मार्क–X/11 (पहचान हेतु):–डेली लिस्ट नंबर 482 से 528।
मार्क–X/12 (पहचान हेतु):–स्कूटनी रजिस्टर।
मार्क–X/13 (पहचान हेतु):–बैंक स्कॉल व बैंक रिसीट।
मार्क–X/14 (पहचान हेतु):–
मार्क–Y, Y/I, Y/II, Y/III (पहचान हेतु):–टीआरए, पोस्टल रिकवरी रजिस्टर, 4 रजिस्टर।
मार्क–Z, Z/1, Z/2, Z/3 (पहचान हेतु):–चार रजिस्टर।
मार्क–M to M/1:–Two register of make over and take over.

अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है। अभियोजन के निवेदन पर दिनांक 15.09.2025 को अभियोजन साक्ष्य बन्द किया गया।

9. दिनांक 10.11.2025 को अभियुक्त श्री नवीन कुमार झा, उमेश कुमार सिंह, चंद्रशेखर व अनिल कुमार सिन्हा तथा दि0 19.11.2025 को अभियुक्त रामबदन सिंह का दंड प्रकिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया। इस वाद में बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–8 के द0प्र0सं0 की धारा–161 के अंतर्गत दर्ज बयान को प्रदर्श–A अंकित कराया गया।

बचाव पक्ष के निवेदन पर दिनांक 27.11.2025 को बचाव पक्ष का सफाई साक्ष्य बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षों की विद्वतापूर्ण बहस सुनी गयी।

मन्तव्य

10. मैंने सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों को देखा तथा उभय पक्ष के विद्वतापूर्ण बहस को सुना।

11. उभय पक्षों के ऊपरोक्त बहस को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन के ऊपरांत यह स्पष्ट है कि दिनांक–23.01.2014 को अभियुक्तगण श्री रामबदन सिंह, नवीन कुमार झा, उमेश कुमार सिंह, चंद्रशेखर एवं अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है। अभियोजन ने अपने वाद को साबित करने के लिए मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में जो साक्ष्य दिया है, उसमे अभियोजन साक्षी सं0–1 अर्जुन सिंह, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली ने अपने साक्ष्य में बताया कि "दिनांक 25.06.2004 को मैं पटना में डीजीएम, पटना टेलीफोन / एरिया मैनेजर के पद पर पदस्थापित था। हमें सीनियर टी0ए0ओ0, टी0ए0ओ0, डी0टी0ओ0 को उनके पद से हटाने का अधिकार था। इनके खिलाफ सेंक्शन लेने के लिए हम सक्षम पदाधिकारी थे। यह 6 सेंक्शन ऑर्डर श्री अनिल कुमार सिन्हा तत्कालीन सीनियर टी0ओ0ए0 (टी), श्री आर0बी0 सिंह सीनियर टी0ओ0ए0 (टी), श्री यू0के0 सिंह तत्कालीन टी0ओ0ए0 (टी), श्री चन्द्रशेखर तत्कालीन सीनियर टी0ओ0ए0 (टी), श्री एन0के0 झा तत्कालीन टेलीफोन मैकेनिक, श्री इंद्रदेव प्रसाद तत्कालीन टेलीग्राफिस्ट सभी डी0टी0ओ0 बिहारशरीफ पदस्थापित थे। इनके विरुद्ध 25.06.2004 को प्रोसिक्यूशन चलाने हेतु सेंक्शन दिया हूं। सभी ऊपरोक्त 6 सेंक्शन ऑर्डर मेरे बोलने पर हमारे पी0ए0 श्री डी0के0 शिवला ने टाईप किया था। प्रत्येक सेंक्शन ऑर्डर के अंतिम पेजर पर डी0के0 शिवला का हस्ताक्षर है। सभी सेंक्शन ऑर्डर के प्रत्येक पेज पर मेरा हस्ताक्षर है, पहचानता हूं। पुनः कहा कि डी0के0 सिन्हा पी0ए0 का हस्ताक्षर है। सेंक्शन ऑर्डर के प्रत्येक पेजर पर मेरे कार्यालय का हस्ताक्षर है, पहचानता हूं। सेंक्शन ऑर्डर पर क्रमशः प्रदर्श–1 से 1 / 5 अंकित किया गया। हमने पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् सेंक्शन ऑर्डर दिया था।

अभियुक्त रामबदन सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि रामबदन सिंह सीनियर टी0ए0ओ0 (टी) थे, ये तृतीय वर्ग के कर्मचारी थे तथा डी0टी0ओ0 इंचार्ज भी थे। तृतीय वर्ग के कर्मचारी की नियुक्ति एवं डिसमिसल का पावर मेरे ऊपर के पदाधिकारी जनरल मैनेजर को भी था। हमें जी0एम0 का पावर डेलीगेट हुआ था। कब डेलीगेट हुआ था, नहीं कह सकते हैं। अभी हम डेलीगेशन का पावर दाखिल नहीं कर सकते हैं। सीबीआई को नहीं दिखाया था। 10 अक्टूबर 2006 को बीएसएनएल का सीसीए रुल बना, उसकी तारीख सही याद नहीं है। सीसीए रुल के अंतर्गत डिप्टी जनरल मैनेजर को पावर डेलीगेट हुआ था। हमने सेंक्शन 25.06.2004 को एकॉर्ड किया था। ऐसी बात नहीं है कि दिनांक 25.06.2004 को हमें डीजीएम के रुप में सेंक्शन देने का अधिकार नहीं था। सेंक्शन के लिए पूरा डॉक्यूमेंट बाई हैंड प्राप्त हुआ था। कोई सीबीआई का लेटर नहीं प्राप्त हुआ था। सेंक्शन ऑर्डर में मैंने नहीं लिखा है कि कि कौन–कौन डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया था। पुनः कहा कि चालान, रिसीट, कैशबुक, बैंक स्टॉल, रजिस्टर आदि मैंने देखा था, लिखा हूं। यह ऑर्डर में नहीं लिखा हूं कि सीबीआई ने कौन–कौन डॉक्यूमेंट भेजा था। यह याद नहीं है कि आर0बी0 सिंह के

खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही चली थी। ऐसी बात नहीं है कि हम सेंक्शन देने के लिए सक्षम पदाधिकारी नहीं थे और न सीबीआई की ओर से कोई डॉक्यूमेंट भेजा गया था, जिसका अवलोकन करके आदेश दिया हूं। ऐसी बात नहीं है कि सीबीआई के दबाव में बिना माईंड अप्लाई किये सेंक्शन दिया हूं। अभियुक्त नवीन कुमार झा की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि नवीन कुमार झा टेलीफोन मैकेनिक के पद पर थे। वे बिहारशरीफ में पदस्थापित थे। टेलीफोन मैकेनिक का काम टेलीफोन की मरम्मत करना होता है। सीबीआई की तरफ से कोई लेटर सेंक्शन हेतु नहीं प्राप्त हुआ था। इस बात का जिक सेंक्शन ऑर्डर में नहीं है। डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त कराया गया था। सीबीआई ने जो डॉक्यूमेंट दिया था उसी आधार पर स्टडी करके सेंक्शन दिया था। यह सेंक्शन ऑर्डर में नहीं लिखा हूं कि डॉक्यूमेंट सीबीआई ने प्रस्तुत किया था। हमने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिसीट, चालान, कैशबुक, बैंक स्टाल, रजिस्टर आदि को देखने के बाद सेंक्शन दिया था। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कि अभियुक्त नवीन कुमार मैकेनिक थे इसलिए सेंक्शन के समय डॉक्यूमेंट में इनके विरुद्ध क्या पाया गया? इसके उत्तर में साक्षी ने बताया कि क्योंकि ये काउंटर क्लर्क के रुप में भी कार्य कर रहे थे, इनका हस्ताक्षर भी था। यह सेंक्शन ऑर्डर में नहीं लिखा हूं कि सीबीआई ने रिसीट, चालान, कैशबुक व रजिस्टर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया था। यह भी सेंक्शन ऑर्डर में में नहीं लिखा हूं कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत कागजों का अवलोकन किया था। ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट का अवलोकन नहीं किया, बल्कि सीबीआई के दबाव में नवीन कुमार के विरुद्ध सेंक्शन दिया हूं। अभियुक्तगण चंद्रशेखर, इन्द्रदेव प्रसाद व उमेश कुमार सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि सेंक्शन देने के समय हम डीजीएम, एडमिनिस्ट्रेशन थे। तीनों अभियुक्तों के हम अप्वाइंटिंग ऑथरिटी नहीं थे, बल्कि जिस पोस्ट पर थे, उनके सेंक्शनिंग ऑथरिटी थे। सेंक्शन ऑर्डर टाईप्ड कॉपी है, मेरे हस्ताक्षर में है। मेरे द्वारा लिखित नहीं है। यह मुझे याद नहीं है कि इन तीनों की बहाली किसके हस्ताक्षर से या किस पदाधिकारी द्वारा हुई थी। हमें नहीं मालूम कि इनकी बहाली चीफ सुपरिटेंडेंट सेंट्रल टेलीग्राफ पटना के द्वारा हुई थी। मेरे द्वारा उनकी बहाली नहीं की गई है। ऐसी बात नहीं है कि भय, प्रलोभन या किसी दबाव में झूठी गवाही दिया हूं। चीफ सुपरिटेंडेंट सेंट्रल टेलीग्राफ का पावर मुझे नहीं दिया गया था और वे मुझसे सीनियर नहीं थे।"

12. अभियोजन साक्षी संख्या–02 मथुरा सिंह, सेवानिवृत्त चीफ सेक्शन सुपरवाईजर, बीएसएनएल ने अपने साक्ष्य में बताया कि "केंद्रीय तार घर, पटना में दिनांक 29.07.2002 हम सेक्शन सुपरवाईजर सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, पटना में थे। डीजीएम विजीलेंस के द्वारा हमें आदेश मिला था कि विजय कुमार एकाउंट ऑफिसर को असिस्ट करें। हम जांच करने व उनको असिस्ट करने बिहारशरीफ टेलीग्राफ ऑफिस व पटना में पीजीएमटीडी, पटना टेलीफोन भवन गये। इस दौरान हमने जांच किया कि सरकारी पैसा बैंक में क्यों कम जमा हुआ व कितना कलेक्शन किया गया। यह एनेक्सचर–ए एकाउंट ऑफिसर विजय कुमार की लिखावट में है, ये पटना में पोस्टेड थे। यह एनेक्सचर–ए List of short credit charge in cashbook with reference to daily list of cash collection with effect from 01-04-99 to 30-09-2000 है। जांच के दौरान डेली लिस्ट, कैशबुक व एमाउंट को मैंने देखा था। सबको टोटल करने के बाद पाये कि जो पैसा डेली लिस्ट में था, वह पूरा बैंक में जमा नहीं हुआ था, बल्कि कम जमा हुआ था। दिनांक 05.06.1999 को डेली लिस्ट नंबर 101 में रसीद नंबर 134 से 144 कुल 79479 रुपया प्राप्त हुआ था। उक्त तिथि को डेली लिस्ट नंबर 102 में रसीद नंबर 196 से 200 कुल 9000 रुपया प्राप्त हुआ। दिनांक 05.06.1999 को दोनों रसीद से कुल कलेक्शन 88473 रुपये था, परंतु कैशबुक में 18473 इंद्राज हुआ। कुल 70,000 रुपये कम जमा किया गया। जब हमलोगों ने सारे रेकॉर्ड चेक किया, तब ऊपरोक्त तथ्य समाने आया। डेली लिस्ट 101 नहीं मिला था, तब उसका एमाउंट टी0आर0ए0 सेक्शन रजिस्टर से देखा गया

न्यायाधीश सी. बी. आई. विशेष न्यायालय पटना

था। सारा चेकिंग दिनांक 29.07.2002 को किया गया था, ऊपरोक्त चेकिंग भी उसी दिन किया गया था। उक्त तिथि को ही चेकिंग के दौरान डेली लिस्ट नंबर 282, रसीद 1 से 5 व 6 से 12 में एमाउंट 52,065 रुपया प्राप्त हुआ था। डेली लिस्ट संख्या 283 रसीद नंबर 2/5 से 2/9 में 7000 प्राप्त हुआ था। डेली लिस्ट संख्या 284 रसीद संख्या 153 से 155 में एमाउंट 5968 रुपया प्राप्त हुआ था। दिनांक 10.09.1999 को कुल 15,033 रुपया जमा हुआ था, जिसमें 50,000 रुपये कम जमा हुआ था। दिनांक 05.06.1999 को 7,000 रुपया कम जमा हुआ था। एनेक्सचर–ए का सीरियल नंबर 3, दिनांक 11.10.1999 डेली लिस्ट नंबर 345 amount as per daily list 1,33,114 है। उक्त तिथि को ही लिस्ट नंबर 346 एमाउंट डेली लिस्ट के अनुसार 5,000 है। उक्त तिथि का डेली लिस्ट नंबर 347 एमाउंट 70 रुपये है। तीनों लिस्ट का 38,114 जमा किया गया, जिसमें 1,00,070 कम जमा किया गया। एनेक्सचर–ए का सीरियल नंबर–4, दिनांक 08.12.1999 का डेली लिस्ट संख्या–461, रिसीट नंबर–125 से 134 के अनुसार 22,675 आया। उसी तिथि का डेली लिस्ट संख्या 462 रिसीट नंबर 192 से 208 एमाउंट 26,050 आया, लेकिन दोनों डेली लिस्ट का 48,125 जमा हुआ, जिसमें 600 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए का सीरियल नंबर–5 दिनांक 28.01.2000 का डेली लिस्ट नंबर 555 रिसीट नंबर 196 से 207 के अनुसार 26,338 आया। उक्त तिथि का डेली लिस्ट संख्या 556 रिसीट नंबर 64 से 85 के अनुसार 32735 आया। उक्त तिथि को डेली लिस्ट संख्या 557 के अनुसार 27990 आया। तीनों लिस्ट का कैशबुक में 86,163 जमा हुआ, जिसमें 900 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए का सीरियल नंबर 6, दिनांक 31.01.2000 का डेली लिस्ट संख्या 161 रसीद संख्या 88 से 95 के अनुसार 13,030 आया। उक्त तिथि का डेली लिस्ट संख्यास 562 के अनुसार 67763 आया। कैशबुक में 20,793 जमा हुआ, जिसमें 60,000 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए का सीरियल नंबर 7, दिनांक 19.01.2000 का डेली लिस्ट संख्या 538, रसीद संख्या 187 से 193 के अनुसार 7,030 आया। उसी तारीख का डेली लिस्ट संख्या 539 रसीद संख्या–121 से 250, 1 से 118 एमाउंट 1,44,069 आया। दोनों लिस्ट के अनुसार कैशबुक में 1,47,599 रुपया जमा हुआ था 3,500 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए के सीरियल नंबर 8 के अनुसार दिनांक 09.02.2000 डेली लिस्ट संख्या 582 रसीद नंबर 170 से 181 के अनुसार 14,000 आया। उसी तिथि की डेली लिस्ट संख्या–583 रसीद संख्या 10 से 43 के अनुसार 28,804 आया। उसी तिथि को डेली लिस्ट संख्या 584 रसीद संख्या 1 से 10 (बाकी फटा हुआ) के अनुसार 1,46,015 आया। तीनों डेली लिस्ट का 58,976 रुपया कैशबुक में जमा हुआ, जिसमें 1,29,843 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए के सीरियल नंबर–9 के अनुसार दिनांक 25.05.2000 डेली लिस्ट संख्या 615 रिसीट नंबर 135 से 250 तथा रसीद संख्या 1 से 30 के अनुसार 1,91,627 आया। उक्त तिथि के डेली जिस्ट संख्या 616 रसीद संख्या 72 से 88 के अनुसार व डेली लिस्ट संख्या 617 रसीद संख्या 1 से 9 (बाकी फआ) दोनों का 1,08,189 आया। तीनों का कैश लिस्ट में से 2,07,446 जमा हुआ, जिसमें 92,370 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए के सीरियल 10 के अनुसार दिनांक 28.02.2000 डेली लिस्ट संख्या 620 रसीद संख्या 31 से 250 व 1 से 174 के अनुसार 2,35,866 आया। उक्त तिथि को डेली लिस्ट संख्या 621 रसीद संख्या 85 से 89 के अनुसार 6,450 आया। उक्त तिथि को डेली लिस्ट संख्या 622 रसीद संख्या 1 से 85 से 53,709 आया। ऊपरोक्त तीनों डेली लिस्ट का कुल 2,92,525 कैश बुक में चार्ज हुआ व 3,500 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए के सीरियल नंबर नंबर के अनुसार दिनांक 08.03.2000 को डेली लिस्ट संख्या 653 रसीद संख्या 232 एमाउंट 1000 आया। उक्त तिथि को डेली लिस्ट संख्या 654 रसीद संख्या 135 से 168 एमाउंट 29,945 आया। दोनों डेली लिस्ट का कैशबुक में 30,345 चार्ज हुआ, जिसमें 600 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए के सीरियल नं0 12 के अनुसार दिनांक 25.03.2000 को डेली लिस्ट संख्या 661 रसीद संख्या 166 से 250 रसीद संख्या 01 से 108 के अनुसार 1,13,229 आया। उक्त तिथि को ही डेली लिस्ट संख्या 662 रसीद संख्या 10 से

विशेष न्यायाधीश सी. बी. आई. (बिहार) पटना

17 के अनुसार 7,500 आया। दोनों का कैशबुक में 1,18,329 चार्ज हुआ, जिसमें 2,400 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए के सीरियल संख्या 13 के अनुसार दिनांक 27.03.2000 को डेली लिस्ट संख्या 663 रसीद संख्या 109 से 250, रसीद संख्या 1 से 204 के अनुसार 2,08,079 आया। उक्त तिथि को डेली लिस्ट संख्या 664 रसीद संख्या–18 से 20 एमाउंट 3,050 आया। उक्त तिथि को डेली लिस्ट संख्या 665 रसीद नंबर 1 से 38 के अनुसार 24,636 रुपया आया। तीनों डेली लिस्ट का कैशबुक में चार्ज 2,33,465 जमा हुआ, जिसमें 2,300 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए का सीरियल नंबर 14 के अनुसार दिनांक 13.04.2000 को डेली लिस्ट संख्या–19, रसीद संख्या 199 से 240 एमाउंट 39,368 आया। उसी तारीख को डेली लिस्ट संख्या–20 रसीद संख्या 155 से 162 तथा 227 से से 4,150 आया। दोनों डेली लिस्ट का कैशबुक में चार्ज 39,373 जमा हुआ, जिसमें 4,145 कम जमा हुआ। एनेक्स्चर–ए के सीरियल नंबर 15 दिनांक 18.04.2000 के अनुसार डेली लिस्ट संख्या 23 रसीद नंबर 81 से 145 में 39,261 आया। उसी तिथि को डेली लिस्ट संख्या 24 रसीद संख्या 164 से 166 में 3,805 आया। दोनों डेली लिस्ट से कैशबुक चार्ज 42,866 जमा हुआ, जिसमें 200 कम जमा हुआ। एनेक्सचर–ए के सीरियल नंबर 16 दिनांक 20.04.2000 के अनुसार डेली लिस्ट 27 रसीद सं0 226 से 250 तथा 1 से 73 डेली लिस्ट से कैशबुक चार्ज 62,229 जमा हुआ। डेली लिस्ट 28 रसीद संख्या 167 से 173 से कैशबुक चार्ज 9,465 रुपया जमा हुआ है। कुल कैशबुक में चार्ज 71,094 हुआ, जिसमें 600 कम जमा किया गया। सीरियल नंबर 17 दिनांक 24.04.2000 के अनुसार डेली लिस्ट 30 रसीद संख्या 22 से 50 व 1 से 121 रसीद संख्या 2,05,300 कैश प्राप्त हुआ तथा डेली लिस्ट संख्या 31 रसीद संख्या 174 से 179 से 4,010 प्राप्त हुआ। उस दिन कुल कैशबुक में चार्ज 2,08,710 चार्ज हुआ, जिसमें 700 कम जमा हुआ। सीरियल नंबर 18 दिनांक 25.04.2000 के अनुसार डेली लिस्ट 32 रसीद संख्या 117 से 250 व रसीद संख्या 1 से 250 से 2,68,538 कैश प्राप्त हुआ। उसी दिन के डेली लिस्ट 33 रसीद से 180 से 185 से 1,250 कैश प्राप्त हुआ। उस दिन कैशबुक में कुल 2,63,848 आया, जिसमें 5,940 कम जमा किया गया। सीरियल नंबर 19 दिनांक 22.05.2000 के अनुसार डेली लिस्ट संख्या 74 रसीद संख्या 160 से 236 से कुल 1,19,437 रुपये प्राप्त हुआ। उसी दिन के डेली लिस्ट 75 रसीद संख्या 176 से 184 से कुल 11,130 प्राप्त हुआ। उक्त तिथि को कैशबुक में कुल चार्ज 1,39,567 आया व उक्त तिथि को 1,000 कम 1,29,567 जमा हुआ। सीरियल संख्या 20 दिनांक 24.05.2000 के अनुसार डेली लिस्ट संख्या 78 रसीद संख्या 67 से 201 से 1,68,984 प्राप्त हुआ व उसी दिन डेली लिस्ट संख्या 79 रसीद संख्या 200 से 211 से 9,390 प्राप्त हुआ। कुल 1,76,374 कैशबुक में प्राप्त हुआ, जिसमें 2,000 कम जमा किया गया। सीरियल सं0 21 दिनांक 30.05.2000 के अनुसार डेली लिस्ट संख्या 86 रसीद संख्या 234 से 250 तथा रसीद संख्या 1 से 42 से कुल 52,761 प्राप्त हुआ। उक्त तिथि को ही डेली लिस्ट संख्या 87 रसीद संख्या 246 से 250 व रसीद संख्या 1 से 112 से 26,050 प्राप्त हुआ। कुल 77,811 कैशबुक से आया, जिसमें 1,000 कम जमा हुआ। सीरियल नंबर 22, दिनांक 11.07.2000 के डेली लिस्ट संख्या 155 रसीद संख्या 61 से 69 से कुल 15,000 प्राप्त हुआ व उक्त तिथि को डेली लिस्ट संख्या 156 रसीद संख्या 188 से 250 व रसीद संख्या 1 से 119 से 2,80,513 प्राप्त हुआ। कुल कैश में 2,95,513 आया, जबकि 195513 रुपया जमा किया गया है, जिसमें 1000 कम जमा किया है। सीरियल नंबर 23 दिनांक 24.07.2000 के डेली लिस्ट संख्या 177 रसीद संख्या 194 से 217 से 28130 कैश प्राप्त हुआ व उसी तिथि के डेली लिस्ट से 178 रसीद संख्या 23 से 118 से 156582 रुपया प्राप्त हुआ। कैशबुक में चार्ज 180712 हुआ, जिसमें 4000 कम जमा हुआ है। सीरियल नंबर 24 दिनांक 26.07.2000 के डेली लिस्ट संख्या 181 रसीद संख्या 196 से 250 व रसीद संख्या 1 से 31 रसीद संख्या 224 से 248 से 183854 प्राप्त हुआ। उक्त तिथि के डेली लिस्ट संख्या 182 रसीद संख्या 239 सं 250 रसीद संख्या 1 से 3 तथा 8 से 11 से 25340 प्राप्त हुआ। कुल कैषबुक में

208194 चढ़ा, जिसमें 1000 कम जमा किया गया। सीरियल नंबर 25 दिनांक 28.08.2000 के डेली लिस्ट संख्या 234 रसीद संख्या 120 से 189 से 204834 प्राप्त हुआ, उक्त तिथि को ही डेली लिस्ट सं0 235 रसीद सं0 130 से 148 से 21890 प्राप्त हुआ। कैशबुक में कुल चार्ज 2,23,568 हुआ, जिसमें 3,156 कम जमा किया गया। सीरियल नंबर 26 दिनांक 11.09.2000 के डली लिस्ट संख्या 250 रसीद सं0 पेज 1 व 2 मिसिंग रसीद संख्या 47 से 250 तथा 1 142 से 3,00,576 251 रसीद संख्या 220 से 228 से 15,630 प्राप्त हुआ है। कुल कैशबुक में चार्ज 3,06,206 हुआ, जिसमें 10,000 कम जमा हुआ। सीरियल नंबर 27 दिनांक 26.09.2000 के डेली लिस्ट संख्या 276 रसीद संख्या 59 से 147 तथा रसीद संख्या 96 से 1,30,119 प्राप्त हुआ, डेली लिस्ट सं0 277 रसीद सं0 85 से 102 से 33,880 प्राप्त हुआ। कुल कैशबुक में 1,60,999 चार्ज हुआ, जिसमें 3,000 कम जमा हुआ। सीरियल नंबर 1 से 27 तक कुल 6,52,824 कम जमा हुआ। ऊपरोक्त एनेक्सचर–ए 4 पेज में है, जो विजय कुमार असिस्टेंट एकाउंट ऑफिसर CA 2 ऑफिस सीजीएमटी के लिखावट व हस्ताक्षर में है, पहचानता हूं। इसको सत्यापित करके मैंने भी हस्ताक्षर किया है। इस पर प्रत्येक पेज पर मेरा व विजय कुमार का हस्ताक्षर है, पहचानता हूं। इस पर प्रदर्श–2 अंकित किया गया। इसका पीरियड 01.04.1999 से 30.09.2000 है। यह एनेक्सचर–बी है। डेली लिस्ट मिसिंग का इसमें ब्यौरा है, जो एक शीट में हैं यह विजय कुमार एकाउंट्स ऑफिस CA 2 ऑफिस सीजीएमटी, पटना के लिखावट में है। उनका व मेरा भी इस पर हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श–3 अंकित किया गया। दिनांक 05. 06.1999 का डेली लिस्ट संख्या 101 गायब है। दिनांक 10.09.1999 को डेली लिस्ट संख्या 282 गायब है, जो Bradma machine से निकला था। दिनांक 10.10.1999 का डेली लिस्ट संख्या 347 गायब है। यह भी Bradma का है। दिनांक 31.01.2000 का डेली लिस्ट संख्या 562 गायब है। दिनांक 25.02.2000 का डेली लिस्ट संख्या 617 Bradma after serial 9 and onward torn लिखा है। दिनांक 09.03.2000 का डेली लिस्ट संख्या 584 का Bradma machine सीरियल 10 के बाद फटा हुआ है। दिनांक 13.04.2000 का डेली लिस्ट 19 गायब है। दिनांक 23.05.2000 का डेली लिस्ट संख्या 77 गायब है। दिनांक 30.05.2000 का डेली लिस्ट संख्या 87 गायब है। दिनांक 02.06.2000 का डेली लिस्ट 93 गायब है। दिनांक 06.06.2000 का डेली लिस्ट सं0 98 गायब है। दिनांक 08. 07.2000 का डेली लिस्ट सं0 152 गायब है। दिनांक दिनांक 10.07.2000 का डेली लिस्ट 154 गायब है। दिनांक 04.04.2000 का डेली लिस्ट सं0 246 गायब है। दिनांक 11.09. 2000 का डेली लिस्ट संख्या 250 गायब है। इसी का पेज 1 व पेज संख्या 2 गायब है। यह एनेक्सचर–सी है, इसका Eng-9 गायब है। यह एक शीट में है। यह विजय कुमार ए0ओ0–2 ऑफिस सीजीएमटी, पटना के लिखावट व हस्ताक्षर में है। इस पर मेरा भी हस्ताक्षर है, जिसे पहचानता हूं। इस एनेक्सचर–सी जो एक शीट में है, इस पर प्रदर्श–4 अंकित किया गया। इसमें दिनांक 04.03.2000 का 1 से 6 तथा 06.03.2000 का 7 से 43 तक एवं दिनांक 07.03.2000 का 94 से 176 तक Eng-9 का रसीद गायब है। दिनांक 08.03.2000 का 177 से 241, दिनांक 09.03.2000 का 242 से 250, दिनांक 14. 09.2000 व 15.09.2000 का बुक नंबर 251 तथा रसीद नंबर 1 से 25 तक गायब है। इस एनेक्सचर–सी में नीचे लिखा है कि डेली लिस्ट रिसीव्ड फॉम टी0आर0ए0 अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2000 नीचे है कि रिसीव्ड फॉम टेलीग्राफ ऑफिस, बिहारशरीफ। टेलीग्राफ ऑफिस से डेली लिस्ट अप्रैल, 1999 से दिसंबर 1999 तक मिला तथा जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक भी मिला। यह एनेक्सचर–डी है, जो लिस्ट काउंटर क्लर्क / डीटीओ–इंचार्ज तथा उनका उपलब्ध हस्ताक्षर है, जिनका डेली लिस्ट पर फॉड करना पाया गया। यह दो शीट में है। यह विजय कुमार तत्कालीन एकाउंट ऑफिस सी0ए0–2 ऑफिस सीजीएमटी, पटना के लिखावट में है। इन दोनों पेज पर उनका हस्ताक्षर भी है, पहचानता हूं। इन दानों शीट पर मेरा भी हस्ताक्षर है। पहचानता हूं। इस पर प्रदर्श–5 अंकित किया गया। साक्षी प्रदर्श–5 को देखकर कहा कि प्रदर्श–5 List of

name of counter clerk/DTO in-charge as per signature available on daily list for responsible for the fraud प्रदर्श–5 सीरियल 9 के अनुसार दिनांक 05.06.1999 डेली लिस्ट नंबर 102 पर काउंटर क्लर्क आर0के0 प्रसाद, डी0टी0ओ0 इंचार्ज आर0बी0 सिंह, सीरियल नंबर 2 दिनांक 10.09.1999 डेली लिस्ट नंबर 283 पर काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर टेलीग्राफ मास्टर, आर0बी0 सिंह डी0टी0ओ0 इंचार्ज, सीरियल नंबर 3 दिनांक 11.10.1999 डेली लिस्ट 345 पर काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर टेलीग्राफ मास्टर तथा आर0बी0 सिंह डी0टी0ओ0 इंचार्ज तथा 11.10.1999 को ही डेली लिस्ट संख्या 346, काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर टेलीग्राफ मास्टर, आर0बी0 सिंह डीटीओ इंचार्ज, सीरियल नंबर 4 दिनांक 08.12.1999 डेली लिस्ट संख्या 461, काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह टेलीग्राफ मास्टर, डीटीओ इंचार्ज आर0बी0 सिंह। दिनांक 08.12.1999 को ही डेली लिस्ट संख्या 462, काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह, डीटीओ इंचार्ज आर0बी0 सिंह। सीरियल नंबर 5 दिनांक 28.01.2000 डेली लिस्ट संख्या 555 काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह टेलीग्राफ मास्टर, एसडीओ इंचार्ज आर0बी0 सिंह। दिनांक 28.01.2000 को ही डेली लिस्ट संख्या 556, काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर टेलीग्राफ मास्टर, डीटीओ इंचार्ज आर0बी0 सिंह। दिनांक 28.01.2000 को ही डेली लिस्ट 557, काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर टेलीग्राफ मास्टर, आर0बी0 सिंह डी0टी0ओ0 इंचार्ज, सीरियल नंबर 6 दिनांक 31.01.2000 डेली लिस्ट नंबर 561 काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर टेलीग्राफ मास्टर, आर0बी0 सिंह डीटीओ इंचार्ज, सीरियल नंबर 7 दिनां 19.01.2000 डेली लिस्ट संख्या 538, काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह टेलीग्राफ मास्टर, डी0टी0ओ0 इंचार्ज आर0बी0 सिंह, दिनांक 19.01.2000 को ही डेली लिस्ट संख्या 539 काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर टेलीग्राफ मास्टर, डीटीओ इंचार्ज आर0बी0 सिंह, सीरियल नंबर 8 दिनांक 09.02.2000 डेली लिस्ट 582 काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर टेलीग्राफ मास्टर, डीटीओ इंचार्ज आर0बी0 सिंह, दिनांक 09.02.2000 डेली लिस्ट 583 काउंटर क्लर्क आर0के0 प्रसाद टेलीग्राफ मास्टर, डीटीओ इंचार्ज आर0बी0 सिंह, दिनांक 09.02.2000 डेली लिस्ट संख्या 584 फटा हुआ, डीटीओ इंचार्ज आर0बी0 सिंह सभी लोग डेली लिस्ट के फॉड के लिए जिम्मेदार हैं। सीरियल नंबर 9 दिनांक 25.05.2000 डेली लिस्ट नंबर 615 काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। डेली लिस्ट नंबर 616 काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। डेली लिस्ट संख्या 617 फटा हुआ सीरियल नंबर 10 दिनांक 28.02.2000 डेली लिस्ट संख्या 620 काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। डेली लिस्ट नं0 621 काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। डेली लिस्ट नंबर 622 काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। डेली लिस्ट नंबर 622 काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। सीरियल नंबर 11 दिनांक 18.03.2000 डेली लिस्ट नंबर 653 काउंटर की जगह आर0बी0 सिंह इंचार्ज तथा इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। सीरियल नंबर 12 दिनांक 25.03.2000 डेली लिस्ट 661 काउंटर क्लर्क आर0के0 प्रसाद, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। उसी तिथि को उसी सीरियल में डेली लिस्ट संख्या 662 काउंटर क्लर्क आर0के0 प्रसाद, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। सीरियल नंबर 13 दिनांक 27.03.2000 डेली लिस्ट संख्या 663 काउंटर क्लर्क यू0के0 सिंह, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। उसी तिथि व उसी सीरियल में डेली लिस्ट संख्या 664 काउंटर क्लर्क नाथुन सिंह, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। उसी तिथि व उसी सीरियल में डेली लिस्ट संख्या 665 काउंटर क्लर्क नाथुन सिंह, इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। तारीख 27.03.2000 सीरियल नंबर 14 दिनांक 13.04.2000 डेली लिस्ट संख्या 20 यू0के0 सिंह काउंटर क्लर्क व आर0बी0 सिंह इंचार्ज थे। सीरियल नंबर 15 दिनांक 18.04.2000 डेली लिस्ट संख्या 23 काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर व इंचार्ज आर0बी0 सिंह थे। उसी तिथि व उसी सीरियल में डेली लिस्ट संख्या 24 को काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर व इंचार्ज आर0बी0 सिंह डील किये थे। सीरियल संख्या 16 दिनांक 20.04.2000 डेली लिस्ट संख्या 27, 28 को काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर व इंचार्ज आर0बी0 सिंह डील किये थे। सीरियल नंबर 17 दिनांक 24.04.2000 डेली लिस्ट संख्या 30 को काउंटर क्लर्क आर0के0एल0 दास एवं

प्रभारी आर0बी0 सिंह डील किये थे। उसी तारीख व उसी सीरियल पर डेली लिस्ट 31 काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर व प्रभारी आर0बी0 सिंह डील किये थे। सीरियल नंबर 18 दिनांक 25.04.2000 डेली लिस्टर नंबर 32 व 33 को आर0के0एल0 दास काउंटर क्लर्क व प्रभारी आर0बी0 सिंह डील किये थे। सीरियल नंबर 19 दिनांक 22.05.2000 डेली लिस्ट 74 व 75 को काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर व प्रभारी आर0बी0 सिंह डील किये थे। सीरियल नंबर 20 दिनांक 24.05.2000 डेली लिस्ट संख्या 78 व 79 को श्री आर0के0एल0 दास काउंटर क्लर्क इंचार्ज आर0बी0 सिंह डील किये थे। सीरियल नंबर 21 दिनांक 30.05.2000 डेली लिस्ट सं0 86 को आर0के0एल0 दास काउंटर क्लर्क एवं प्रभारी आर0बी0 सिंह डील किये थे। सीरियल नंबर 22 दिनांक 11.07.2000 डेली लिस्ट संख्या 155 व 156 को काउंटर यू0के0 सिंह एवं चंद्रशेखर तथा प्रभारी आर0बी0 सिंह डील किये थे। सीरियल 23 से सीरियल 27 तक दिनांक 24.07.2000, 26.07.2000, 28.08.2000, 11.09.2000 व 26.09.2000 को डेली लिस्ट संख्या 177, 178, 181, 182, 234, 235, 250, 251, 276 व 277 को चंद्रशेखर काउंटर क्लर्क व प्रभारी आर0बी0सिंह डील किये थे। आर0बी0 सिंह प्रभारी टेलीग्राफ मास्टर थे। मैं विजय कुमार को मदद करने के लिए टेलीफोन भवन गया था। दिनांक 01.04.1999 से 30.09.2000 के कागजों की मैंने जांच किया था। जांच के बाद हमलोगों ने एक रिपोर्ट बनाया था। डेली लिस्ट को कैशबुक के साथ जांच के दौरान चेक किया गया तथा यह पता किया गया कि कितना शॉर्ट केडिट हुआ है। डेली डेली लिस्ट पर जो काउंटर क्लर्क काम करता है, वहीं उसको हस्ताक्षरित करता है। यह जो एनेक्सचर–ए पूर्व प्रदर्श–2 है। यह मैंने डेली लिस्ट, Eng-9 व कैशबुक के आधार पर तैयार किया है, जिसके आधार पर मैंने टोटल शॉर्ट 6,52,824 रुपया पाया था। काउंटर क्लर्क आर0के0 प्रसाद, चंद्रशेखर, यू0के0 सिंह, आर0के0एल0 दास के काउंटर के संबंध में हमलोगों ने शॉर्ट केडिट पाया था। यह बैंक का स्क्रॉल है, जो कि बिहारशरीफ कहा है। इसे पहचान के लिए X चिन्हित किया गया। यह चारों रजिस्टर बिहारशरीफ से संबंधित पोस्टल रजिस्टर है, जो कि चार सेट में है। इसे टीआरए/पोस्टल रिकवरी रजिस्टर कहते हैं। इन चारों रजिस्टरों को पहचान के लिए Y से Y/3 से चिन्हित किया गया। यह चारों रजिस्टर जांच के दौरान रफ रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें से यह तीन रजिस्टर मैंने तैयार किया है। तीनों रजिस्टर मेरे द्वारा तैयार किया गया। इसे पहचान के लिए Z/1 से Z/3 अंकित किया गया तथा मेरे सहयोगी द्वारा तैयार रजिस्टर को पहचान के लिए Z से चिन्हित किया गया। यह दोनों रजिस्टर बिहारशरीफ का मेक ओवर, टेक ओवर रजिस्टर है। इसे पहचान के लिए M से M/1 चिन्हित किया गया।

अभियुक्त नवीन झा की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि प्रदर्श–2 को देखने से यह पता नहीं लगता है कि किस क्लर्क के काउंटर से शॉर्ट केडिट हुआ है। एनेक्सचर–ए से यह नहीं पता चलता है कि कौन सा डेली लिस्ट किस काउंटर क्लर्क को दिया गया था। एनेक्सचर–ए में ही प्रदर्श–2 मार्क हुआ है। कौन मिसिंग डेली लिस्ट किस क्लर्क को अलॉट किया गया था, यह प्रदर्श–3 में वर्णित नहीं है। एनेक्सचर–सी, जो कि प्रदर्श–4 है, जो मिसिंग Eng-9 से संबंधित है वह क्लर्क को अलॉट हुआ था, दस्तावेज देखकर नहीं बताया जा सकता है। प्रदर्श–5 जो एनेक्सचर–डी है, वह एनेक्सचर–ए, बी, सी यानि प्रदर्श–2, 3, 4 का सार है। मेरे इंस्पेक्शन के दौरान कौन–कौन कोई मुदालह मौजूद नहीं था। मेरे द्वारा इंस्पेक्शन के दौरान भी कोई मुदालह मौजूद नहीं था। जितने भी दस्तावेजों को देखकर मैंने रिपोर्ट तैयार किया है, उस दस्तावेज पर मैंने अपना काउंटरसाईन नहीं किया है। अभियुक्तगण चंद्रशेखर, इंद्रदेव प्रसाद व उमेश कुमार सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि जो भी गवाही मैंने दिया है, उसे पढ़कर न्यायालय में दस्तखत किया है। यह तीनों अभियुक्त चंद्रशेखर, इंद्रदेव व उमेश कुमार टी0एम0ओ0 के पद पर उस समय कार्यरत थे। यह लोग काउंटर क्लर्क के रूप में घटना के समय कार्य करते थे। काउंटर क्लर्क बैंक में रुपया जमा करने नहीं जाते थे। मैं नहीं बता सकता कि कौन बैंक में पैसा जमा करने जाते थे। डेली

लिस्ट में जो पैसा आता था, उसे कौन प्राप्त करता था, मैं नहीं जानता हूं। जिस समय घ टना हुई थी, उस समय इंचार्ज रामबदन सिंह थे। इंचार्ज के रूप में क्या ड्यूटी होती है, मैं नहीं कह सकता हूं? पैसा जमा करने की जवाबदेही इंचार्ज की होती है। उस घटना के समय इंचार्ज रामबदन सिंह थे। अभियुक्त रामबदन सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैं जुलाई, 1973 को टेलीग्राफ असिस्टेंट के पद पर बहाल हुआ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने टीएमओ का कार्य नहीं किया है। टीएमओ के ऑफिस के कार्यकलाप की मुझे जानकारी नहीं है। काउंटर क्लर्क जो काउंअर पर बैठता है, वह टेलीफोन ग्राहकों से प्राप्त पैसा का डेली लिस्ट में प्रविष्ट करता है, जिसमें कंज्यूमर का नंबर, रिसीव्ड एमाउंट और रिसीट जारी करता है। टेलीफोन बीएसएनएल विभाग में डेली लिस्ट तीन प्रतियों में बनती है। काउंटर क्लर्क द्वारा यह लिखा रहता है कि किस उपभोक्ता से कितना रुपया जमा हुआ, किस रिसीट से। एक प्रति ऑफिस में रह जाती है, दूसरी प्रति ए0ओ0, टी0आर0ए0 तथा तीसरी प्रति हेड ऑफिस को जाती है। जो काउंटर क्लर्क जितना रुपया उपभोक्ता से प्राप्त किया, उसे वह डेली लिस्ट पर जोड़कर दस्तखत करता है। वह पैसा इंचार्ज को टेकओवर, मेकओवर रजिस्टर में दर्ज कर पैसा जमा करता करता है। इंचार्ज उस पैसा की प्रविष्टि कैश रजिस्टर में करके बैंक में पैसा जमा करता है। तीसरी कॉपी जो हेड ऑफिस में आती है उसे कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है या नहीं मैं नहीं बता सकता हूं। हम महीने जो इंचार्ज होते हैं, वह प्राईमरी एब्सट्रेक्ट बनाते हैं, जिसमें तिथिवार कितना चेक, नकद व ड्राफ्ट प्राप्त हुआ उसकी प्रविष्टि करते हैं। डेली लिस्ट में रखी सभी विवरणी रखी जाती है। एब्सट्रेक्ट भी तीन प्रतियों में बनती है या नहीं मैं नहीं बता सकता हूं। यह इंचार्ज बता सकते हैं। पुनः कहते हैं कि एब्सट्रेक्ट तीन प्रतियों में बनता है, जिसकी एक प्रति ऑफिस में आता है। एक प्रति सी0टी0ओ0 में आता है। एक प्रति हेड ऑफिस में जाती है या नहीं, मैं नहीं बता सकता हूं। मैंने जांच में जो सहयोग किया उसमें कैशबुक व कैश हैंडिंग, टेकिंग रजिस्टर अर्थात टेक ओवर, मेक ओवर रजिस्टर में अंतर था या एक समान था यह मैं देखकर ही बता सकता हूं। कैशबुक अभी मेरे सामने नहीं है। टेक ओवर, मेक ओवर रजिस्टर इस कारण मिलान नहीं किया जा सकता है। कैशबुक का इंटरनल ऑडिट होता है। मैं नहीं कह सकता हूं कि वर्ष 1999 तक ऑडिट कर दस्तखत हुआ है या नहीं। यह देखकर ही बता सकता हूं। आर0के प्रसाद उस ऑफिस उस ऑफिस में थे। रामबदन सिंह के पहले आर0के0 प्रसाद इंचार्ज थे या नहीं मैं नहीं बता सकता हूं। मैं नहीं बता सकता हूं कि आर0के0 प्रसाद रामबदन सिंह से सीनियर थे या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि रामबदन सिंह के बाद पुन आर0के0 सिंह को ही इंचार्ज बनाया गया। ऐसी बात नहीं है कि रामबदन सिंह के इंचार्ज बनने से रामबदन सिंह नाराज चल रहे थे। कैश टेक ओवर, मेक ओवर रजिस्टर व कैशबुक में कोई गड़बड़ी थी या नहीं यह मैं देखकर ही बता सकता हूं, वैसे नहीं बता सकता हूं। ऐसी बात नहीं है कि डेली लिस्ट के साथ रामबदन सिंह ने टेक ओवर, मेक ओवर रजिस्टर में जो भी पैसा प्राप्त किया उसे कैशबुक में चढ़ाकर जमा कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि रामबदन सिंह को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण अनिल कुमार सिन्हा और राम कुमार लाल दास की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैंने दिनांक 01.04.1999 से 30.09.2000 की अवधि का निरीक्षण किया था। मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट नहीं हूं, मैंने एकाउंट का कोई कोर्स नहीं किया है। मैं एकाउंट्स एक्सपर्ट नहीं हूं। टेलीफोन विभाग में नियमों के अनुसार डेली लिस्ट किसे बनाना है, नहीं बता सकता हूं। जो भी डीलिंग कलेक्शन होते हैं चेक, नकद व ड्राफ्ट से उसे बैंक एकाउंट में जमा करने की जिम्मेदारी वहां के इंचार्ज की होती है। इंचार्ज वेरीफाई करके संतुष्ट होने के बाद बैंक में जमा करता है। डेली लिस्ट तीन प्रतियों में होता है। मुझे जानकारी नहीं है कि एकाउंटस से संबंधित सभी कागजातों का प्रतिदिन निरीक्षण एकाउंटस ऑफिसर को करना है। असिस्टेंट चीफ एकाउंटस ऑफिसर को कम्प्यूटर को प्रत्येक माह जांच करना है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह भी

जानकारी नहीं है कि वित्त निदेशक को वर्ष में एक बार इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करने के पूर्व मैंने टेलीकॉम विभाग के नियमों को पढ़ा नहीं था, परंतु प्रतिदिन के कार्यशैली की जानकारी मुझे थी। इंस्पेक्शन के पूर्व मुझे नियमों की वरीय पदाधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी, परंतु एकाउंट्स ऑफिस ने मुझे बताया था कि इंस्पेक्शन में क्या–क्या करना है। जब मैं काम कर रहा था अर्थात इंस्पेक्शन कर रहा था, उसी समय मुझे एकांउटेंट ने मुझे जानकारी दी थी, एकाउंटेंट का नाम याद नहीं हैं दिनांक 01.04.1999 से 30.09.2000 के बीच चार काउंटर क्लर्क काम करते थे। ऐसी बात नहीं है कि जो भी बयान दिया है, वह सही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि बिना किसी सत्यता के टेबल रिपोर्ट दिया था।"

13. अभियोजन साक्षी संख्या–3 नवल किशोर, लेखा पदाधिकारी, पे–रोल, पटना ने अपने साक्ष्य में बताया कि "जुलाई 2002 में मैं पटना टेलीफोन्स में सहायक लेखा पदाधिकारी कार्य, के पद पर पदस्थापित था। मैं वहाँ जून 2002 से अक्टूबर 2003 तक इस पद पर पदस्थापित था। जुलाई 2002 में मुझे DGM Vigilance के आदेशानुसार मैं व मेरे सहायक परशुराम पंडित ने टेलीफोन आफिस बिहार शरीफ में टेलीफोन ऑफिस में दिनांक 01.10.1997 से 31.03.1999 तक के सारे केडिट को detect करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। Short credit को पता करने के लिए counter clerk के द्वारा तैयार किये गये ENG-9, Daily List Cash hand over take over register व Cash book इत्यादि को हमलोगों ने प्राप्त किया और उसकी जॉच की। पूरे पॉच वर्ष के लिए जॉच हेतु तीन टीमें बनी थी। जिसमें मैं व मेरे सहायक ने दिनांक 01.10.1997 से लेकर 31.03.1999 तक के ऊपरांत दस्तावेजों की जॉच की और date wise short credit को निकाला तथा संबंधित counter clerk को दस्तावेजों के आधार पर detect किया। अनुलग्नक हमलोगों द्वारा विभाग के जॉचोंपरांत सौंपा गया प्रतिवेदन है जो परशुराम पंडित के लिखावट में है जो तीन पन्नों में है। जिस पर मेरा व परशुराम पंडित दोनों का हस्ताक्षर है। जिसे मैं पहचानता हूँ। इस पर प्रदर्श–6 अंकित किया गया। पेज 31 B पर जो document हमलोगों को जॉच के दौरान नहीं मिला, उसकी यह सूची है जो परशुराम पंडित के हस्तलेख व परशुराम पंडित तथा मेरे हस्ताक्षर में है। यह पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–6 / 1 अंकित किया गया। यह Annexture 'B' मेरे द्वारा तैयार किया गया है जो दर्शित करता है कि किस counter clerk द्वारा किस तारीख को कितना short credit किया गया है। उसका यह chart है, पहचानता हूँ। दिनांक 01.10.1997 से 31.03.1999 के बीच में दिनांक 09.10.1997 को Daily List No. 289 Counter clerk अनिल कुमार सिन्हा द्वारा–29572 रू की short credit पाई गई है। दिनांक 23.10.1997 Daily cause List No. 311 व 312 Counter Clerk Anil Kumar Sinha एवं U.K. Singh के द्वारा–1904 / –रू की short credit पाई गई है। दिनांक 01.12.1997 को Daily List No. 369 Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–100436 / –रू की short credit पाई गई है। दिनांक 16.03.1998 को Daily List No. 528 व 529 Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–5000 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 29.04.1998 को Daily List No. 37 व 38 Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–1,11078 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 12.05.1998 को Daily List No. 52 व 53 Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–5000 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 15.05.1998 को Daily List No. 60 Counter Clerk अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा short credit नहीं पाया गया excess 5000 / –रू का भुगतान पाया गया था। दिनांक 15.05.1998 को Daily List No. 62 Counter Clerk अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा–10,000 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 18.05.1998 को Daily List No. 63 Counter Clerk A.K. Sinha (अनिल कुमार सिन्हा) के द्वारा–79180 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 08.06.1998 को Daily List No. 105 Counter Clerk चंद्रशेखर

के द्वारा–162767 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 11.06.1998 को Daily List No. 110 व 111 Counter Clerk अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा–2000 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 25.06.1998 को Daily List No. 134, 135, 136 Counter Clerk अनिल कुमार सिन्हा, इन्द्रदेव प्रसाद व राम वदन सिंह के द्वारा–2000 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 10.07.1998 को Daily List No. 154, 155 Counter Clerk U.K. Singh व राम वदन सिंह के द्वारा–500 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 24.07.1998 को Daily List No. 177, 178 Counter Clerk चंदेश्वर के द्वारा–10000 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 17.08.1998 को Daily List No. 209 Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–2,19,988 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 28.08.1998 को Daily List No. 209 Counter Clerk चंदेश्वर एवं U.K. Singh के द्वारा–1,32,123 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 01.09.1998 को Daily List No. 234 व 235 Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–8000 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 15.12.1998 को Daily List No. 399 व 480 Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–80,010 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 29.11.1999 को Daily List No. 505 में Counter Clerk U.K. Singh के द्वारा–7983 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 25.02.1999 को Daily List No. 399 व 480 में Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–50000 / –रू की short credit का पाया गया। दिनांक 30.03.1999 को Daily List No. 565 व 566 में Counter Clerk चंद्रशेखर के द्वारा–100000 / –रू की short credit का पाया गया। यह लिस्ट पॉच पन्नों में है। जिसे पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–6 / 2 अंकित किया जाता है। मेरे जॉच के दौरान श्री चंद्रशेखर काउंटर क्लर्क द्वारा short credit 9,52279/रू, अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा 1,25,752/रू उमेश कुमार सिंह व अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा 8483 / रू, इंद्रदेव प्रसाद व अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा 1,32,123/रू short credit मेरे जॉच के दौरान उक्त अवधि में पाया गया है। Counter Clerk के नामों का निर्धारण हमने Daily list पर किये गये हस्ताक्षर व Cash hand over and take over Register पर किये गये हस्ताक्षर को देखकर पहचान किया व दायित्व का निर्धारण किया है। इन सभी तिथियों पर सभी लोगों के इंचार्ज रामबदन सिंह थे। जहाँ दो counter clerk का काम एक ही तिथि पर है वहाँ कई बार संयुक्त रूप से काम किया गया है इसलिए दो counter clerk का नाम एक ही तिथि पर है। यह दिनांक 09.10.1997 का bradma है जो मशीन से Automatic process से तैयार होता है। इस पर आर.वी. सिंह आफिसर इंचार्ज का हस्ताक्षर व मोहर है, इस पर लघु हस्ताक्षर ए.के. सिन्हा का है। पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–7 अंकित किया गया। इसका Daily list No. 289 है। यह सभी ऊपरोक्त पूरा कागजात 54 पेज का है। इसे पहचान हेतु X/1 चिन्हित किया गया। यह बिहारी शरीफ तार घर का कैश बुक है। इसे पहचान हेतु X/2 से चिन्हित किया गया। यह कैस बुक रजिस्टर है। इसमें दिनांक 09.10.1997 की कोई प्रविष्टि नहीं है। मार्क X/2 के इसके पृष्ठ संख्या 7 पर दिनांक 09.10.1997 को कोई प्रविष्टि नहीं है खाली है। इसे प्रदर्श–8 अंकित किया गया। दिनांक 23.10.1997 को यह ENG-9 है। इसका बुक AH-1810 है। इसके रिसीट नंबर 173 से 194 तक दिनांक 23.10.1997 की collection है। इसके अंत में आर.वी. सिंह के द्वारा धनराशि को प्राप्त करने का पृष्ठांकन व हस्ताक्षर किया गया है। बुक के इन पॉचों पेजों को संयुक्त रूप से प्रदर्श–9 अंकित किया गया। इसका Daily list No. 311 एवं 312 है, जो कि Mark-X/1 के पेज संख्या 43 और 44 पर है। इन दोनों पेजों को संयुक्त रूप से प्रदर्श–10 अंकित किया गया। इसके पिछले पेज पर अंकित प्रदर्श 10 के पिछले पेज पर आर.वी. सिंह के द्वारा पैसा प्राप्त करने का हस्ताक्षर है तथा counter clerk का भी लघु हस्ताक्षर है। यह पहचानता हूँ। यह ENG-9 है। इसका बुक नंबर AH-1811 है और AH-121 है। यह AH-1811 का रिसीट नंबर 225 से 250 तक तथा AH-121 का रिसीट नंबर 1 एवं 2 है, जो कि Counter clerk चंदेश्वर

द्वारा भरा गया है तथा उन्हीं के द्वारा पैसा प्राप्त किया गया था तथा उन्हीं के लघु हस्ताक्षर में है। यह पहचानता हूँ। AH-1811 के रसीद संख्या 225 से 250 को प्रदर्श 11 एवं AH-121 के कम संख्या 1 एवं 2 को प्रदर्श 11/1 अंकित किया गया। इन दोनों प्रदर्शों के पीछे आर.वी. सिंह ने काउंटर क्लर्क से पैसा प्राप्त किया है। इस पर इनका पृष्ठांकन एवं लघु हस्ताक्षर है। पहचानता हूँ। इस ENG-9 की यह daily list No.-369 है, जो कि काउंटर क्लर्क चंदेश्वर के द्वारा भरा गया है और हस्ताक्षरित है। इस पर आर. वी. सिंह आफिसर इंचार्ज का भी हस्ताक्षर व मोहर है। यह पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–12 अंकित किया गया। यह प्रदर्श दिसम्बर 1997 के डेली लिस्ट के दिसम्बर 1997 के बंच में मौजूद है जो 62 पेज में है। इसे पहचान हेतु X/3 से चिन्हित किया गया। यह कैशबुक 19.11.1997 से 26.03.1998 तक से सम्बंधित प्रविष्टियों का है। इस कैस बुक में दिनांक 1.12.1997 की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो श्री रामबदन सिंह के द्वारा किया जाना चाहिए था। इस पूरे 99 पेज के कैस बुक रजिस्टर दिनांक 19.11.1997 से 26.03.1998 को प्रदर्श–13 अंकित किया गया। यह ENGAH-129 है जो रसीद संख्या 216 से 222 तक है। यह चंद्रशेखर के लिखावट एवं उनके लघु हस्ताक्षर में है। इसके पीछे पेज पर R.B. Singh का पृष्ठांकन एवं हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। ENGAH-129 को प्रदर्श–14 अंकित किया गया। यह मार्च माह के Daily list का bunch है जो 46 पेज में है तथा तार घर बिहार शरीफ का है। इस बंच के पेज 22 पर daily list No. 529 एवं BRADMA No.- 528 संलग्न है। Daily List 529 चंद्र शेखर जी के हाथ से बनाया गया है। इस पर प्रभारी तारघर का भी हस्ताक्षर है। पेज नंबर 21 को काउंटर क्लर्क चंद्रशेखर जी के द्वारा कंप्यूटर से निकाला गया है। इस पर राम बदन सिंह का हस्ताक्षर है। इस पूरे बंच को पहचान हेतु X/4 से चिन्हित किया जाता है तथा इसके पेज नंबर 21 एवं 22 को कमशः प्रदर्श 15 एवं <u>15/1</u> अंकित किया जाता है। पूर्व प्रदर्श–13 के पेज संख्या 90 पर कैसबुक इंट्री दिनांक 16.03.1998 है जो रामबदन सिंह तार घर के इंचार्ज द्वारा तैयार किया गया है। यह ENG book No. AH-35 है। जिसके रसीद संख्या 118 से 119 तक दिनाक 29.04.1998 से संबंधित है तथा यह चंद्रशेखर के द्वारा तैयार किया गया है। इसके पीछे आर.वी. सिंह का पृष्ठांकन है। जिसे मैं पहचानता हूँ। इस Book AH-35 को प्रदर्श–16 अंकित किया गया। यह अप्रैल 1998 का Daily List है, जो 41 पेज में है। इसे पहचान हेतु X/5 से चिन्हित किया जाता है। इसके पेज संख्या 47 पर रिसीट संख्या 118 एवं 119 की प्रविष्टि है जिस पर प्रदर्श–17 अंकित किया गया। इसके पेज 46 पर दिनांक 29.04.1998 का RBADMA है, जो कि चंद्रशेखर जी के द्वारा Generated computer copy जिस पर officer incharge आर.वी. सिंह का हस्ताक्षर है। यह पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–17/1 अंकित किया गया। प्रदर्श 17 भी चंद्रशेखर जी के द्वारा तैयार किया गया था। इस पर आर.वी. सिंह जी का हस्ताक्षर है। यह पहचानता हूँ। यह Cash Book तारघर बिहार शरीफ का है जो दिनांक 27.03.1998 से 03.08.1998 तक का है जिसे तारघर प्रभारी रामवदन सिंह के द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यालय किया कलाप के कम में तैयार किया गया है। यह पहचानता हूँ। इसे प्रदश–18 अंकित किया गया। यह संपूर्ण रजिस्टर 99 पेज का है। इसके पेज संख्या 24 पर दिनांक 29.04.1998 की प्रविष्टि है, जो कि चन्द्रशेखर जी के द्वारा तैयार किया गया है। यह ENG AH-36 है। यह चन्द्रशेखर जी के द्वारा तैयार है, पहचानता हूँ। इसे प्रदश–19 अंकित किया जाता है। दिनांक 12.05.1998 की प्रविष्टि ENG AH-35 एवं AH-36 दोनों में है। AH-35 के रसीद संख्या 241 से 250 तक तथा AH 36 के रसीद संख्या 1 से 4 तक है। BRADMA का daily list-52 है तथा इसके ENG-9 का Daily List-53 है। यह मई 1998 का Daily List है जो Daily No. 42 से 48 है तथा जो 48 पेज का है। इसे पहचान हेतु X/6 से चिन्हित किया गया। इसके पेज संख्या 12 व 13 पर Daily List No. 52 BRADMA तक पेज संख्या 13 पर Daily List No. 53 मौजूद है। यह दोनों राम वदन सिंह के द्वारा हस्ताक्षरित व चंद्रशेखर जी के द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है। इसे पह.

चानता हूँ। इसे कमशः प्रदर्श 20 एवं 20/1 अंकित किया जाता है। कैशबुक पूर्व प्रदर्श–18 के पेज संख्या 32 पर दिनांक 12.05.1998 की प्रविष्टि है जो तारघर प्रभारी रामवदन सिंह द्वारा तैयार किया गया है। यह पहचानता हूँ। यह Mark for identification X/6 के पेज संख्या 17 पर Daily List संख्या 60 मौजूद है जो कि अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा कंप्यूटर से Generate किया गया है। इस पर तारघर प्रभारी राम वदन सिंह का हस्ताक्षर व मोहर है। यह पहचानता हूँ। BRADMA of Daily list 60 जो मार्क X/6 के पेज संख्या 17 पर मौजूद है। इसे प्रदर्श–21 अंकित किया जाता है। प्रदर्श–18 के पेज संख्या 35 पर दिनांक 15.05.1998 की कैस बुक entry है जो तारघर प्रभारी रामबदन सिंह के द्वारा किया गया है। पहचानता हूँ। यह पूर्व प्रदर्श–19 रिसीट नंबर 35 से 39 जो अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा तैयार है, इसके माध्यम से आर.वी. सिंह ने इसका पैसा प्राप्त किया है। इसके पीछे इनके द्वारा पैसा प्राप्त करने का endorsement है जिसे मैं पहचानता हूँ। इसका डेली लिस्ट नंबर 62 है जो मार्क X/6 के पेज संख्या 20 पर है। यह आर.वी. सिंह के हस्ताक्षर में है तथा इस पर entry अनिल सिन्हा के द्वारा यिका गया है। इस डेली लिस्ट संख्या 062 को प्रदर्श–22 अंकित किया गया। यह BRADMA जिसका Daily List No. 60 है यह अनिल कुमार द्वारा Process कर निक. ाला गया है। जिस पर आर.वी. सिंह का दस्तखत मोहर है। पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–23 अंकित किया गया। यह BRADMA dated 18.05.1998 है। जिसका Daily list No. 63 है जो अनिल कुमार सिन्हा द्वारा Computer Process से निकाला गया है और उनका हस्ताक्षर है। इस पर officer incharge R.N. Singh का दस्तखत है। पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–24 अंकित किया गया। यह BRADMA dated 08.06.1998 है। जिसका Daily List No. 105 है। इसका रिसीट नंबर 1 से 308 तक है। जो कंप्यूटर प्रोसेस से निकाला है। इस पर चंद्रशेखर जी का व ऑफिसर इंचार्ज आर.वी. सिंह का हस्ताक्षर है। पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–25 अंकित किया गया। यह BRADMA दिनांक 11.06.1998 का है। इसका Daily List No. 110 है जो अनिल कुमार सिन्हा द्वारा हस्ताक्षरित है तथा इन्हीं के द्वारा कंम्यूटर से निकाला गया है। इस पर ऑफिसर इंचार्ज आर.वी. सिंह का दस्तखत व मोहर है। जिसे मैं यह पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–26 अंकित किया गया। यह ENG AH-37 है जिसका रिसीद नंबर 50 से 61 है जो अनिल कुमार सिन्हा द्वारा तैयार है। यह दिन प्रतिदिन के कार्यालयीय कर्तव्यों के निर्वहन में तैयार होता है। इसके पीछे में आर.वी. सिंह का हस्ताक्षर है। यह पहचानता हूँ। इसी प्रदर्श–27 अंकित किया गया। इस रिसीट नंबर 61 तक का यह Daily List No. 111 है। यह अनिल कुमार सिन्हा द्वारा तैयार है तथा उनके हस्तलेख में व हस्ताक्षर में है। इस पर ऑफिसर इंचार्ज आर.वी. सिंह का हस्ताक्षर व मोहर है। इसे प्रदर्श–28 अंकित किया गया है। यह ENG-9 एवं BRADMA का Daily list है जो कुल 51 पेज का ह। इसे पहचान हेतु X/7 (कुल 51 पेज) चिन्हित किया गया। यह marked X/7 के पेज 42 पर Daily List No. 134 है, जो ए.क. सिंह के द्वारा हस्ताक्षरित है तथा Counter signature officer incharge रामवदन सिंह का है। यह system generated तथा कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यालयी कर्तव्यों के निर्वहन में तैयार हुआ है। इसे प्रदर्श–29 अंकित किया गया। यह ENG-9 का Book No. AH-38 है। इसके रसीद नंबर 12 से 35 को इन्द्रदेव प्रसाद के द्वारा यह रसीद काटा गया है। यह पैसा रामबदन सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया। इस रसीद संख्या 12 से 34 पर अंतिम पृष्ठ पर रामवदन सिंह का Counter Sign है। इसे प्रदर्श–30 अंकित किया गया। इस रसीद के आधार पर Daily List नंबर 135 तैयार किया गया है। जिस पर Detail रहता है। यह Daily list संख्या 135 है। इस पर भी रामवदन सिंह का हस्ताक्षर है तथा Counter clerk इन्द्रदेव प्रसाद का हस्ताक्षर है। यह भी दिन प्रतिदिन के कार्यालयी किया कलाप के अन्तर्गत तैयार किया गया है। इसे प्रदर्श–31 अंकित किया गया। यह ऊपरोक्त Eng का ही रसीद नंबर 36 से 39 है जो स्वयं आर.वी. सिंह के द्वारा तैयार हुआ है। इसके पीछे भी आर.वी. सिंह का हस्ताक्षर है। इस रसीद संख्या 36 से 39

को प्रदर्श–32 अंकित किया गया। इस D.L. 136 है जो मार्क्ड X/7 के पेज संख्या 44 पर मौजूद है। यह रसीद व डेली लिस्ट राम वदन सिंह द्वारा तैयार कर हस्ताक्षरित किया गया है। इसे प्रदर्श–33 अंकित किया गया है। यह ENG-9 का book संख्या A.H. 39 है। इसके रसीद संख्या 49 से 80 पू.के. सिंह के द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है तथा 81 से 85 आर.वी. सिंह के द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है। रसीद संख्या 49 से 85 तक को प्रदर्श–34 अंकित किया जाता है। इस प्रदर्श 34 के पीछे में हस्ताक्षर री रामवदन सिंह जी का है। यह जुलाई 1998 के पूरे माह का daily list व BRADMA इत्यादि है। इसको पहचान हेतु X/8 से चिन्हित किया गया। इस मार्क X/8 के पृष्ठ संख्या 18 पर daily list No. 154 है, जो पृष्ठ संख्या 18 पर Daily list No. 154 है, जो पू.के. सिंह के द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है तथा रामवदन सिंह के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। इसे प्रदर्श–35 अंकित किया गया। इसके पेज संख्या 19 पर Daily list No. 155 है जो कि रामवदन सिंह के द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है। इसे प्रदर्श–36 अंकित किया गया। यह दिनांक 24.07.1998 का ENG-9 का book नं. A.H.-39 का रीसीट नंबर 218 से 221 है, जो चन्द्रशेखर जी के द्वारा तैयार है जिसके पीछे में श्री आर.वी. सिंह जी का प्रति हस्ताक्षर है, यह कार्यालय के दिन प्रतिदिन के व्यवसायिक किया कलाप के कम में तैयार हुआ है। इसे प्रदर्श–37 अंकित किया गया। इसका Daily list No.-178 है जो कि चन्द्रशेखर के द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है तथा श्री रामवदन सिंह जी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। इसे प्रदर्श–38 अंकित किया गया। यह 53 पेज का Daily list व BRADMA है, जिसे पहचान के लिए X/8 अंकित किया जा चुका है। यह दिनांक 17.08.1998 का BRADMA है जो System generated है, इसे चन्द्रशेखर जी के द्वारा तैयार व हस्ताक्षर किया गया है तथा इस पर प्रति हस्ताक्षर ऑफिसर इंचार्ज R.B. Singh द्वारा किया गया है। इसे प्रदर्श–39 अंकित किया गया। इस BRADMA का daily list No. 209 है। यह रिसीट नंबर 299 से 238, book संख्या AS-39, ENG-9 है जो श्री चन्द्रशेखर जी का हस्ताक्षर है तथा बिल के रिसीट के पीछे में श्री आर.वी. सिंह जी का प्रति हस्ताक्षर है। पहचानता हूँ। यह रसीद कार्यालय के दैनिक किया कलाप के कम में तैयार होता है। इसे प्रदर्श–40 अंकित किया गया। इसका Daily list No.-210 है जो चन्द्रशेखर के द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है तथा आर.वी. सिंह द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। जिसे कार्यालय के दिन प्रतिदिन के किया कलाप के कम में तैयार किया गया है। इसे प्रदर्श–41 अंकित किया गया। यह दिनांक 28.08.1998 का यह BRADNA है जिसका Daily List No.-229 है। यह श्री चन्द्रशेखर जी के द्वारा तैयार है तथा system generated है। इस पर चन्द्रशेखर जी का हस्ताक्षर है तथा R.B. Singh का प्रति हस्ताक्षर है जो कार्यालय के दैनिक किया कलाप के कम में तैयार हुआ है। इसे प्रदर्श–42 अंकित किया गया। यह Book संख्या A.H. 50, के रसीद नंबर 26 से 155 है जो श्री पू.के. सिंह के द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है तथा बिलों के पीछे में विभिन्न स्थानों पर श्री आर.वी. सिंह का प्रति हस्ताक्षर है। यह पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–43 अंकित किया गया। इसका Daily List No. 230 है, जो कि पॉच पेज में है। इस Daily list पर officer incharge श्री आर.वी. सिंह का हस्ताक्षर है। यह दिन प्रतिदिन के कार्यालयी किया कलाप के कम में तैयार हुआ है। इस पॉच पेज के Daily list को प्रदर्श–44 अंकित किया गया। यह ENG-9, Money Receipt के book संख्या AH-50 के रसीद संख्या 194 से 232 है। यह चन्द्रशेखर प्रसाद के द्वारा तैयार है, तथा इन सभी रसीदों पर चन्द्रशेखर प्रसाद का हस्ताक्षर भी है। पीछे में रामवदन सिंह C.T.O. इंचार्ज का हस्ताक्षर एवं पृष्ठांकन है। यह पहचानता हूँ। यह official document है। इसे प्रदर्श–45 अंकित किया गया। यह Daily list/BRADMA संख्या 234 से 277 का Bunch है जो 48 पेज का है तथा तारघर बिहार शरीफ से संभावित है। इसे पहचान हेतु X/9 से चिन्हित किया गया। यह BRADMA का Daily list No. 234 है तथा चन्द्रशेखर जी द्वारा हस्ताक्षरित व System generated है तथा इस पर रामवदन सिंह C.T.O. इंचार्ज का हस्ताक्षर है। यह पहचानता

हूँ। इसे प्रदर्श–46 अंकित किया गया। यह Daily list No. 235 है जो चन्द्रशेखर जी द्वारा R.B. Singh द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। यह कार्यालय के दिन प्रतिदिन के व्यावसायिक अनुकम में तैयार होता है जो दो पेज का है। इसे प्रदर्श–47 अंकित किया गया। यह ENG-9 का Book A.H.-68 है जो तारघर बिहार शरीफ से सम्बंधित है। इसका रसीद संख्या 38 से 66 है। इसका पैसा तारघर प्रभारी रामबदन सिंह प्राप्त किया गया है। उनका हस्ताक्षर है। पहचानता हूँ। रसीद किसके द्वारा तैयार है, हस्ताक्षर पह. चान में नहीं आ रहा है। यह दिन प्रतिदिन के official course में तैयार होता है। इसे प्रदर्श–48 अंकित किया गया। इसे बचाव पक्ष की आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया गया। यह ऊपरोक्त रसीद का है। Daily List No. 399 है जिसका हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है परन्तु पैसा प्राप्त करने का पृष्ठांकन व हस्ताक्षर श्री रामवदन सिंह का है। यह पहचानता हूँ। यह Daily के official course में तैयार हुआ है। इसे प्रदर्श–49 अंकित किया गया। यह ऊपरोक्त Eng. का ही BRADMA, Daily List No. 400 है, जिस पर चन्द्रशेखर जी व रामवदन सिंह तारघर प्रभारी का हस्ताक्षर है। यह System Generated है तथा कार्यालय के दिन प्रतिदिन के व्यावसायिक किया कलाप के अनुकम में तैयार किया गया है। पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–50 अंकित किया गया। यह ENG-9 का Book संख्या A.H. 7 है जिसके रसीद संख्या 93 से 106 को चन्द्रशेखर जी द्वारा तैयार कर हस्ताक्षर किया गया। इसके पीछे रामवदन सिंह का हस्ताक्षर व पृष्ठांकन है, यह पहचानता हूँ। यह भी कार्यालय के दिन प्रतिदिन के व्यावसायिक अनुकम में तैयार किया गया है। इसे प्रदर्श–51 अंकित किया गया। यह Daily list संख्या 431 से 481 का Bunch है जो कुल 51 पेज का है। इसे पहचान हेतु X/10 से चिन्हित किया गया। यह ऊपरोक्त ENG का कंपसल स्पेज संख्या 479 है, जो चन्द्रशेखर जी द्वारा तेयार तैयार कर हस्ताक्षर किया गया है तथा रामवदन सिंह द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है जो दैनिक कार्यालयीय किया कलाप में कम में तैयार किया गया है। पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–53 अंकित किया गया। यह Book संख्या AH-71 के रसीद संख्या 241 से 245, जो श्री पू. के. सिंह के द्वारा तैयार किया गया है एवं हस्ताक्षरित है एवं श्री रामवदन सिंह तारघ ार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। यह पहचानता हूँ। यह official course में तैयार हुआ है। इसे प्रदर्श–54 अंकित किया गया। यह book संख्या A.H.-72 का रसीद संख्या 1 से 79 है। यह पू.के. सिंह द्वारा तैयार व हस्ताक्षरित है। यह रामवदन सिंह तारघर प्रभारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है जो official Course में तैयार किया गया। इसमें मैनें अपने पृष्ठांकन रिपोर्ट में लिखा है कि इसका Daily list missing है। इसका Daily list No. 505 है। इसे प्रदर्श–55 अंकित किया गया। यह ENG-9 है। जिसका Book संख्या A.H.-100 है। जिसका रसीद संख्या 9 से 136 है। यह चन्द्रशेखर के द्वारा तैयार किया गया है एवं श्री रामवदन सिंह तारघर प्रभारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। यह official course में तैयार है। यह पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–56 अंकित किया गया। यह Daily list No. 525 को ऊपरोक्त ENG का है। यह चन्द्रशेखर के द्वारा तैयार कर हस्ताक्षरित किया गया है। इसे प्रदर्श 57 अंकित किया गया। यह ऊपरोक्त ENG का ही BRADMA, Daily list संख्या 526 है, जो चन्द्रशेखर जी द्वारा Computer process से तैयार व हस्ताक्षरित है तथा रामबदन सिंह तारघर प्रभारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–58 अंकित किया गया। अपने रिपोर्ट में मैंनें लिखा है कि उस दिन चन्द्रशेखर जी के 54118/–रूपया BRADMA रसीद द्वारा प्राप्त किया तथा मात्र चार हजार एक सौ अठारह रूपया ही तारघर प्रभारी को दिया, उन्होनें पचास हजार रूपया अपने पास रख लिया। यह पूरा Bunch, Daily list संख्या 482 से 528 है जो 85 पेज में है। इसे पह. चान हेतु X/11 से चिन्हित किया गया। सभी दस्तावेजों की छानबीन हमलोग किये। जिसमें ENG-9, BRADMA की Receipt, DAILY List, HANDOVER TAKEOVER Register, Cash Book, Bank Remittance Challan, इत्यादि। कागजातों की छानबीन किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे द्वारा किये गये जॉच में 12,12,541/–रू (बारह लाख

बारह हजार पॉच सौ इकतालिस) रूपये का Short Credit पाया गया, जो Annexture'B' के अन्तिम पेज पर मेरे द्वारा दर्शाया गया है। जो पूर्व प्रदर्श–6 / 2 है। संलग्नक 'B' में कुछ कॉलम में संयुक्त नाम दर्शाया गया है। इसका कारण है किस दिन में एक साथ दो क्लर्क ड्युटी पर थे। दोनों व्यक्तियों द्वारा एक दिन काटी गई रसीद के योग का पैसा, इंचार्ज रामबदन सिंह को किया गया है। उस दिन एकाउंटेंट इंचार्ज रामबदन सिंह Senior T.A.O. बिहार शरीफ थे। यह दोनों दिखाये जा रहे रजिस्टर कैश बुक है, प्रथम रजिस्टर दिनांक 04.08.1998 से 12.12.1998 तक का है तथा दूसरा दिनांक 13.02.98 से 10.05.99 तक का है। यह दोनों कैशबुक रजिस्टर तारघर बिहार शरीफ का है। यह दोनों रजिस्टर सी.पी.ओ. इंचार्ज रामबदन सिंह द्वारा संधारित किया जाता था। दिन प्रतिदिन के कार्यालय किया कलाप के क्रम में। इन दोनों रजिस्टरों को मैंनें जॉच के दौरान देखा था। इन दोनों कैशबुक रजिस्टर को कमशः प्रदर्श–59 एवं 51 / 1 अंकित किया गया। पूर्व प्रदर्श–13, 18, mark identification X/2 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह तीनों भी अलग–अलग अवधि का कैशबुक है जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इन्हें भी जॉच के किया कलाप के कम में संधारित हुआ था। पहचानता हूँ। पूर्व मार्क X/2 को प्रदर्श 59 / 2 अंकित किया गया। कैशबुक एक रजिस्टर होता है जिसके बायें पन्नें पर विभाग के विभिन्न श्रोंतों से प्राप्त आय को उल्लिखित किया जाता है तथा उसके दायें पन्नें पर यह उल्लेख किया जाता है कि उक्त आय को किस प्रकार व्यय व जमा किया गया उसका विस्तृत विवरण होता है। यह विभाग के आय व व्यय के विस्तृत विवरण का रजिस्टर है। यह रजिस्टर 1 अक्टूबर 1997 से 31 मार्च 1999 तक का है तथा सितम्बर 1996 से जून 1997 तक का है। यह रजिस्टर ऊपरोक्त अवधि के आय व्यय की गणना करके जॉच समिति द्वारा तैयार कर विभाग को सुपुर्द किया गया है। इसके पेज संख्या 50 पर मेरा हस्ताक्षर है। पहचानता हूँ तथा पेज नंबर 40 पर भी मेरा व जॉच समिति के एक अन्य सदस्य का हस्ताक्षर है। यह पचानता हूँ। जॉच समति का मैं भी सदस्य था। इस रजिस्टर को प्रदर्श–59 / 3 अंकित किया गया। यह रजिस्टर भी सितम्बर 1996 से जनवरी 1997 व अक्टूबर 1997 से 31 मार्च 1999 के अवधि का रजिस्टर है। जिसे जॉच समिति उक्त अवधि के आय व्यय की गणना करके तैयार किया है। इसे पहचानता हूँ। इसे X/12 से चिन्हित किया गया। यह कुल छः कैश बुक तारघर बिहार शरीफ से समबंधित है। इसमें विभिन्न अवधि का विभाग के आय एवं व्यय की प्र. विष्टि है। पहला कैस बुक जो कम संख्या 13 अंकित है। यह दिनांक 11.05.1999 से 15.09.1999 कम संख्या 14 अंकित रजिस्टर जो दिनांक 16.09.1999 से 16.06.2000 है, कम संख्या 15 अंकित रजिस्टर जिसकी अवधि 17.06.2000 से 23.09.2001 है, कम संख्या 17 अंकित कैस बुक जिसकी अवधि दिनांक 11.12.2001 से 22.02.2002 है, कम से 18 अंकित कैस बुक रजिस्टर जिसकी अवधि दिनांक 28.02.2002 से 29.06.2002 है। इन सभी रजिस्अ कैशबुक को तत्कालीन तारघर प्रभारी श्री रामबदन सिंह के द्वारा अभी प्रमाणित है। उनके अभिप्रमाणन का लेख एवं हस्ताक्षर है। यह सभी कैसबुक रजिस्टर श्री रामवदन सिंह जी के द्वारा ही संघारित है। रजिस्टर पर विभिन्न अवधि पर विभिन्न जगहों पर इनके हस्ताक्षर है। यह पहचानता हूँ। इन सभी कैसबुक रजिस्टरों को मैंनें व जॉच टीम ने जॉच के कम में देखा था। मैं इस रजिस्टरों के हस्तलेख व इस पर अंकित हस्ताक्षरों को पहचानता हूँ। इन सभी छः रजिस्टरों कैस बुक को कमशः प्रदर्श 59 / 4 से 59 / 9 अंकित किया गया। यह D/9 अंकित कुल 417 पेज का बैंक का स्कॉल है, जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मेरे विभाग से भेजे गये पैसा का चेकों के प्राप्ति रसीद है। पहचानता हूँ। इसे पहचान हेतु X/3 अंकित किया गया। यह bank Remittance challan जो कुल बारह सीट में है, जो अवधि पहला मार्च 2000 का है, जिसमें पेज संख्या 2325 से 2609 है, दूसरा फरवरी 2000 का है, जिसका पेज संख्या 2015 से 2324 है, तीसरा जनवरी 2000 का है। इसमें पेज संख्या 1895 से 2114 है, चौथा दिसम्बर 1999 का है। इसका पेज संख्या 1773 से 1894 है, पॉचवा नवम्बर 1999 का है। इसका पेज संख्या

विशेष न्यायाधीश सी. बी. आई. बिहार पटना

1650 से 1772 है, छठवॉ अक्टूबर 1999 का है। इसका पेज संख्या 1444 से 1649 है, सॉतवा सितम्बर 1999 का है, जिसका पेज संख्या 1332 से 1443 है। आठवॉ अगस्त 1999 का है। इसका पेज संख्या 1212 से 1331 है। नॉवा जुलाई 1999 का है। इसका पेज संख्या 1092 से 1211 है। दसवॉ जूल 1999 का है। इसका पेज संख्या 968 से 1091 है। ग्यारवॉ का मार्च 2002 का है। इसका पेज संख्या 1847 से 1931 तक है। बा. रवॉ जुलाई 2001 का है। इसका पेज संख्या 1266 से 1346 तक है। यह सभी चालान फॉर रेमिटेंस ऑफ मनी कुछ को छोड़कर जबकि छुट्टी पर थे, यह सभी आर.वी. सिंह तारघर प्रभारी के द्वारा हस्ताक्षरित है तथा इसके साथ संलग्न कई खर्च के वाउचरों पर आर.वी. सिंह का अभिप्रमाणन है। इन सभी कागजातों को जॉच के समय मैं व जॉच टीम के सदस्यों ने अवलोकन किया था, यह पहचानता हूँ। इन सभी बारह चालान फॉर रे. मिटेंस ऑफ मनी को कमशः प्रदर्श–60 से 60/11 अंकित किया गया। यह दो ENG-9 बुक है, जिसका बुक नंबरAH-51 तथा AH-127 है। इसके प्रत्येक पेज के closing के बाद इसके पेज के पीछे की ओर आर.वी. सिंह तारघर प्रभारी बिहारी शरीफ का हस्ताक्षर है। पहचानता हूँ। इसे कमशः प्रदर्श– 61 एवं 61/1 अंकित किया गया। यह कुल अठारह बंडल जो 18 माह का है। माह अक्टूबर 1997, पेज संख्या 155 से 325, नवम्बर 1997 पेज संख्या 326 से 493, दिसम्बर 1997 पेज संख्या 494 से 668, नजवरी 1998, पेज संख्या 669 से 823, फरवरी 1998 पेज संख्या 824 से 974 तक, मार्च 1998 पेज संख्या 975 से 1131, अप्रैल 1998 पेज संख्या 1132 से 1311, मई 1198, पेज संख्या 1312 से 1498, जून 1998 पेज संख्या 1499 से 1707, जुलाई 1998 पेज संख्या 1708 से 1856, अगस्त 1998 पेज संख्या 1857 से 2079, सितम्बर 1998 पेज संख्या 2080 से 2228, अक्टूबर 1998 पेज संख्या 2229 से 2436, नवम्बर 1998 पेज संख्या 2437 से 2587, दिसम्बर 1998 पेज संख्या 2588 से 2781 तक , माह जनवरी 1999 पेज संख्या 2782 से 2943, फरवरी 1999 पेज संख्या 2944 से 3136, मार्च 1999 पेज संख्या 3137 से 3329। यह सभी चालान फॉर रेमिटेंस ऑफ मनी है, जिनके साथ अन्य रसीदें भी संलग्न है। इन सभी पर रामवदन सिंह तत्कालीन प्रभारी तारघर बिहार शरीफ का हस्ताक्षर और मुहर है। पहचानता हूँ। इन सभी कार्यालीय दस्तावेजों को मैंनें अपने जॉच के कम में अवलोकित किया था। पहचानता हूँ। इन सभी 18 दस्तावेजों के बंडल को प्रदर्श–60/12 से 60/29 अंकित किया गया। यह चालान ऑफ रेमिटेंस ऑफ मनी, जो सरकर के कोष में प्रतिदिन सम्मलित होता है। उसे बैंक में प्रत्येक दिन के जमा करने का माध्यम है। अभियुक्त रामवदन सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि 19 अप्रैल 1982 को मैं T.A.O. के पद पर सर्व प्रथम पदस्थापित हुआ। मेरी पथम नियुक्ति गैंगटोक में हुई थी। दिनांक 19.04.82 को मेरी प्रथम नियुक्ति गैंगटोक में T.A.O. के पद पर हुई थी। T.O.A. का नाम Telecom officer Assistant है। वहॉ मैं फरवरी 1988 तक पदस्थापित रहा, उसके बाद मैं हस्तान्तरित होकर बिहार के गया में रहा। गया में 1997 तक रहा। उसके बाद सर्किल ऑफिस पटना में रहा। अभी मैं BSNL के Circle office पटना में A.A.O. के पद पर पदस्थापित हूँ। सन् 2002–03 में मुझे पूरे बिहार के BSNL कर्मचारी अधिकारी सभी के GPF Account की देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझे थी। किसी भी Telephone विभाग का मुझे Inspection करने हेतु अभिकृत नहीं किया गया था, परंतु यदि किसी टीम में मुझे रखा जाता है, तो उसमें मुझे Inspection का अधिकार रहता था। बिहार शरीफ में Special Inspection तारघर का किया था, उसके पहले तारघ ार पूर्णिया व तारघर नवादा का भी Special Inspection मैंनें किया था, जिसके लिए मुझे विशेषता अधिकृत किया गया था। विशेष ऑडिट के लिए मुझे बिहार सर्किल BSNL के Vigilance Section द्वारा गठित टीम में मुझे अधिकृत किया गया था। सी.जी.एम. महोदय किसी फाइल में आदेश करते हैं। उनके अधीनस्त नियुक्त पदाधिकारी पत्र निर्गत करते थे। विशेष टीम में जाने के लिए वह C.G.M. की फाइल अभी यहॉ नहीं है। उसे देखने के लिए मैं स्वयं अधीकृत नहीं हूँ। उस कार्यालय का Spl. Audit करने के पूर्व

उस सुसंगत अवधि के तथ्यों व परिस्थितियों से मुझे अवगत नहीं कराया गया था। टेल. ीफोन विभाग में बिलों के बकाया राशि को जमा करने की प्रकिया है कि जब भी पक्षकार बिल की राशि में काउंटर पर जमा करता है, तो उसे एक रसीद जमा राशि की दी जाती है। उसे ENG-9 कहते हैं। उसकी कार्यालय प्रतियों की एक Daily list बनेगी, जो तीन प्रतियों में होगी एक प्रति कार्यालय में रह जायेगा, एक प्रति रवेन्यू विभाग मुख्यालय (T.R.A.) को जायेगी तथा एक प्रति मासिक सूची (Monthly Schedule) में भेजी जायेगी। उस दिन का जितना भी पैसा या चेक जमा होगा, उसे उस काउंटर के इंचार्ज, तारघर प्रभारी उसी दिन हस्तगत कर देगें। काउंटर प्रभारी तारघर प्रभारी को Handover करेगा, जिसे तारघर प्रभारी टेक ओवर करेगा। मैंनें T.R.A. से इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं लिया, क्योंकि उससे रिपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंनें T.R.A. की लिस्ट व पटना मुख्यालय में जो लिस्ट रखी थी, दोनों की तुलना नहीं किया। तारघर प्रभारी की जिम्मेदारी हो कि वह ENG-9 में वर्णित राशि को Daily list से मिलान करके कैस में प्र. विष्टि करके चालान बनाकर उस राशि व चेक को बैंक में जमा कर दे। तारघर बिहार शरीफ का पैसा बिहार शरीफ भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जमा होता था। इस सुसंगत अवधि का SBI से मैंनें Statement नहीं लिया। हर महीनें पूरे माह के जमा राशियों की summary date wise बनाकर तीन प्रतियों में से एक प्रति, S.S.A को भेजा जायेगा, दूसरी प्रति सर्किल Account को भेजा जायेगा। एक प्रति उस कार्यालय में रह जायेगी। मेरी जानकारी में नहीं है कि summary की एक प्रति C.T.O को भेजी जाती है। मुझे जानकारी नहीं है कि Senior A.O. Cash के द्वारा वर्ष 1999 में Audit किया गया था। यह भी जानकारी नहीं है कि Internal व external दोनों Audit हुआ था। वर्ष 1999 का Cash Book मैंनें चेक किया था। मुझे याद नहीं है कि ऑडिट करने वाले का वर्ष 1999 में दस्तखत भी है। इस Cash book को मैंनें न्यायालय में पहचान कर प्रदर्श अंकित कराया था। साक्षी ने पूर्व प्रदर्श 59/5 के दिनांक 30.10.1999 के ऊपर checked लिखकर A.O. incharge G.M.T.D. पटना लिखा है परन्तु किसका हस्ताक्षर है नहीं पह. चानता हूँ। G.M.T.D. का पद विभाग के है। मुझे जानकारी नहीं है कि किसने क्या जा. ंच किया। मुझे G.M.T.D. का कोई प्रतिवेदन इस संबंध मं नहीं मिला है। जितने भी आ. ॅडिट होती है उस ऑडिट की प्रतियॉ कहॉ–कहॉ जाती है मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे ऑडिट व उसके प्रकिया की जानकारी है परन्तु जानबुझकर उसे छिपा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि Counting error यदि Audit में पाया जाता है तो उसे correction का अवसर दिया जायेगा, बल्कि ऐसी स्थिति में उस पर केस हो जायेगा। प्रदर्श–59/9 के पेज संख्या 19 पर दिनांक 22.03.2002 के वाउचर नंबर 60, 61, 62 के सम्मुख जो पैसा जमा हआ है उससे से यह कहीं नहीं परिलक्षित हेाता है कि वह किस मद का पैसा जमा किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि यह पैसा short credit का विभाग ने जमा करवाया है। जो ENG-9 के अनुसार जो पैसा था, उसकी प्र. विष्टि रामबदन सिंह ने कैसबुक में किया है, परन्तु बैंक में किसी–किसी दिन रामबदन सिंह ने कैसबुक में वर्णित राशि से कम पैसा भेजा है। मेरे रिपोर्ट में विस्तृत विवरण है कि किस किस तारीख को Short Maintenance हुआ था। साक्षी ने प्रदर्श 6/2 को बताया कि दिनांक 01.12.1997 एक लाख चार सौ छबबीस रूपया, 16.03.1998 को पॉच हजार रूपया, 29.04.1998 को एक लाख इग्यारह हजार अठहत्तर रूपया, 12.05.1998 को पॉच हजार रूपया, 08.06.1998 को एक लाख बासठ हजार सात सौ सड़सठ रूपया, 24. 07.1998 को दस हजार रूपया, 27.08.1998 को दो लाख उन्नीस हजार नौ सौ अठासी रूपया, 01.09.1998 को आठ हजार रूपया, 15.12.1998 को अस्सी हजार रूपया, 29.01.1999 को एक लाख रूपया, 25.02.1999 को पचास हजार रूपया, 30.03.1999 को एक लाख रूपया, कुल नौ लाख बावन हजार दो सौ उन्यासी हजार रूपया का short पाया गया था। इन रूपयों में काउंटर पर पदस्थापित क्लर्क ने पूरी रकम प्राप्त किया तथा रामवदन सिंह को दिया। यह रूपया ENG-9 के अनुसार संबंधित क्लर्क ने रामवदन

सिंह को किया, उन्होनें पूरी राशि को अपने कैस बुक में प्रविष्ट किया परन्तु ऊपरोक्त राशियों का ऊपरोक्त तिथि पर रेमिटेंस रामवदन सिंह ने कम किया। मैनें अपने विशेष जॉच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि किन–किन तिथियों में कितना short Remittance हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मैनें गलत रिपोर्ट दिया था। मैं कितने दिनों तक जॉच किया अभी याद नहीं आ रहा है। काउंटर क्लर्क को कस्टमर्स भिन्न बैंकों का चेक एवं नगद दोनों देता है। प्रदर्श–6 जो मेरा इंस्पेकशन रिपोर्ट है जो 01.04.1999 से 31.09.2000 के बीच का है, इसमें किसी चेक एमाउंट का उल्लेख नहीं है। कितना राशि चेक से प्राप्त हुआ इसका भी उल्लेख नहीं है। चेक एवं कैस का अलग अलग चालान बनता है। चेक जब बैंक जाता है तो चेकधारी के खाता में चेक में वर्णित रकम केड्टि कर दिया जाता है। मेरे प्रतिवेदन प्रदर्श–6 में बैंक से स्क्रौल करने की बात का जिक नहीं है। चेक से संबंधित किसी भी प्रतिवेदन का उल्लेख नहीं है। चेक से संबंधित तथ्यों को मैनें देखा था। दिनांक 23 जुलाई 2002 को मैनें अपना फाईनल रिपोर्ट दिया था। कैश बुक में वर्ष 2002 में श्री ए.के. सिन्हा, इन्द्र देव प्रसाद एवं ए.के. झा द्वारा पैसा जमा किया गया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह डिपोजिट मेरे इंस्पेकशन के समय पंजी में दिखाई नहीं पड़ा था। यह कहना गलत है कि मुझे उक्त जमा रूपये की जानक. ारी दी गयी थी। इस न्यायालय में मेरे विरूद्ध पहले से 9 मुकदमा दायर है। जिसका नंबर RC 30,32, 29, 25, 7 यह सभी वर्ष 2004 के हैं तथा RC 17, 18, 19, 21 वर्ष 2005 का है। यह कहना गलत है कि, मैनें गलत इंस्पेकशन रिपोर्ट तैयार किया था। यह कहना गलत है कि जानबूझकर अपने प्रतिवेदन में चेक राशि को दर्ज नहीं किये और यह कहना गलत है कि इस मामले में किसी तरह का डिफॉल्केशन नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि सीबीआई के दबाव में आकर गलत गवाही दिया है। अभियुक्त नवीन कुमार झा की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैनें जो ऑडिट रिपोर्ट बनाया है वह ENG-9 पंजी के आधार पर एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर बनाया है। अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, उमेश कुमार सिंह एवं इन्द्रदेव प्रसाद की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैं A.A.O. के पद पर दिनांक 22.09.1999 से अब तक पदस्थापित हूँ। टेल. ीग्राफ ऑफिस में काउन्टर पर किसका–किसका डियूटी लगेगा यह काम तारघर के प्रभारी द्वारा किया जाता है। ग्राहकों से जो भी पैसा प्राप्त होता है वह कैशियर द्वारा प्रभारी तारघर को Eng-9 द्वारा प्राप्त कराया जाता है वे प्रमाणपत्र देते हुए प्राप्त करते हैं। प्रभारी यदि कोई गड़बड़ी पाते हैं तो वही आपत्ति दर्ज करते है। मैनें जॉच के कम में म्दह.9 पंजी पर प्रभारी तारघर द्वारा किया गया कोई आपत्ति दर्ज नहीं मिला था। जॉच के कम में म्दह.9 पर चन्द्रशेखर, उमेश कुमार सिंह एवं इन्द्रदेव के विरूद्ध कोई प्रतिकुल टिप्पनी मैनें नहीं पाया था। अभियुक्तगण अनिल कुमार सिंह एवं राम कुमार लाल की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैनें जो भी गवाही दिया है वह सच कहा है। 01.10.1997 से 31.03.1999 के बीच डीटीओ बिहार शरीफ अनिल कुमार सिन्हा कार्यरत थे। वे वहॉ पर सीनियर टेलिग्राफ ऑरेटिंग असिस्टेंट के रूप में कार्यरत थे। मैं कुल 20 महीने का ऑडिट किया था। मैं यह नहीं बता सकता कि अनिल कुमार सिन्हा कैश काउंटर पर कितना दिन डयूटी किये थे। टेलीफोन बिल का भुगतान नगद एवं चेक दोनों रूपों में कर सकते हैं। टेलीफोन उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान काउंटर पर करता है तो काउंटर क्लर्क इएनजी–9 का ऑरिजिनल रसीद उपभोक्ता को देता है तथा उसका कार्बन कॉपी ऑफिस में रहता है। ग्राहक उस मूल रसीद को लेकर चले जाते हैं। 01.10. 1997 से 31.03.1999 के बीच कोई उपभोक्ता शिकायत किया या नहीं इसका कोई ज्ञान मुझे नहीं दिया गया था और ना ही मैनें ऑडिट के दौरान किसी रजिस्टर में पाया। 01. 10.1997 से 31.03.1999 के बीच डीटीओ विभागीय तारघर बिहार शरीफ के इंचार्ज श्री राम बदन सिंह थे। इएनजी–9 के अनुसार डेली लिस्ट बनायेगें। जिसमें दिनांक, टेलीफोन नंबर रहेगा, बिल का एमाउंट रहेगा, टोटल समरी रहेगा कि उस व्यक्ति ने कितना नगद तथा चेक से कलेक्शन किया था। डयूटी खत्म होने के बाद हैंड ओवर, टेक ओवर

रजिस्टर में उसमें डेली लिस्ट का नंबर रहेगा, उसमें कैश का एमाउंट और चक का एमा. उंट लिखा जायेगा। जितना पैसा नगद या चेक से आया होगा उस पैसे का मिलान उनके इंचार्ज इएनजी–9 में अंकित से करेंगें और उसे प्राप्त करेंगें। डी0टी0ओ ऑफिस बिहार शरीफ के दिनाक 01.10.1997 से 31.03.1999 तक के कागजातों का मैंने ऑडिट किया था। उस दौरान अनिल कुमार सिन्हा वहाँ काउंटर क्लर्क थे और रामबदन सिंह डीटीओ के प्रभारी थे। अनिल कुमार सिन्हा ग्राहक से पैसा नकद चेक या बैंक ड्राफट से प्राप्त कर सकते थे। टेलिफोन बिल का ऊपरी भाग पैसा लेने के बाद उपभोक्ता को दिया जाता था तथा निचला भाग (अधकट्टी) कार्यालय में रखा जाता था। दोनों में रकम समान रहता है। रामबदन सिंह इएनजी 9 के मुताबिक राशि प्राप्त करते थे और उक्त रजिस्टर के पीठ पर उसी प्रविष्टि अंकित करते थे। रामबदन सिंह पैसा कलेक्ट कर रजिस्टर पर चढ़ाते थे और उसे बैंक ले जाकर जमा करते थे। इएनजी 9 पंजी के पीट पर राशि प्राप्त किया लिखा है, लेकिन कितना राशि प्राप्त किये इसका उल्लेख नहीं है। इएनजी 9 द्वारा प्राप्त रकम की प्रविष्टि दिनांक 19.11.1997 से 26.03.1998 तक कैश बुक में इंट्री नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ आइटम कैश बुक में अंकित नहीं है। शॉर्ट क्रेडिट का केस कैशबुक एवं इएनजी 9 में पाये गये अंतरों के आधार पर बना। मेरे द्वारा किये गये जाँच के दौरान बिहारशरीफ डीटीओ, कार्यालय में एकाउंट आफिसर की नियुक्ति थी या नहीं मुझे याद नहीं है। एकाउंट ऑफिसर का रिपोर्ट अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध हमें नहीं मिला था। हमको किसी उपभोक्ता का यह शिकायत नहीं मिला था कि वह बिल का भुगतान कर दिया है, फिर भी भुगतान हेतु उसे बिल प्राप्त हुआ है। अनिल कुमार सिन्हा के साथ काम करने का मौका मुझे नहीं मिला। अनिल कुमार सिन्हा के साथ में कही पे जानकारी नहीं है कि मेरे विरूद्ध सीबीआई द्वारा किया गया 9 केस किस बात के लिए है। वह सभी केस इसी न्यायालय में चल रहा है। स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट एव कैशबुक आपस में मेल नहीं करता है। यह कहना गलत है कि अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध सीबीआई के दबाव में मैंने गलत रिपोर्ट दिया है। ऐसी बात नहीं है कि अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध शॉर्ट केडिट का कोई केस नहीं बनता है।"

14. अभियोजन साक्षी संख्या–4 एच0 हेमरोम, एडिशनल एस0पी0, सीबीआई, रांची ने अपने साक्ष्य में बताया कि "सीबीआई, एसीबी पटना में मेरी पोस्टिंग 2003 और 2004 के बीच में थी और उस समय मैं इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। यह इस काण्ड का प्राथ. मिकी है जो 4 पृष्ठों में है। जिस पर तत्कालीन एस.पी श्री वी.के. सिंह सीबीआई, एसीबी पटना के दस्खत हैं। जिसे मैं पहचानता हूँ। यह काण्ड बीएसएनएल पटना के तत्कालीन डीजीएम विजिलेंस श्री जावेद इकबाल के शिकायत दिनांक 18.10.2002 के आधार पर किया गया था। यह शिकायत बीएसएनएल के चार जगहों यथा बिहार शरीफ, राजगीर, नालंदा एवं पावापुरी के बीएसएनएल के सब्सकाइबर्स के द्वारा भुगतान किये गये राशि के defalcation से संबंधित है। इस प्राथमिकी को **प्रदर्श P- 62 /PW-4 अंकित** किया जाता है। यह कुल 28 ENG Form-9 है। जो श्री के.पी. जायसवाल के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। जिसे बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ संयुक्त रूप से **प्रदर्श P- 63 /PW-4 अंकित** किया जाता है। यह ACG 89 फार्म एवं वाउचर है, जो जनवरी 1997 तक का है। जो मुझे अनुसंधान के कम में प्राप्त हुए थे। इसे आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 64 /PW-4** अंकित किया जाता है। यह कुल 5 Daily list है जो अक्टुबर 1998 का है जो 1 से 64 पृष्ठों में हैं। Daily list है जो नबंवर 1998 का है जो 1 से 54 पृष्ठों। Daily list है जो फरवरी 1998 का है जो 1 से 68 पृष्ठों में है। Daily list है जो जनवरी 1998 का है जो 1 से 48 पृष्ठों में है। Daily list है जो नबंवर 1997 का है जो 1 से 43 पृष्ठों में है। इसे बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ संयुक्त रूप से **प्रदर्श P- 65 /PW-4** अंकित किया जाता है। यह कुल 100 ENG Form-9 है। जो श्री के.पी. जायसवाल के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। जिसे बचाव पक्ष की आपत्ति के साथ संयुक्त रूप से **प्रदर्श P- 66/**

PW-4 अंकित किया जाता है। यह GEQD report NUMBER DXC-564/2003/349 DATED 12.02.2004 जिसे मुझे अनुसंधान के कम में मुझे प्राप्त हुआ था। इस रिपोर्ट को बचाव पक्ष की आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 67/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह कुल 17 daily list है। जो अक्टुबर 1997, सितंबर 1999, जुलाई 1999, अगस्त 1999, जुन 1999 जनवरी 2000, दिसंबर 1999, नवंबर 1999, मई 2000, अप्रैल 2000, सितंबर 2000, अगस्त 2000, मई 1999, अप्रैल 1999, जुलाई 2000, जुन 2000, फरवरी 2000 का है। इन सभी को बचाव पक्ष की आपत्ति के साथ संयुक्त रूप से **प्रदर्श P- 68 /PW-4 अंकित** किया जाता है। यह कुल 30 वाउचर जुन 1997, जुन 2000, मई 1997, अगस्त 1997, दिसंबर 2001, फरवरी 2001, सितंबर 2000, जुलाई 2000, अगस्त 2001, सितंबर 1997, जुलाई 1997, मई 1999, फरवरी 1997, अप्रैल 1997, मार्च 1997, मई 2001, अप्रैल 2000, नवंबर 2001, सितंबर 2001, दिसंबर 2000, अक्टुबर 2000, मार्च 2001, जुन 2001, फरवरी 2002, अक्टुबर 2001 नबंवर 2001, जनवरी 2002, जनवरी 2001, अप्रैल 1999, मार्च 2000 इन सभी को संयुक्त रूप से बचाव पक्ष की आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 69/ PW-4 अंकित** किया जाता है। यह daily list मार्च 2000, जनवरी 2002 का daily list है। जो कुल 2 भागों में है। जिसे बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 70/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह ENG form 9 है जो सितंबर 2001, जनवरी 2002, मई 1999, जुलाई 2001, जुन 2001 जुलाई 1996 का है। यह कुल 6 की संख्या में है। इन सभी को बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 71/PW-4 अंकित** किया जाता है। साक्षी नें कैशबुक दिनांक 31.03.1990 से दिनांक 28.09.1991 (बिहार शरीफ), दिनांक 15. 02.1997 से 30.06.1997 (बिहार शरीफ), दिनांक 02.09.1996 से दिनांक 14.02.1997 (बिहार शरीफ), दिनांक 14.07.1995 से दिनांक 31.93.1996 (बिहार शरीफ), दिनांक 18.06. 1994 से 13.07.1995 (बिहार शरीफ), दिनांक 02.04.1993 से 17.06.1994 (बिहार शरीफ), दिनांक 01.10.1991 से 31.03.1993 (बिहार शरीफ) की पहचान की। इन सभी 7 कैस बुक को बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ प्रदर्श **प्रदर्श P- 72/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह डिफॉलकेशन कैलकुलेशन रजिस्टर है जो जुन 1997 से मार्च 2002 तक का है। जिसमें डिफॉलकेशन अमाउंट कैलकुलेशन अंकित है जिसमें बीएसएनएल बिहार शरीफ में राम बदन सिंह, वी.के सिंह, आर. के. एल. दास, चंद्र शेखर, ए.के. सिन्हा, एन.के. झा, बी.के. प्रसाद और इंद्र देव प्रसाद के द्वारा अपने पदस्थापन के दौरान किये गये गबन की विव. रणी अंकित है। इस रजिस्टर को बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 73/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह कुल 4 बीएसएनएल बिहार शरीफ के उपस्थिति रजिस्टर है जो जनवरी 2000 से सितंबर 2001, जनवरी 1998 से दिसंबर 1999, मार्च 1998 से जुलाई 2000 एवं अगस्त 2000 से सितंबर 2003 तक के हैं जिनमें अभियुक्तों के बीएसएनएल बिहार शरीफ में पदस्थापन का उपस्थिति का विवरण अंकित है। जिसमें सभी अभियुक्तों राम बदन सिंह, वी.के सिंह, आर. के. एल. दास, चंद्र शेखर, ए.के. सिन्हा, एन.के. झा, बी.के. प्रसाद और इंद्र देव प्रसाद के पदस्थापन एवं उपस्थिति का विवरण अंकित है। इन सभी रजिस्टरों को संयुक्त रूप से बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 74/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह कुल 25 daily list जुन 1997, नवंबर 2000, सितंबर 1997, अगस्त 1997, जुलाई 1997, सितंबर 1996, अक्टुबर 1996, जनवरी 2001, फरवरी 2001, अक्टुबर 2000, अप्रैल 2001, नवंबर एवं दिसंबर 2000, अगस्त 2001, जुलाई 2001, मई 2001, जुन 2001, दिसंबर 2001, सितंबर 2001, अक्टुबर 2001, नवंबर 2001, दिसंबर 2001, सितंबर 2001, मार्च 2001, फरवरी 2002, मार्च 2002 का है। इसे संयुक्त रूप से बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 75/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह ENG form 9 है जो जनवरी 2001, दिसंबर –जनवरी 2001, जुलाई 2001, नवंबर 2000, अक्टुबर 2000, जनवरी 2001, जुलाई 2001, नवंबर 2000, दिसंबर 2001, अक्टुबर 2000, जुन 2001, जनवरी 2001, जुलाई 2001, सितंबर 1997, दिसंबर 2000, जुलाई – अगस्त 2001, नवंबर 2000, जुलाई 1997, अक्टुबर 2001, सितंबर 1997, अप्रैल

1999, जुलाई 1996, दिसंबर 2001, जुन 2001, जुलाई–अगस्त 1998, जुन 2001, दिसंबर 2001, जुलाई 2001, दिसंबर–जनवरी 2001 (4 रजिस्टर), जुन 2001, जनवरी 2001, दि. संबर 2000, जुलाई 2001, अगस्त 2001, जुन 2001, जुलाई 2001 (2 रजिस्टर), अगस्त–सितंबर 2001, दिसंबर 1996 (2 रजिस्टर), फरवरी 1997, सितंबर 1997, अक्टुबर 2000, फरवरी 2002, नवंबर 2002, फरवरी 2002, अक्टुबर 2000, दिसंबर 2001, जनवरी 2002, सितंबर 2001, अगस्त 2001, जुलाई 2001, नवंबर 2000, सितंबर 2001, जुन 2001, जनवरी 2001, जुन 2001, अगस्त 2001, दिसंबर 2001,नवंबर 2000, मार्च 2002, दिसंबर 2001, अक्टुबर 2001, मार्च 2002, जनवरी 2001, जुन 2001,दिसंबर 2000, अक्टुबर 2000, दिसंबर 2001 (3 रजिस्टर), जनवरी 2002, दिसंबर 2001, जनवरी 2002, मार्च 2002, अगस्त 2001, दिसंबर 2001, जनवरी 2001, सितंबर 2001, जनवरी 2001, अक्टुबर 2000, मार्च 2002 (2 रजिस्टर), जुलाई 2001 (2 रजिस्टर), सितंबर 2001, मार्च 2002 का है। इन सभी को बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 76/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह ENG form 9 है जो नवंबर 2000 (4 रजिस्टर), अक्टुबर 2001, मई 2001 (2 रजिस्टर), अप्रैल 2001, मार्च 2002, नवंबर–दिसंबर 2001, अक्टुबर 2001, मई 2001, अप्रैल 2001, मार्च 2002, नवंबर 2001, फरवरी 2002, मार्च 2002, नवंबर 2001, फरवरी 2001, मार्च 2001, मार्च 2001 (2 रजिस्टर), फरवरी 2001, मई 2001, नवंबर 2001, फरवरी 2002, दिसंबर 2000 (4 रजिस्टर), मई–जुन 1997, फरवरी 2001, मार्च 2001, नवंबर 2001 (2 रजिस्टर), अक्टुबर–नवंबर 2001, सितंबर 2001, मार्च 2001, नवंबर 2001, फरवरी 2001, नवंबर 2001 (2 रजिस्टर), फरवरी 2002 (2 रजिस्टर), मार्च 2002, अप्रैल 2001, मार्च–अप्रैल 2001, फरवरी 2001, मार्च 2000, मई 2001, अप्रैल 2001, फरवरी 2002, नवंबर 2002, मार्च 2002, अप्रैल 2001, जुन 1997, नवंबर 2001, मई 2001, जनवरी 2002, मई 2001, फरवरी 2002, फरवरी 2001, फरवरी 2002, दिसंबर 2000, मार्च 2001, अप्रैल 2001, अक्टुबर–नवंबर 2001, फरवरी 2001 (2 रजिस्टर), नवंबर 2001, फरवरी–मार्च 2002, जुन–जुलाई 1997, फरवरी 2002, अप्रैल 2001, मार्च 2001, अप्रैल 2001, फरवरी–मार्च 2001, जुलाई 2001, मार्च 2002, दिसंबर 2000, जुन 1997, फरवरी 2001 (2 रजिस्टर), फरवरी 2002, जनवरी 2001, नवंबर 2000, अप्रैल 2001, दिसंबर 2000, अक्टुर 2002 का है। इन सभी को बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ संयुक्त रूप से **प्रदर्श P- 77/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह specimen signature (S1-S65) जो श्री राम सेवक प्रसाद, चंद्रशेखर, इंद्रदेव प्रसाद, अनिल कुमार सिह, राम बदन सिह, उमेश कुमार सिंह एवं यु.के. सिंह के हैं जो मेरे द्वारा अनुसंधान के कम में लिये गये थे तथा इन सभी को जॉच एवं मंतव्य के लिए मेरे द्वारा GEQD भेजा गया। उन सभी को बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 78/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह पत्रांक संख्या 165 दिनांक 16.01.2004 जो मुझे एसबीआई पाटलिपुत्रा शाख, पटना द्वारा निर्गत बीएसएनएल विभाग (लिंक ब्रांच बिहार शरीफ) के बैंक का कंप्युटर जेनरेटेड स्टेंटमेंट है जो की अक. टुबर 2000 से मार्च 2002 तक का है जो मुझे अनुसंधान के कम में प्राप्त हुआ था। इसे बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 79/PW-4 अंकित** किया जाता है। P & T mannual vol- 14 है। जिसमें बीएसएनएल के मासिक अकाउंट के compilation से संबंधित नियमों के व्याख्या है जो Dy. GM (F & A) IFA के द्वारा सत्यापित है। इसे बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ **प्रदर्श P- 80/PW-4 अंकित** किया जाता है। यह पत्रांक PGM/V-18/2002/14 दिनांक 30.12.2002 की छायाप्रति है। इसके साथ संलग्न दस्तावेज या कागजात (annexure 1 to 7) से संबंधित उपर्युक्त दस्तावेज जो प्रदर्श 63 से 77 तक को इस पत्र के माध्यम से श्री के.पी जायसवाल Divisional Engineer (vigilance), BSNL से प्राप्त किया गया था। इस पत्रांक को अनुलग्नक सहित पहचान हेतु कुल 5 पन्नों को **पहचान हेतु X/14** चिन्हित किया जाता है। साक्षी पूर्व प्रदर्श 67 को देखकर कहते हैं कि

यह ओपेनियन नंबर DXC-564/2003 dated 12-02-2004 जिसमें specimen signature 41 से 50 और 50 से 65 (57 page) 2 volume में है जिस पर handwriting expert ने ओपेनियन दिया गया था। इसमें यह बताया गया कि questioned document Q-2, Q-4,Q-7,Q-9,Q-10 and Q-12 में वास्तविक संख्या को मिटाया गया है और मिटाने के बाद उसमें गलत ढंग से नया अंक अभियुक्त द्वारा लिखा गया है। अनुसंधान के कम में मैंनें पाया कि लगभग 30,72,245/– रूपये का अभियुक्तों के द्वारा defalcation एवं गबन किया गया था। इस काण्ड के अनुसंधान के दौरान मैनें पाया कि प्राथमिकी में दिये गये आरोपों को सही पाया गया और मामले से संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने के बाद एवं गवाहें के बयान लेने के बाद और अंतः सरकारी सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त किया। माननीय न्यायालय में दिनांक 29.06.2004 को पत्रांक संख्या 3316 के माध्यम से तत्कालीन एस.पी. के हस्ताक्षर से आरोप पत्र कमशः आर.बी. सिंह, आर.के.एल दास, यु.के. सिंह, चंद्रशेखर, अनिल कुमार सिन्हा, एन.के. झा, आर.के. प्रसाद एवं इंद्रदेव प्रसाद के विरूद्ध IPC के धाराओं 120 बी, 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477 ए एवं पी.सी. एक्ट 13(2) r/w 13(1)(c) के तहत दाखिल किया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

अभियुक्तगण उमेश कुमार सिंह, अनिल कुमार सिन्हा, राम बदन सिंह, नवीन कुमार झा एवं चंद्रशेखर की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि यह प्राथमिकी दिनांक 21.10.2002 के तिथि का है। यह प्राथमिकी मेरे पटना के पोस्टिंग के पहले का है। इस प्राथमिकी पर आपका कोई नाम या हस्ताक्षर है पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि नहीं इस प्राथमिकी में यह अंकित नहीं है कि इसे किसके द्वारा टंकित किया गया है। यह मेरे सामने टंकित नहीं किया गया है। इस केस का अनुसंधान मैंनें दिनांक 19.08.2003 से लेकर 29.06.2004 तक किया था। इस प्राथमिकी में श्री रंजीत कुमार निरीक्षक को आरंभिक अनुसंधानकर्ता बनाया गया था। दिनांक 21.10.2002 से 18.08.2003 तक इस काण्ड का अनुसंधान रंजीत कुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। श्री रंजीत कुमार के द्वारा लगभग 10 महीने के अनुसंधान के दौरान किन गवाहों का बयान लिया गया और कौन से कागजात जब्त किये, याद नहीं है। श्री रंजीत कुमार से मैंनें अनुसंधान का भार दिनांक 19.08.2003 को ग्रहण किया था। अनुसंधान का भार लेने के दौरान मैंनें रंजीत कुमार के द्वारा जिन गवाहों का बयान लिया गया था तथा जो भी कागजात जब्त किया गया था। उसे मेरे द्वारा प्राप्त किया गया था और सीबीआई के मालखाना में रखा गया था। जो कागजात मेरे द्वारा रंजीत कुमार से ग्रहण किया गया था उनकी कोई अलग से सूची नहीं बनी थी। श्री रंजीत कुमार के द्वारा और मेरे द्वारा जो कागजात जब्त किया गया था एवं जिन गवाहों का बयान लिया गया था वह इस केस की डायरी में अंकित है। जिन गवाहों का बयान रंजीत कुमार ने लिया था उन गवाहों को बयान मैंनें नहीं लिया था। रंजीत कुमार के द्वारा जो कागजात जब्त किये गये उनका ब्यौरा वहीं बता सकते हैं। रंजीत कुमार जी के द्वारा जिन गवाहों का बयान लिया गया और जितने कागजात जब्त किये गये उनकी सत्यता की जॉच भी किया था। गवाहों के बयान के सत्यता की जॉच संबंधित कागजातों के साथ उक्त बयानों को मिलाकर किया। रंजीत कुमार जी के द्वारा जब्त कागजातों की सत्यता की जॉच उनके scrutiny के द्वारा किया। प्रदर्श 78 में specimen signature लेने का समय अंकित नहीं है और न ही इस बात का जिक है कि चंद्रशेखर का specimen signature किया posture में लिया गया। मैंनें भी इन ऊपरोक्त बातों को जानने का प्रयास नहीं किया। एस 64 एवं एस 65 में specimen signature लेने का काम सीबीआई ऑफिस के किस निर्दीष्ट स्थान पर किया गया यह उन कागजातों में अंकित नहीं है। प्रदर्श 2 कुल 4 पन्नों में है जिनमें यह अंकित नहीं है कि प्रदर्श 2 के साथ कोई अनुलग्नक संलग्न है। प्रदर्श 2 को मैनें अनुसंधान के दौरान जॉच किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श 2 की विवरणी मनी रिसीप्ट की मूल प्रति, कैस बुक की मूल प्रति, डेली लिस्ट (D/L) की मूल प्रति के आधार पर तैयार किया गया है। प्रदर्श 2 का अनुलग्नक मुझे अनुसंधान के दौरान मुझे मालखाना से प्राप्त हुआ था।

प्रदर्श 2 का अनुलग्नक किसके द्वारा, कब, कहाँ से प्राप्त किया गया था, याद नहीं है। मेरे सामने जो अभी प्रदर्श 2 है उसके साथ कोई अनुलग्नक नहीं है। लिखित प्रतिवेदन में आरोपी चंद्रशेखर, अनिल कुमार सिन्हा, उमेश कुमार सिंह के नाम का जिक नहीं है। आरोपी चंद्रशेखर, अनिल कुमार सिन्हा, उमेश कुमार सिंह के इस काण्ड में संलिप्ता के संबंध में प्रत्यक्ष या स्पष्ट आरोप दिनांक 18.10.2002 के लिखित प्रतिवेदन में नहीं है। ग्राहक से लिये गये पैसे को ऊपरोक्त तीनों अभियुक्तों के द्वारा अपने पास रखा गया ऐसा कोई specific इल्जाम लिखित प्रतिवेदन में है पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि इस बात की चर्चा है। ग्राहक से लिये गये पैसे को ऊपरोक्त तीनों अभियुक्तों के द्वारा अपने पास रखा गया ऐसा कोई specific इलजाम लिखित प्रतिवेदन में जहाँ है उसे पढ़कर बता दिजिए पूछने पर साक्षी ने कहा कि उक्त प्रतिवेदन में उनके द्वारा जमा किये गये रूपयों को रखने के बारे में चर्चा नहीं है। अनुसंधान में घटना का जिक अक्टुबर 1997 से मार्च 2002 तक का है। अनुसंधान के दौरान ऊपरोक्त अवधि में संबंधित कार्यालय में कौन कौन लोग कब से तक पदस्थपित थे उनका नाम, पद नाम और पदस्थापना की अवधि की चर्चा चार्जशीट में की गई है लेकिन exact तारीख अंकित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि लिखित प्रतिवेदन तथ्यहीन, आधाहीन है तथा आपलोंगों के दबाव में दिया गया है और लिखित प्रतिवेदन रहस्यमय एवं अप्रकट है। बीएसएनएल के काउंटर क्लर्क लोग कस्टमर से बिल के against में जो भुगतान लेते थे उससे जुड़ी हुई प्रकिया को मैंनें अपने अनुसंधान के कम में जॉच किया था। बीएसएनएल के कस्टमर से बिल के against में जो भुगतान लिया जाता था वहाँ से लगातार बैक में उस राशि को जमा करने के प्रकिया में काउंटर क्लर्क, डीटीओ इंचार्ज शामिल थे और बैंक में कस्टमर से लिये गये राशि को बैंक में जमा करने की जिम्मेवारी डीटीओ इंचार्ज की थी। बीएसएनएल के काउंटर क्लर्क एवं डीटीओ इंचार्ज की क्या जिम्मेदारी और अधिकार थे अनुसंधान के दौरान साक्षी नें पता किये जाने की बात को स्वीकार किया। बीएसएनएल के कस्टमर से इस मुकदमे से संबंधित बिल के against में जो राशि बीएसएनएल के बिहार शरीफ के ऑफिस में ली जाती थी और वह राशि बैंक में जमा की जाती थी उससे संबंधित मूल दस्तावेज या उसकी छायाप्रति लिखित प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं है। उक्त कागजात का अग्रसारण पत्र उपलब्ध है। यह GM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना के द्वारा पाटलिपुत्रा शाखा के द्वारा दिनांक 16.01.2004 को भेजा गया था। गवाह अभय सुंदर का बयान मैंनें लिया था। मेरे समक्ष उन्होंनें ऐसा बयान दिया कि "प्रदर्श 6/2 के अनुसार दिनांक 15.05.1998 से 30.03.1999 तक बीएसएनएल बिहार शरीफ में डीटीओ ऑफिस में कार्यरत अनिल कुमार सिन्हा, चंद्र शेखर, उमेश कुमार सिंह, इंद्र देव, एवं डीटीओ इंचार्ज राम बदन सिंह के द्वारा कुल 12 लाख 12 हजार 541 रूपये का short credit बैंक में जमा किया गया था।" ऊपरोक्त बयान गवाह अभय सुंदर ने जिस रूप में दिया है उसे पढ़कर बताने के लिए कहने पर साक्षी ने कहा कि यह उनके बयान में tabular form में केस डायरी के अभय सुंदर के बयान के पेज नंबर 2,3,4 में उसके बयान का उल्लेख है जो बयान मैंनें उसका बताया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जो बयान अभय सुंदर ने दिया है और जो बयान साक्षी ने बताया है साक्षी के बाताये हुए बयान का उल्लेख अभय सुंदर के Cr.P.C 161 के बयान में नहीं है। गवाह अभय सुंदर के 161 का बयान मैंनें खुद ही लिया था और खुद टंकित किया था और यह 12 पृष्ठों में है। बचाव पक्ष के निवेदन पर अभय सुंदर के Cr.P.C 161 के बयान को **प्रदर्श A** अंकित किया जाता है। गवाह अभय सुंदर ने आपके समक्ष ऐसा बयान दिय था कि "काउंटर क्लर्क उपभोक्ता से टेलिफोन बिल एवं तार के एवज में जो बिल का पैसा लेते थे उसको ENG 9 (कैस रिसीप्ट) में अंकित करते थे। उसके बाद कैश रिसिप्ट के राशि को काउंटर क्लर्क अपना individual डेली लिस्ट बनाते थे।" यह बात Cr.P.C 161 के बयान में मैंनें लिखी है। गवाह अभय सुंदर ने आपके समक्ष ऐसा बयान दिया था कि "काउंटर क्लर्क डेली लिस्ट में बिल की राशि चढ़ाते थे तथा उसकी राशि डीटीओ

इंचार्ज राम बदन सिंह को बैंक में जमा करने के लिए दे देते थे। टोटलिंग में कम राशि अंकित करते थे। इसके लिये पूरी जिम्मेदारी डीटीओं इंचार्ज राम बदन सिंह की थी। वास्तविक बिल की राशि बैंक में जमा नहीं की जाती थी और कम राशि बैंक में जमा की जाती थी, शेष राशियों का राम बदन सिंह, उमेश कुमार सिंह, चंद्र शेखर, अनिल कुमार सिन्हा, इंद्र देव प्रसाद के द्वारा गबन कर लिया जाता था। जिससे बीएसएनएल को आर्थिक नुकसान होता था और अभियुक्तों को आर्थिक लाभ होता था।" इस पैरा की आधी बातें बयान में है और आधी बातें बयान में नहीं है। गवाह अभय सुंदर ने आपके समक्ष ऐसा बयान दिय था कि "short credit and wrong totaling from dated 01-10-2000 to 31-03-2002 के अवधि में 12 लाख 3 हजार 417 रूपये बैंक में कम जमा किया गया। यह कुल 2 पृष्ठों में है जो जे.पी. सिंह dealing assistant थे। यह जे.पी. के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है तथा अकाउंट ऑफिसर का भी हस्ताक्षर है।" इसकी आधी बातें बयान में है आधी बातें बयान में नहीं है। गवाह अभय सुंदर ने आपके समक्ष ऐसा बयान दिय था कि "उस समय दिनांक 01.10.2000 से 31.03.2002 तक के अवधि में डीटीओ ऑफिस बिहार शरीफ काउंटर क्लर्क एवं इंचार्ज उमेश कुमार सिंह, चंद्र शेखर, राम बदन सिंह, इंद्र देव प्रसाद, रतन राम, अनिल कुमार सिन्हा, एन.के झा कार्यरत थे। यह विवरणी जे.पी. सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। वो मेरे अधीनस्थ काम करते थे। इस में तिथि वार short credit का जिक्र है जो कि ऊपरोक्त अवधि में किया गया था।" इस पैरा की भी आधी बातें बयान में अंकित है और आधी बातें अंकित नहीं है। गवाह अभय सुंदर ने आपके समक्ष ऐसा बयान दिय था कि "दिनांक 09.10.1997 से 11.06.1998 के अवधि में 501937 रूपये का, दिनांक 25.06.1998 से 29.01.1999 में 552621 रूपये का एवं दिनांक 12.02.1999 से 30.03.1999 के अवधि में 157983 रूपये का short credit किया गया था। जो कुल मिलाकर 1212541 रूपये होता है। इसके लिये ऊपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेवार थे।" यह सभी बाते बयान में अंकित है। गवाह अभय सुंदर ने आपके समक्ष ऐसा बयान दिय था कि "यह सूची डेली लिस्ट missing से संबंधित है जो की वर्ष अक्टुबर 2000 से मार्च 2002 के अवधि तक का है।" यह जे.पी. सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। जिसमें जुनियर अकाउंट अफसर का भी हस्ताक्षर है।" ये बातें बयान में अंकित नहीं है। गवाह अभय सुंदर ने आपके समक्ष ऐसा बयान दिय था कि "यह सूची ENG-8 and ENG-9 missing से संबंधित है जो की दिनांक 26.10.2000 से 30.3.2002 के अवधि तक का है। यह जे.पी. सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। जिसमें जुनियर अकाउंट अफसर का भी हस्ताक्षर है।" ये बातें बयान में अंकित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पैरा 61 से 66 तक अभय सुंदर के बयान के संदर्भ में मैंनें जो भी कहा कि वैसा बयान अभय सुंदर ने मेरे समक्ष नहीं दिया था यह कहना गलत है कि वास्तविक बात यह है कि वैसा बयान अभय सुंदर ने मेरे समक्ष नहीं दिया और पहली बार अभय सुंदर ने उन बातों को मुख्य परीक्षा के दौरान कहा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है। प्रदर्श 79 मुझे संबोधित किया गया है। इसमें यह अंकित नहीं है कि इसमें कितने पन्नों का अनुलग्नक संलग्न है। प्रदर्श 79 के साथ 18 पन्ना संलग्न है जो कंप्यूटर जेनरेटेड है। प्रदर्श 79 के साथ जो 18 पन्नें का अनुलग्नक है वह बैंकर्स बुक evidence act के अधीन सर्टिफाइड नहीं है। अभियुक्त रामबदन सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैं राम बदन सिंह के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त करने के लिए संबंधित कागजात और गवाहों के बयान भेजे थे। अभियोजन स्वीकृति आदेश अर्जुन सिंह ने दिया था जिनका पदनाम DGM admin था। ऐसी बात नहीं है कि राम बदन सिंह का sanction authority General Manager BSNL थे। यह कहना गलत है कि मैंनें गलत sanction order लिया है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या–5 पंकज कुमार, संयुक्त निदेशक, ईएसआईसी, एमसीएच, नोयडा ने अपने साक्ष्य में बताया कि "मैं दिनांक 30.09.2003 को

बीमा निरीक्षक के पद पर क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पटना में कार्यरत था। दिनांक 30.09.2003 को अपने कार्यालय आदेश के आलोक में अपने सहयोगी बीमा निरीक्षक बी.बी. गुप्ता के साथ सीबीआई कार्यालय बेली रोड गया था। वहाँ मैं एच. हेमरम सीबीआई ऑफिसर से मिला। कार्यालय में जाकर के मुझे ये पता चला की एक सीबीआई के मैटर में कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे। उनलोगों से मुझे रूबरू कराया गया साथ ही उनका परिचय पत्र भी मुझे दिखाया गया और ये मुझे बताया गया कि उनके हस्ताक्षर के नमुने को पहचान करना है। उन्होनें मेरे समक्ष कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किये गये और उन्हीं कागजातों पर जो की Specimen writing/ हस्ताक्षर था। उन्होंने अपनी हस्ताक्षर और लिखावट बिना किसी दबाव के मेरे समकक्ष किये थे। साक्षी पूर्व प्रदर्श 78 को देखकर कहते हैं कि यह चंद्र शेखर के द्वारा लिखावट और हस्ताक्षर है। यह मेरे समक्ष बिना किसी दबाव और सहमति से किया गया है। इस कागजात पर मेरे भी हस्ताक्षर है। चंद्र शेखर के लिखावट कुल 8 पन्नों पर है और इन सभी कागजातों पर मेरा भी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार नवीन कुमार झा की लिखावट और हस्ताक्षर के नमुने पर जो की 9 पन्नों पर है और मेरे समकक्ष श्री नवीन कुमार झा के द्वारा बिना किसी दबाव और स्वेच्छा से किये गये। इन सभी 9 पन्नों पर मेरा भी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार श्री उमेश कुमार सिंह की लिखावट और हस्ताक्षर के नमुने पर जो की 8 पन्नों पर है और मेरे समकक्ष श्री नवीन कुमार झा के द्वारा बिना किसी दबाव और स्वेच्छा से किये गये। इन सभी 8 पन्नों पर मेरा भी हस्ताक्षर है। मेरे सहयोगी स्व. बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर को पहचान करता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ कार्य किया है। स्व. बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर की पहचान कुल 8 पन्नों पर है जो कि राम बदन सिंह के लिखावट और हस्ताक्षर के नमुने पर है। जिसे मैं पहचानता हूँ। सीबीआई अधिकारी श्री एच. हेमरम ने भी उन सभी कागजातों पर हस्ताक्षर किये और उस पर मेरे भी हस्ताक्षर है। मेरे सहयोगी स्व. बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर को पह. चान करता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ कार्य किया है। स्व. बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर की पहचान कुल 6 पन्नों पर है जो कि अनिल कुमार सिन्हा के लिखावट और हस्ताक्षर के नमुने पर है। जिसे मैं पहचानता हूँ।

अभियुक्त नवीन कुमार झा और अनिल कुमार सिन्हा की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि दिनांक 30.09.2003 बीमा निरीक्षक के पद पर क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पटना में कार्यरत था। इसका कोई कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया हूँ। आज से पहले इस केस से संबंधित किसी भी authority और न किसी कोर्ट के समक्ष न तो बयान दिया और न तो गवाही दिया हूँ। आज न्यायालय में पहली बार प्रदर्श 78 को देख रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी सीबीआई कार्यालय में गया और न ही मेरे सामने नवीन कुमार झा एवं अनिल कुमार सिन्हा का कोई specimen Signature लिया गया था। अभियुक्त राम बदन सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि अभी मेरे पास कोई पत्र नहीं है जो सीबीआई कार्यालय से सीबीआई आने के लिए कहा गया था। यह कागजात मेरे बीमा कर्मचारी निगम कार्यालय में है। मैंने राम बदन सिंह का आधार कार्ड या परिचय पत्र न तो मांगा और न तो देखा था। मैंने बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर के पहचान की है। राम बदन सिंह का हस्ताक्षर लेते समय पुलिस पदाधिकारी हेमरम साहब वहाँ मौजुद नहीं थे। ऐसी बात नहीं है कि मैं आज न्यायालय में झूँठी गवाही दे रहा हूँ। अभियुक्तगण चंद्र शेखर एवं उमेश कुमार सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि पूर्व प्रदर्श 78 के 8 पन्नों जिसमें अभियुक्त चंद्र शेखर का लिखावट और हस्ताक्षर लिया गया है उसके किसी पन्ने पर यह अंकित नहीं है यह लिखावट एवं हस्ताक्षर कितने बजे लिया गया है तथा किसी भी पन्ने यह अंकित नहीं है कि यह लिखावट और हस्ताक्षर किस स्थान पर लिया गया है। इस प्रदर्श के सभी पन्नों पर यह अंकित है कि यह specimen writing और हस्ताक्षर हेतु चंद्र शेखर जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गय है, साथ ही यह भी लिखा गया है कि यह मेरे समक्ष हुआ है जो मेरे हस्ताक्षर के ऊपर है जो मेरे द्वारा " in presence of" लिखा गया था। ऊपरोक्त

8 पन्नों पर ऐसा नहीं लिखा गया है की in my presence signature and writing of accused Chandra shekher was obtained पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि यह पूर्ण वाक्य मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। हालांकि मेरे द्वारा in presence of लिखा गया है और इस " in presence of " का क्या किया गया पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि मेरे कलम के द्वारा यह अंकित नहीं है कि in presence of का क्या किया गया है। किसी के द्वारा कलम से नहीं लिखा गया है हालांकि इन पन्नों पर यह उल्लेखित है यह Specimen writing or signature हेतु प्रयोग किया गया है। यह भी कहना सही है कि ऊपरोक्त 8 पन्नों में यह अंकित नहीं है कि हस्ताक्षर और लिखावट को लेने प्रकिया कितनी अवधि तक चली। पूर्व प्रदर्श 78 के 8 पन्नों जिसमें अभियुक्त चंद्र शेखर का लिखावट और हस्ताक्षर लिया गया है उसके किसी पन्ने पर यह अंकित नहीं है यह लिखावट एवं हस्ताक्षर कितने बजे लिया गया है। किसी भी पन्ने यह अंकित नहीं है कि यह लिखावट और हस्ताक्षर किस स्थान पर लिया गया है। ऊपरोक्त 8 पन्नों के किसी भी पन्नों पर आपका कोई endorsement या सर्टिफिकेट है कि उमेश कुमार सिंह का हस्ताक्षर और लिखावट आपके समक्ष लिया गया था पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि मेरे समक्ष उनका हस्ताक्षर श्री उमेश कुमार सिंह के द्वारा दिया गया। ऊपरोक्त सभी 8 पन्नों पर यह अंकित है कि यह specimen writing और हस्ताक्षर हेतु उमेश कुमार सिंह जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, साथ ही यह भी लिखा गया है कि यह मेरे समक्ष हुआ है जो मेरे हस्ताक्षर के ऊपर है जो मेरे द्वारा " in presence of" लिखा गया था। यह कहना सही है कि आपके द्वारा ऊपरोक्त 8 पन्नों पर ऐसा नहीं लिखा गया है की in my presence signature and writing of accused Umesh Kumar Singh was obtained। यह पूर्ण वाक्य मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। हालांकि मेरे द्वारा in presence of लिखा गया है। मेरे कलम के द्वारा यह अंकित नहीं है कि in presence of का क्या किया गया है। ऊपरोक्त 8 पन्नों पर किसी के द्वारा कलम से लिखा गया है कि in presence of क्या किया गया, पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि किसी के द्वारा कलम से नहीं लिखा गया है हालांकि इन पन्नों पर यह उल्लेखित है यह Specimen writing or signature हेतु प्रयोग किया गया है। ऊपरोक्त 8 पन्नों यह अंकित नहीं है कि लिखावट और हस्ताक्षर किस posture में लिया गया है। यह भी कहना सही है कि ऊपरोक्त 8 पन्नों यह अंकित नहीं है कि हस्ताक्षर और लिखावट को लेने प्रकिया कितनी अवधि तक चली। ऊपरोक्त 8 पन्नों पर सबसे नीचे bracket के अंदर उमेश कुमार सिंह लिखा हुआ है और उसके ऊपर U.K. Singh अंकित है उसमें से U और K को काटा गया है, पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि यह U.K. Singh का हस्ताक्षर ही है। ऊपरोक्त 8 पन्नों में से 1 पन्ने पर जिसमें बायें तरफ ब्लु पेंसिल से S-64 अंकित है, उसमें ऊपर से चौथी लाइन में अंक 4 के पहले कुछ लिखा गया है जिस पर कटिंग है, वो U.K. Singh का initial है। ऊपरोक्त कटिंग पर कोई तारीख या समय अंकित नहीं है, यह सही बात है। ऊपरोक्त पन्ने पर in presence of लिखा हुआ व मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ है अतः जो भी अंकित है उस पन्ने पर वह मेरे द्वारा endorse है। ऊपरोक्त 8 पन्नों में से 1 पन्ने पर जो ऊपर में ब्लू पेंसिल से S-65 अंकित है उस पन्ने पर ऊपर से नौंवी लाइन में अंक 7 के पहले कटिंग है, यह सही है ऊपरोक्त 8 पन्नों में से 1 पन्ने पर जो ऊपर में ब्लु पेंसिल से S-65 अंकित है उस पन्ने पर अंतिम लाइन में अंक 8 के पहले कटिंग है, यह सही बात है। मुझे दिनांक 30.09.2003 को सीबीआई के समक्ष जाने के लिए मेरे कार्यालय के द्वारा निर्देश लगभग दो बजे के बाद मिला था। ऊपरोक्त S-64 और S-65 अंकित कागजातों पर जो हस्ताक्षर तथा लिखावट नमुना लेने की बात है यह कार्य सीबीआई कार्यालय के किस निर्दिष्ट स्थान पर संपन्न हुआ यह अंकित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे द्वारा सीबीआई के दबाव में ऊपरोक्त 8 पन्नों, S-64 और S-65 अंकित पन्नों पर सिर्फ हस्ताक्षर किया गया है, endorsement किया गया और मेरे समक्ष आरोपी चंद्र

शेखर और अरोपी उमेश कुमार सिंह का लिखावट ओर हस्ताक्षर का नमुना नहीं लिया गया।"

16. अभियोजन साक्षी संख्या–6 विजय कुमार, सेवानिवृत्त बीएसएनएल एकाउंट्स ऑफिसर, पटना ने अपने साक्ष्य में बताया कि "मैं बीएसएनएल पटना में अकाउंट ऑफिसर सीए के पद पर पटना बीएसएनएल में वर्ष 1999 से 2004 तक कार्यरत था। उपमहाप्रबंधक सर्तकता कार्यालय मुख्य महा प्रबंधक बिहार सर्कल पटना के पत्रांक दिनांक 30.05.2000 के आदेश से मुझे यह निर्देशित किया गया की आप बिहार शरीफ टार घर बीएसएनएल बिहार शरीफ में जाकर नकद घोटाले का जॉच किया जाय। इसके लिए मुझे अधिकृत किया गया था। इस टीम में मेरे अलावा तीन और सदस्य थे जिसका नाम श्री नवल किशोर, श्री अवध बिहारी प्रसाद एवं मथुरा प्रसाद अधिकृत थे। मामले से संबंधित सभी दस्तावेज जिसमें ENG 9, daily list, Cash Handling register, TRA register, Cash book, ACG 89 (चालान) इत्यादी का अवलोकन किया और जॉच के दौरान हमलोगों ने पाया की ENG 9 (money receipt) रसीद जो टेलीफोन संग्रह के लिए काटा जाता था तद्पोरांत जो डेली लिस्ट (इसमें प्रतिदिन का ENG 9 का रसीद वार विवरण प्रतिदिन प्रत्येक काउंटर द्वारा बनाया जाता था) में यह पाया गया कि जो राशि रसीद पर अंकित थी वह प्रतिदिन के हिसाब से वह डेली लिस्ट पर चाढ़ाया जाता था जिसका टोटल कुल बिल गलत दर्शाया जाता था। इसके अलावा कैश में पाया गया कि श्री राम बदन सिंह डीटीओ इंचार्ज बिहार शरीफ जो रकम काउंटर क्लर्क से बिल भुगतान के एवज में प्राप्त करते थे उसे दैनिक वार में पुरी रकम बैंक को नहीं जमा किया जाता था। डिटीओं इंचार्ज की यह जिम्मेवारी है कि जो रकम काउंटर क्लर्क से प्राप्त हुआ है वह पूर्ण रूप से बैंक में जमा करनी है। इस संबंध में सभी नियोजित जॉच करता ने अपनी रिपोर्ट ENG रसीद नंबर, डेली लिस्ट नंबर, कैश बुक प्रविष्टि, TRA रजिस्टर चालान के आधार पर पूर्ण रूप से जो गड़बड़ी किया गया है वह विभाग को समर्पित कर दिया गया। इस घटना के समय काउंटर क्लर्क आर.के प्रसाद, चंद्र शेखर, उमेश कुमार सिंह, आर.के.एल. दास बिल काउंटर पर विभागीय राजस्व का संग्रह करते थे और राम बदन सिंह बीएसएनएल बिहार शरीफ में इंचार्ज थे। श्री राम बदन सिंह टार घर का इंचार्ज थे। विभागीय नियमानुसार डीटीओ इंचार्ज पूर्ण रूप से रकम जमा करने के लिए जिम्मेदार थे। उनके द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरतकर सरकारी राजस्व का गबन किया गया। साक्षी पूर्व प्रदर्श 2 को देखकर कहते हैं कि दिनांक 05.06.1999 डीएल नंबर 101 और 102 रसीद नंबर 134 से 144, 196 से 200 कुल रकम प्राप्त डीएल के अनुसार रूपये 79473 प्लस 9000 रूपये कैश बुक में चार्ज रकम 18473 रूपये का गबन 70 हजार रूपये का गबन हुआ है। दिनांक 10.09.1999 डीएल नंबर 282 283 और 284 रसीद नंबर 215 से 219, 153 से 155 कुल रकम प्राप्त डीएल के अनुसार रूपये 52065 प्लस 7000 प्लस 5968 रूपये कैश बुक में चार्ज रकम 15033 रूपये का गबन 50 हजार रूपये का गबन हुआ है। पूर्व प्रदर्श 2 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह मेरे द्वारा तैयार किया गया है उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं उस पर मैंनें तिथि बार रसीद नंबर, डेली लिस्ट नंबर, कैश बुक चालान के आधार पर गबन की हुई राशि तथा अनियमितता का उल्लेख किया है। पूर्व प्रदर्श 2 रिपोर्ट पर मेरे लिखावट और हस्ताक्षर को पहचानता हूँ।

अभियुक्तगण श्री चंद्र शेखर, अनिल कुमार सिन्हा, उमेश कुमार सिंह एवं इंद्र देव प्रसाद की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि पूर्व प्रदर्श 2 को देखकर साक्षी कहा कि यह कुल 4 पन्नों है। पूर्व प्रदर्श 2 के चार पन्नों में कहीं भी इस बात का जिक्र है कि इन चार पन्नों के साथ कोई कागजात अनुलग्नक के रूप में संलग्न है यह पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि जो विवरण तैयार किया गया है वह मनी रसीद की मूल प्रति कैश बुक की मूल प्रति, डीएल की मूल प्रति के आधार पर बनाया गया है और उसका

इंक्लोजर हमारे विभाग के विजिलेंस ऑफिसर द्वारा सीबीआई को समर्पित किया जा चूका है। ऐसी बात नहीं है कि मैंनें प्रश्न संख्या 9 में जो सवाल पुछा गया बदनियति से उसका उत्तर नहीं दिया और जो उत्तर मैंनें जो दिया वह प्रश्न 9 का उत्तर नहीं है। पूर्व प्रदर्श 2 के 4 पन्नों में जहॉ पर प्रदर्श के साथ संबंधित कागजात के संलग्न किये जाने का वर्णन है उसे लिखा देने के लिए कहने पर साक्षी ने बताया कि consolidated रिपोर्ट जो कि चार सदस्यों द्वारा बीएसएनएल के सर्तकता पदाधिकारी को समर्पित किया जा चुका है। सर्तकता अधिकारी ने सभी अनुलग्नक के साथ सीबीआई को समर्पित कर चुके हैं। पूर्व प्रदर्श 2 के पहले पन्ने पर, पूर्व प्रदर्श 2 के साथ क्या कागजात संलग्न किये जा रहे हैं इसका जिक्र लिखित रूप में है या नहीं पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि अपेक्षित संलग्नक की मूल प्रति जो कि रिपोर्ट में वर्णित है वह बीएसएनएल के सतर्कता पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप में सीबीआई को समर्पित किया जा चूका है, इसलिये अनुलग्नक का बात करना बेईमानी है। प्रदर्श 2 एक रिपोर्ट है जो 4 पन्ने का है जिसका अनुलग्नक समेकित रूप से बीएसएनएल के सतर्कता पदाधिकरी द्वारा सीबीआई को समर्पित किया जा चूका है जिसका विवरण सीबीआई से प्राप्त किया जा सकता है। प्रदर्श 2 के साथ कोई भी अनुलग्नक संलग्न नहीं है यही वजह है की उसका विवरण सीबीआई से प्राप्त करने की बात आपने कही है सही बात है न? पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि संलग्नक समेकित रूप से बीएसएनएल सतर्कता पदाधिकरी द्वारा दिया जा चूका है। प्रदर्श 2 पर कोई अनुलग्नक संलग्न नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी जॉच रिपोर्ट गलत है तथा सीबीआई के मेल में आकर झूठी गवाही दे रहा हूॅ तथा यही कारण है कि प्रदर्श 2 के साथ कोई supporting document नहीं है। अभियुक्त एन.के. झा की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि कस्टमर से जो पैसा आता था काउंटर पर काउंटर क्लर्क के द्वारा ENG 9(money receipt) बनाया जाता था। ENG 9 फॉर्म दो कॉपी में बनाया जाता था जिसमें से एक कार्बन कॉपी और एक मूल कॉपी होता था। मूल कॉपी कस्टमर को दे दिया जाता था और कार्बन कॉपी कार्यालय में कार्य आगे बढ़ाने के लिए रख लिया जाता था। उसी के आधार पर डेली लिस्ट बनता था। डेली लिस्ट भी ENG 9 के आधार पर काउंटर क्लर्क के द्वारा बनाया जाता था। डेली लिस्ट की प्रविष्टी टोटल करने के बाद हैंड ओवर टेक ओवर रजिस्टर पर प्रविष्टी कर तार घर इंचार्ज श्री राम बदन सिंह को नगद रूपये एवं चेक सौंप दिया जाता था। तदोपरांत इंचार्ज साहब कैश बुक /बैंक बुक ने चढ़ाकर बैंक को जमा कर देते थे। मेरे इंक्वायरी के द्वारा मैंनें किसी भी ENG 9 रसीद पर अमाउंट बैंक में भेज दिया गया ये इंचार्ज के द्वारा नहीं दर्शाया गया था। कोई भी भूल चूक हो उसे adjust किया जा सकता है। विभागीय फाइंनेंशियल हैंड बुक में वर्णित है। नवीन कुमार झा के खिलाफ मैंनें कोई जॉच नहीं किया था क्योंकि वे रसीद काटने में सम्मलित नहीं थे। अभियुक्त राम बदन सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैंनें अपने जॉच में कोई गवाह नहीं बनया था और न ही उनका बयान लिया था। कस्टमर से जो पैसा आता था काउंटर पर काउंटर क्लर्क के द्वारा ENG 9(money receipt) बनाया जाता था। ENG 9 फॉर्म दो कॉपी में बनाया जाता था जिसमें से एक कार्बन कॉपी और एक मूल कॉपी होता था। मूल कॉपी कस्टमर को दे दिया जाता था और कार्बन कॉपी कार्यालय में कार्य आगे बढ़ाने के लिए रख लिया जाता था। ENG 9 दो प्रति में काउंटर क्लर्क द्वारा तैयार होता था जिसमें एक प्रति कस्टमर को दिया जाता था और दूसरा प्रति ऑफिस प्रति के रूप में रखा जाता था। कैश बुक का इंटरनल ऑडिट दो तीन साल के अंतराल पर होता था। ऐसी बात नहीं है कि राम बदन सिंह डेली लिस्ट में प्राप्त रकम को पूर्ण रूप से जमा करते थे। ऐसी बात नहीं है कि मैं सीबीआई के मेल में आकर झूॅठी गवाही दे रहा हूॅ।"

17. अभियोजन साक्षी संख्या–7 जावेद इकबाल, सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, पटना ने अपने साक्ष्य में बताया कि "मैं

दिनांक 30.09.2003 को बीमा निरीक्षक के पद पर क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पटना में कार्यरत था। दिनांक 30.09.2003 को अपने कार्यालय आदेश के आलोक में अपने सहयोगी बीमा निरीक्षक बी.बी. गुप्ता के साथ सीबीआई कार्यालय बेली रोड गया था। वहाँ मैं एच. हेमरम सीबीआई ऑफिसर से मिला। कार्यालय में जाकर के मुझे ये पता चला की एक सीबीआई के मैटर में कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे। उनलोगों से मुझे रूबरू कराया गया साथ ही उनका परिचय पत्र भी मुझे दिखाया गया और ये मुझे बताया गया कि उनके हस्ताक्षर के नमुने को पहचान करना है। उन्होंने मेरे समक्ष कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किये गये और उन्हीं कागजातों पर जो की Specimen writing/ हस्ताक्षर था। उन्होंने अपनी हस्ताक्षर और लिखावट बिना किसी दबाव के मेरे समकक्ष किये थे। साक्षी पूर्व प्रदर्श 78 को देखकर कहा कि यह चंद्र शेखर के द्वारा लिखावट और हस्ताक्षर है। यह मेरे समक्ष बिना किसी दबाव और सहमति से किया गया है। इस कागजात पर मेरे भी हस्ताक्षर है। चंद्र शेखर के लिखावट कुल 8 पन्नों पर है और इन सभी कागजातों पर मेरा भी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार नवीन कुमार झा की लिखावट और हस्ताक्षर के नमुने पर जो की 9 पन्नों पर है और मेरे समकक्ष श्री नवीन कुमार झा के द्वारा बिना किसी दबाव और स्वेच्छा से किये गये। इन सभी 9 पन्नों पर मेरा भी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार श्री उमेश कुमार सिंह की लिखावट और हस्ताक्षर के नमुने पर जो की 8 पन्नों पर है और मेरे समकक्ष श्री नवीन कुमार झा के द्वारा बिना किसी दबाव और स्वेच्छा से किये गये। इन सभी 8 पन्नों पर मेरा भी हस्ताक्षर है। मेरे सहयोगी स्व. बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर को पहचान करता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ कार्य किया है। स्व. बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर की पहचान कुल 8 पन्नों पर है जो कि राम बदन सिंह के लिखावट और हस्ताक्षर के नमुने पर है। जिसे मैं पहचानता हूँ। सीबीआई अधिकारी श्री एच. हेमरम ने भी उन सभी कागजातों पर हस्ताक्षर किये और उस पर मेरे भी हस्ताक्षर है। मेरे सहयोगी स्व. बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर को पहचान करता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ कार्य किया है। स्व. बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर की पहचान कुल 6 पन्नों पर है जो कि अनिल कुमार सिन्हा के लिखावट और हस्ताक्षर के नमुने पर है। जिसे मैं पहचानता हूँ।

अभियुक्त नवीन कुमार झा और अनिल कुमार सिन्हा की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि दिनांक 30.09.2003 बीमा निरीक्षक के पद पर क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पटना में कार्यरत था। इसका कोई कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया हूँ। आज से पहले इस केस से संबंधित किसी भी authority और न किसी कोर्ट के समक्ष न तो बयान दिया और न तो गवाही दिया हूँ। आज न्यायालय में पहली बार प्रदर्श 78 को देख रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी सीबीआई कार्यालय में गया और न ही मेरे सामने नवीन कुमार झा एवं अनिल कुमार सिन्हा का कोई specimen Signature लिया गया था। अभियुक्त राम बदन सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि अभी मेरे पास कोई पत्र नहीं है जो सीबीआई कार्यालय से सीबीआई आने के लिए कहा गया था। यह कागजात मेरे बीमा कर्मचारी निगम कार्यालय में है। मैंने राम बदन सिंह का आधार कार्ड या परिचय पत्र न तो मांगा और न तो देखा था। मैंने बी.बी गुप्ता के हस्ताक्षर के पहचान की है। राम बदन सिंह का हस्ताक्षर लेते समय पुलिस पदाधिकारी हेमरम साहब वहाँ मौजुद नहीं थे। ऐसी बात नहीं है कि मैं आज न्यायालय में झूँठी गवाही दे रहा हूँ। अभियुक्तगण चंद्र शेखर एवं उमेश कुमार सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि पूर्व प्रदर्श 78 के 8 पन्नों जिसमें अभियुक्त चंद्र शेखर का लिखावट और हस्ताक्षर लिया गया है उसके किसी पन्ने पर यह अंकित नहीं है यह लिखावट एवं हस्ताक्षर कितने बजे लिया गया है। किसी भी पन्ने यह अंकित नहीं है कि यह लिखावट और हस्ताक्षर किस स्थान पर लिया गया है। मेरे समक्ष उनका हस्ताक्षर श्री चंद्र शेखर के द्वारा दिया गया। ऊपरोक्त सभी 8 पन्नों पर यह अंकित है कि यह specimen writing और हस्ताक्षर हेतु चंद्र शेखर जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, साथ ही यह भी लिखा गया है कि यह मेरे समक्ष हुआ है जो मेरे हस्ताक्षर के ऊपर है

जो मेरे द्वारा " in presence of" लिखा गया था। यह कहना सही है कि आपके द्वारा ऊपरोक्त 8 पन्नों पर ऐसा नहीं लिखा गया है की in my presence signature and writing of accused Chandra shekher was obtained पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि यह पूर्ण वाक्य मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। हालांकि मेरे द्वारा in presence of लिखा गया है और मेरे कलम के द्वारा यह अंकित नहीं है कि in presence of का क्या किया गया है। ऊपरोक्त 8 पन्नों पर किसी के द्वारा कलम से लिखा गया है कि in presence of क्या किया गया, पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि किसी के द्वारा कलम से नहीं लिखा गया है हालांकि इन पन्नों पर यह उल्लेखित है यह Specimen writing or signature हेतु प्रयोग किया गया है। ऊपरोक्त 8 पन्नों यह अंकित नहीं है कि लिखावट और हस्ताक्षर किस posture में लिया गया है। यह भी कहना सही है कि ऊपरोक्त 8 पन्नों यह अंकित नहीं है कि हस्ताक्षर और लिखावट को लेने प्रकिया कितनी अवधि तक चली। पूर्व प्रदर्श 78 के 8 पन्नों जिसमें अभियुक्त चंद्र शेखर का लिखावट और हस्ताक्षर लिया गया है उसके किसी पन्ने पर यह अंकित नहीं है यह लिखावट एवं हस्ताक्षर कितने बजे लिया गया है। किसी भी पन्ने यह अंकित नहीं है कि यह लिखावट और हस्ताक्षर किस स्थान पर लिया गया है। ऊपरोक्त 8 पन्नों के किसी भी पन्नों पर आपका कोई endorsement या सर्टिफिकेट है कि उमेश कुमार सिंह का हस्ताक्षर और लिखावट आपके समक्ष लिया गया था, पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि मेरे समक्ष उनका हस्ताक्षर श्री उमेश कुमार सिंह के द्वारा दिया गया। ऊपरोक्त 8 पन्नों में सभी पन्नों पर यह अंकित है कि यह specimen writing और हस्ताक्षर हेतु उमेश कुमार सिंह जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, साथ ही यह भी लिखा गया है कि यह मेरे समक्ष हुआ है जो मेरे हस्ताक्षर के ऊपर है जो मेरे द्वारा " in presence of" लिखा गया था। ऊपरोक्त 8 पन्नों पर ऐसा नहीं लिखा गया है की in my presence signature and writing of accused Umesh Kumar Singh was obtained। यह पूर्ण वाक्य मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। हालांकि मेरे द्वारा in presence of लिखा गया है। मेरे कलम के द्वारा यह अंकित नहीं है कि in presence of का क्या किया गया है। किसी के द्वारा कलम से नहीं लिखा गया है हालांकि इन पन्नों पर यह उल्लेखित है यह Specimen writing or signature हेतु प्रयोग किया गया है। ऊपरोक्त 8 पन्नों यह अंकित नहीं है कि लिखावट और हस्ताक्षर किस posture में लिया गया है। यह भी कहना सही है कि ऊपरोक्त 8 पन्नों यह अंकित नहीं है कि हस्ताक्षर और लिखावट को लेने प्रकिया कितनी अवधि तक चली। ऊपरोक्त 8 पन्नों पर सबसे नीचे bracket के अंदर उमेश कुमार सिंह लिखा हुआ है और उसके ऊपर U.K. Singh अंकित है उसमें से U औ K को काटा गया है, यह U.K. Singh का हस्ताक्षर ही है। ऊपरोक्त 8 पन्नों में से 1 पन्ने पर जिसमें बायें तरफ ब्लु पेंसिल से S-64 अंकित है, उसमें ऊपर से चौथी लाइन में अंक 4 के पहले कुछ लिखा गया है जिस पर कटिंग है, वो U.K. Singh का initial है। ऊपरोक्त कटिंग पर कोई तारीख या समय अंकित नहीं है। ऊपरोक्त पन्ने पर in presence of लिखा हुआ व मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ है अतः जो भी अंकित है उस पन्ने पर वह मेरे द्वारा endorse है। यह सही बात है कि ऊपरोक्त 8 पन्नों में से 1 पन्ने पर जो ऊपर में ब्लु पेंसिल से S-65 अंकित है उस पन्ने पर ऊपर से नौंवी लाइन में अंक 7 के पहले कटिंग है और यह सही बात है कि ऊपरोक्त 8 पन्नों में से 1 पन्ने पर जो ऊपर में ब्लु पेंसिल से S-65 अंकित है उस पन्ने पर अंतिम लाइन में अंक 8 के पहले कटिंग है। मुझे दिनांक 30.09.2003 को सीबीआई के समक्ष जाने के लिए मेरे कार्यालय के द्वारा निर्देश लगभग दो बजे के बाद मिला था। ऊपरोक्त S-64 और S-65 अंकित कागजातों पर जो हस्ताक्षर तथा लिखावट नमुना लेने की बात है यह कार्य सीबीआई कार्यालय के किस निर्दिष्ट स्थान पर संपन्न हुआ, यह अंकित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे द्वारा सीबीआई के दबाव में ऊपरोक्त 8 पन्नों, S-64 और S-65 अंकित पन्नों पर सिर्फ हस्ताक्षर किया गया है, endorsement

किया गया और मेरे समक्ष आरोपी चंद शेखर और अरोपी उमेश कुमार सिंह का लिखावट ओर हस्ताक्षर का नमुना नहीं लिया गया।"

18. अभियोजन साक्षी संख्या–8 अभय सुंदर, एकाउंट्स ऑफिसर मोबाईल, बीएसएनएल, पटना ने अपने साक्ष्य में बताया कि "मैं वर्ष 1991 से वर्तमान तक बीएसएनएल में कार्यरत हूं। साक्षी पूर्व प्रदर्श–6/2 को देखकर कहते हैं कि इसमें दिनांक 15.05.1998 से 30.03.1999 तक बीएसएनएल बिहारशरीफ में डीटीओ ऑफिस में कार्यरत अनिल कुमार सिन्हा, चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह, इंद्रदेव एवं डीटीओ इंचार्ज रामबदन सिंह के द्वारा कुल 12,12,541 रूपये का शॉर्ट क्रेडिट बैंक में जमा किया गया था। काउंटर क्लर्क उपभोक्ता से टेलीफोन बिल एवं तार के एवज में जो बिल का पैसा लेते थे, उसको कैश रिसीट में अंकित करते थे। उसके बाद कैश रिसीट के राशि को काउंटर क्लर्क अपना इंडीविजूअल डेली लिस्ट बनाते थे। काउंटर क्लर्क डेली लिस्ट में बिल की राशि चढ़ाते थे तथा उसकी राशि डीटीओं इंचार्ज रामबदन सिंह को बैंक में जमा करने के लिए दे देते थे। टोटलिंग में कम राशि अंकित करते थे। इसके लिये पूरी जिम्मेदारी डीटीओ इंचार्ज राम बदन सिंह की थी। वास्तविक बिल की राशि बैंक में जमा नहीं की जाती थी और कम राशि बैंक में जमा की जाती थी, शेष राशियों का राम बदन सिंह, उमेश कुमार सिंह, चंद्र शेखर, अनिल कुमार सिन्हा, इंद्र देव प्रसाद के द्वारा गबन कर लिया जाता था। जिससे बीएसएनएल को आर्थिक नुकसान होता था और अभियुक्तों को आर्थिक लाभ होता था। साक्षी short credit and wrong totaling from dated 01.10.2000 to 31.03.2002 के अवधि में 12 लाख 3 हजार 417 रूपये बैंक में कम जमा किया गया। यह कुल 2 पृष्ठों में है जो जे.पी सिंह dealing assistant थे। यह जे.पी के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है तथा जुनियर अकाउंट ऑफिसर का भी हस्ताक्षर है। इसे पहचानता हूँ। इसे बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ प्रदर्श P-81/PW–8 अंकित किया जाता है। उस समय दिनांक 01.10.2000 से 31.03.2002 तक के अवधि में डीटीओ ऑफिस बिहार शरीफ काउंटर क्लर्क एवं इंचार्ज उमेश कुमार सिंह, चंद्र शेखर, राम बदन सिंह, इंद्र देव प्रसाद, रतन राम, अनिल कुमार सिन्हा, एन.के झा कार्यरत थे। यह विवरणी जेपी सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। जिसे मैं पहचानता हूँ। वो मेरे अधीनस्थ काम करते थे। इस में तिथि वार short credit का जिक है जो कि ऊपरोक्त अवधि में किया गया था। इन तीन पृष्ठों को बचाव पक्ष की आपत्ति के साथ प्रदर्श P-82/PW–8 अंकित किया जाता है। साक्षी ने पूर्व प्रदर्श 6 को देखकर कहा कि दिनाक 09.10.1997 से 11.06.1998 501937 रूपये का दिनांक 25.06.1998 से 29.01.1999 में 552621 रूपये का एवं दिनांक 12.02.1999 से 30.03.1999 के अवधि में 157983 रूपये का short credit किया गया था, जो कुल मिलाकर 1212541 रूपये होता है। इसके लिये ऊपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेवार थे। यह सूची डेली लिस्ट missing से संबंधित है, जो की वर्ष अक्टूबर 2000 से मार्च 2002 के अवधि तक का है। यह जेपी सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। जिसमें जुनियर अकाउंट अफसर का भी हस्ताक्षर है। यह कुल पृष्ठो में है। इसे बचाव पक्ष की आपत्ति के साथ प्रदर्श–P-83/PW–8 अंकित किया जाता है। साथ प्रदर्श यह सूची ENG–8 and ENG–9 missing में सबंधित है, जो की दिनांक 26.10.2000 से 30. 3.2002 के अवधि तक का है। यह जे0पी0 सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। जिसमें जुनियर अकाउंट ऑफिसर का भी हस्ताक्षर है। यह कुल 5 पृष्ठों में है। इसे बचाव पक्ष की आपत्ती के साथ प्रदर्श–P-84/PW–8 अंकित किया जाता है।

अभियुक्त नवीन कुमार झां की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी नें बताया कि मैं वर्तमान में लेखा पदाधिकारी के पद पर कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक पटना टेलिफोन बीएसएनएल पटना में हूँ। मैं विहारशरीफ कभी भी इसके जाँच के लिए नहीं गया था। स्वतः कहा कि मुझे कभी भी बिहारशरीफ के लिए नही भेजा गया । बिहारशरीफ ऑफिस में उस समय डीटीओ इंचार्ज राम बदन सिंह उमेश कुमार सिंह इंद देव प्रसाद, नवीन

कुमार झा, अनिल कुमार सिन्हा के अलावा दो तीन स्टाफ थे। राम बदन सिंह डीटीओ इंचार्ज थे और बाकि लोग काउंटर क्लर्क थे। एन0के0 झा काउंटर क्लर्क थे और वो टेलिफोन मैकेनिक कार्य करते थे। ऐसी बात नही है कि एन.के झा केवल टेलिफोन मैकेनिक थे। एन0के0 झा उस अवधि में बिहार शरीफ में कार्यरत थे। प्रदर्श–6/2 को तैयार करने में मेरा कोई योगदान नहीं है। प्रदर्श–81 एक calculation शीट है। प्रदर्श–81 मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया है और न ही इस पर मेरा हस्ताक्षर है। प्रदर्श–82 मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया है और न ही इस पर मेरा हस्ताक्षर है। ऐसी बात नहीं है कि में सीबीआई के कहने पर झूठी गवाही दिया है। अभियुक्त राम बदन सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा कि मैंने दस्तावेजों को देखकर न्यायालय में बयान दिया है। ऊपरोक्त दस्तावेजों पर मेरा लिखावट या हस्ताक्षर नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि वर्ष 1999 में कोई इंटरनल ऑडिट किया गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि ऊपरोक्त अभियुक्तों द्वारा short credit किया गया था। यह short Credit की राशि विभाग में जमा कर दी गई थी। ऐसी बात नहीं है कि में सीबीआई के कहने पर झूठी गवाही दिया है। अभियुक्त उमेश कुमार सिंह, अनिल कुमार सिन्हा, चंद्र शेखर एवं इंद्र देव प्रसाद की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि इस केस अलावे मैंने और किसी केस में गवाही नहीं दी है। मैं वर्ष 1991 में बीएसएनएल में सिनियर टेलिकॉम ऑफिस अस्सिटेंट के पद पर कार्यरत था। बीएसएनएल में काउंटर क्लर्क लोग कस्टमर से बिल के against में जो भुगतान लेते हैं उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया से में भली–भाँति परिचित हूँ। बीएसएनएल में कस्टमर से बिल के against में जो भगुतान लिया जाता है वहाँ से लगायत बैंक में उस राशि को जमा करने की प्रकिया में काउंटर क्लर्क डीटीओ इंचार्ज शामिल होते हैं और बैंक में कस्टमर से जमा ली हुई राशि को जमा करने की जिम्मेदारी डीटीओ इचार्ज की होती है। बीएसएनएल में काउंटर क्लर्क तथा डीटीओं इंचार्ज की क्या जिम्मेदारी है या अधिकार है यह कहाँ defined है, यह मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये कहीं पर define जरूर है। पुनः कहा कि यह टेलिकॉम रूल में define है। कस्टमर से बिल के against में ली हुई राशि को बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी काउंटर क्लर्क की नहीं रहती है। कस्टमर से इस मुकदमे से संबंधित बिल के against में जो राशि बीएसएनएल बिहारशरीफ के ऑफिस में ली जाती थी और वह राशि बैंक में जमा होती थी उससे संबंधित मूल दस्तावेज जो इस मुकदमे से संबंधित है उन दस्तावेजों को मुझे देखने का मौका मिला है। बिहार शरीफ डीटीओ ऑफिस में इंचार्ज ही सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। उससे बड़ा पदाधिकारी पटना के ऑफिस में कार्यरत थे। मैं इस मुकदमे से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं बनाया है। सीबीआई के समक्ष मेरा बयान हुआ था। मैं सीबीआई के समक्ष ऐसा बयान दिया था कि प्रदर्श 6/2 के अनुसार दिनाक 15.05.1998 से 30.03.1999 तक बीएसएनएल, बिहारशरीफ में डीटीओ ऑफिस में कार्यरत अनिल कुमार सिन्हा चंद्र शेखर उमेश कुमार सिंह, इंद्र देव, एवं डीटीओ इंचार्ज राम बदन सिंह के द्वारा कुल 12 लाख 12 हजार 541 रूपये का short credit बैंक में जमा किया गया था। मुझे याद नहीं है कि मैनें सीबीआई के समक्ष ऐसा बयान दिया था या नहीं कि काउंटर क्लर्क उपभोक्ता से टेलिफोन बिल एव तार के एवज में जो बिल का पैसा लेते थे उसको ENG 9 (कैश रिसीट) में अंकित करते थे। उसके बाद कैश रिसिट के राशि को काउंटर क्लर्क अपना individual डेली लिस्ट बनाते थे। मैंने सीबीआई के समक्ष ऐसा बयान दिया था कि काउंटर क्लर्क डेली लिस्ट में बिल की राशि चढ़ाते थे तथा उसकी राशि डीटीओ इंचार्ज राम बदन सिह को बैंक में जमा करने के लिए दे देते थे। टोटलिंग में कम राशि अंकित करते थे। इसके लिये पूरी जिम्मेदारी डीटीओ इंचार्ज राम बदन सिंह की थी। वास्तविक बिल की राशि बैंक में जमा नहीं की जाती थी और कम राशि बैंक में जमा की जाती थी शेष राशियों का राम बदन सिंह, उमेश कुमार सिंह, चंद्र शेखर, अनिल कुमार सिन्हा इंद्र देव प्रसाद के द्वारा गबन कर लिया जाता था, जिससे बीएसएनएल को आर्थिक नुकसान होता था और अभियुक्तों को आर्थिक लाभ होता था। ऐसा बयान मैंने

सीबीआई के समक्ष दिया था कि "short credit and wrong totaling from dated 01.10.2000 to 31.03.2002 के अवधि में 12 लाख 3 हजार 417 रूपये बैंक में कम जमा किया गया। यह कुल 2 पृष्ठों में है, जो जे.पी. सिंह dealing assistant थे। यह जे.पी के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है तथा अकाउंट ऑफिसर का भी हस्ताक्षर है, इसे पहचानता हूँ। मुझे याद नहीं है कि सीबीआई के समक्ष ऐसा बयान दिया था कि उस समय दिनाक 01.10.2000 से 31.03.2002 तक के अवधि में डीटीओ ऑफिस बिहार शरीफ काउंटर क्लर्क एवं इंचार्ज उमेश कुमार सिंह, चंद्र शेखर, राम बदन सिंह, इंद देव प्रसाद, रतन राम, अनिल कुमार सिन्हा, एन0के0 झा कार्यरत थे। यह विवरणी जे0 पी0 सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ। वो मेरे अधीनस्थ काम करते थे। इस में तिथिवार short credit का जिक्र है, जो कि ऊपरोक्त अवधि में किया गया था। मैंने सीबीआई के समक्ष ऐसा बयान दिया था, कि दिनांक 09.10.1997 से 11.06.1998 के अवधि । में 5,01,937 रूपये का दिनांक 25.06.1998 से 29.01.1999 में 5,52,621 रूपये का एवं दिनांक 12.02.1999 से 30.03.1999 के अवधि में 1,57,983 रूपये का short credit किया गया था, जो कुल मिलाकर 12,12,541 रूपये होता है। इसके लिये ऊपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेवार थे। ऐसा बयान मैंनें सीबीआई के समक्ष दिया था कि यह सूची डेली लिस्ट missing से सबंधित है, जो की वर्ष अक्टूबर, 2000 से मार्च, 2002 के अवधि तक का है। यह जे.पी. सिंह के लिखावट एव हस्ताक्षर में है। जिसमे जुनियर अकाउंट ऑफिसर का भी हस्ताक्षर है। ऐसा बयान मैंने सीबीआई के समक्ष दिया था कि यह सूची ENG-8 and ENG-9 missing से संबंधित है, जो की दिनांक 26.10.2000 से 30.03.2002 के अवधि तक का है। यह जेपी सिह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसमें जुनियर अकाउंट अफसर का भी हस्ताक्षर है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पैरा नंबर–28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एवं 35 में जो मैंने कहा है कि मैंने अनुसंधानकर्ता के समक्ष ऊपरोक्त पारा में दिया गया बयान मैंने नहीं दिया था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने घटना के लगभग 22 वर्षों के बाद पहली बार इस माननीय न्यायालय में पारा–36 में उद्धृत पारा से संबंधित बयान दिया हूं। पूर्व प्रदर्श–81, 82, 83, 84 को बनाने में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है। यह सभी रिपोर्ट मेरे सामने नहीं बना है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने मुख्य परीक्षा में जो भी बयान दिया है, वह सीबीआई के दबाव में दिया है।"

19. उभय पक्षों के साक्ष्य एवं विद्धवता–पूर्ण बहस सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण रामबदन सिंह, नवीन कुमार झा, उमेश कुमार सिंह, चंद्रशेखर एवं अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है।

20. भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) आपराधिक षडयंत्र के दंड का प्रावधान इस प्रकार करती है कि:–

(1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रुप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षडयंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा–201 **अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देने के बारे में बताती है।**

22. भारतीय दंड संहिता की धारा–409 की धारा लोकसेवक या बैंकर या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित करते हुए कहती है कि **जो कोई लोकसेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फेक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने करोबार के अनुकम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, यह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।**

23. भारतीय दंड संहिता की धारा–420 छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है और कहती है कि:– **जो कोई छल करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।**

24. भारतीय दंड संहिता की धारा–465 कूट रचना के लिए दंड का प्रावधान करते हुए कहती है कि **जो कोई कूट रचना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।**

25. भारतीय दंड संहिता की धारा–467 मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूटरचना के लिए दंड का प्रावधान करती है और कहती है कि:– **जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति या बिल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना य अन्तरण का, या उसपर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिये जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारण–पत्र या रसीद होना या किसी जंगम सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारण–पत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।**

26. भारतीय दंड संहिता की धारा–468 छल के प्रयोजन से कूटरचना के लिए दंड का प्रावधान करती है और कहती है कि:– **जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि (वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसकी कूटरचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जायेगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।**

27. भारतीय दंड संहिता की धारा–471 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए दंड का प्रावधान करती है और कहती है कि **जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है,कपट पूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लायेगा,वह उसी प्रकार दंडित किया जायेगा, मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूटरचना की हो।**

28. भारतीय दंड संहिता की धारा–477(ए) लेखा का मिथ्याकरण करने के लिए दंड का प्रावधान करती है और कहती है कि:–**जो कोई लिपिक, ऑफिसर या सेवक होते हुए या लिपिक,ऑफिसर या सेवक के नाते नियोजित होते या कार्य करते हुए किसी**

पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को, जो उसके नियोजक का हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी और से प्राप्त किया हो, जान बूझकर और कपट करने के आशय से नष्ट,परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत करेगा अथवा किसी ऐसी पुस्तक,इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में जानबूझकर और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा या उसमें से या उसमें किसी तात्विक विशिष्ट का लोप या परिवर्तन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।

29. भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा–13(2) लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार के लिए दंड का प्रावधान करती है तथा पी0सी0 एक्ट की धारा–13(1)(डी) कहती है कि :–**यदि वह (i) भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है या (ii) लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग करके अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ अभिप्राप्त करता है या (iii) ऐसे लोक सेवक के रूप में पद पर रहते हुए किसी लोक रूचि के बिना किसी व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ अभिप्राप्त करता है।**

30. ऊपरोक्त समस्त साक्ष्य को देखने, उभय पक्षों की विद्ववतापूर्ण बहस सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण रामबदन सिंह, नवीन कुमार झा, उमेश कुमार सिंह, चंद्रशेखर एवं अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है।

<u>घटनास्थल, शिकायत एवं प्राथमिकी के बिन्दु पर:–</u>

प्रस्तुत वाद का घटनास्थल टेलीग्राफ ऑफिस, बिहारशरीफ है तथा वाद की औपचारिक प्राथमिकी श्री जावेद इकबाल, डीजीएम, विजलेंस, सीजीएमटी, बीटीसी, पटना अभियोजन साक्षी सं0–7 के द्वारा दिनांक 18.10.2002 को आरक्षी अधीक्षक, सीबीआई, पटना को लिखित शिकायत के आधार पर इस वाद की औपचारिक प्राथमिकी दिनांक 21.10.2002 को 15.00 बजे दर्ज की गई, जिसे अभियोजन साक्षी सं0–04 ने प्रदर्श–62 साबित किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा शिकायत पत्र को प्रदर्श–62/1 साबित किया गया है।

<u>अभियुक्त का लोकसेवक होना एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश:–</u>

अभियोजन द्वारा इस वाद में जितने भी अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनके साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ऊपरोक्त पांचों अभियुक्तगण रामबदन सिंह, नवीन कुमार झा, उमेश कुमार सिंह, चंद्रशेखर एवं अनिल कुमार सिन्हा लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं। **पीसी एक्ट की धारा–2(ग) लोकसेवक को परिभाषित करते हुए कहती है, लोकसेवक से अभिप्रेत है कि:–**

(i) कोई भी व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रुप में पारिश्रमिक पाता है,
(ii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है,
(iii) कोई व्यक्ति जो किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त

किसी प्राधिकारण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है।

(iv) ———— (v) ———— (vi) ———— (vii) ————

(viii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत है या अपेक्षित है। इस प्रकार पीसी एक्ट की धारा—2(ग) की उपधारा 3 के अनुसार अभियुक्तगण रामबदन सिंह, नवीन कुमार झा, उमेश कुमार सिंह, चंद्रशेखर एवं अनिल कुमार सिन्हा भी तथाकथित घटना के समय लोकसेवक थे और इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश को अभियोजन साक्षी संख्या—01 श्री अर्जुन सिंह ने प्रदर्श—1 से 1/5 साबित किया है।

घटना का समय व घटना की रीतिः—

अभियोजन साक्षी संख्या—04 एच0 हेमरोम इस वाद के अनुसंधानक हैं तथा इन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि यह शिकायत बीएसएनएल के चार जगहों यथा बिहारशरीफ, राजगीर, नालंदा एवं पावापुरी के बीएसएनएल के सब्सकाईबर्स के द्वारा भुगतान किये गए राशि के डिफॉल्केशन से संबंधित है। ऊपरोक्त पांचों अभियुक्त टेलीग्राफ ऑफिस, बिहारशरीफ में कार्यरत थे। घटनास्थल को अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या—2 ने अपने साक्ष्य में यह बात स्पष्ट किया है कि उसने डीजीएम विजलेंस के आदेश पर विजय कुमार अकाउंट ऑफिसर को असिस्ट किया और इस कम में जांच करने व असिस्ट करने बिहारशरीफ टेलीग्राफ ऑफिस एवं पीजीएमटीडी कार्यालय, पटना गये। जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 01.04.99 से 30.09.2000 के बीच जितनी राशि का उल्लेख डेली लिस्ट में किया गया है, उतना पैसा बैंक में जमा नहीं किया गया था, बल्कि उक्त वर्णित राशि से कम पैसा बैंक में जमा किया गया, जिसका विस्तृत उल्लेख इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में ऊपर किया है। अभियोजन साक्षी सं0—2 ने अपने साक्ष्य के दौरान यह भी स्पष्ट किया है कि दिनांक 05.06.1999 की डेली लिस्ट संख्या—101 गायब है। इसके साथ ही इस साक्षी द्वारा अन्य डेली लिस्ट भी गायब होने का जिक अपने साक्ष्य के दौरान किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य अवलोकन से यह दर्शित होता है कि कई डेली लिस्ट गायब हैं तथा कई डेली लिस्ट का सीरियल फटा हुआ है। प्रदर्श—4 के अवलोकन से पता चलता है कि एनेक्सचर—सी का ईएनजी—9 गायब है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी बताया है कि संबंधित डेली लिस्टों पर आर0बी0 सिंह, चंद्रशेखर, आर0के0 प्रसाद, यू0के0 सिंह आदि का हस्ताक्षर है तथा ये सभी लोग डेली लिस्ट संबंधी फॉड के लिए जिम्मेदार हैं। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी बताया है कि तत्कालीन समय में आर0बी0 सिंह प्रभारी टेलीग्राफ मास्टर व प्रभारी डी0टी0ओ0, आर0के0 प्रसाद, चंद्रशेखर एवं उमेश कुमार सिंह काउंटर क्लर्क के पद पर थे। इसने प्रदर्श—2 में कुल 6,52,824 रुपया शॉर्ट पाया था। उस समय यह शॉर्ट केडिट काउंटर क्लर्क आर0के0 प्रसाद, चंद्रशेखर, यू0के0 सिंह, आर0के0एल0 दास के काउंटर के संबंध में पाया गया था। अभियुक्त चंद्रशेख एवं उमेश कुमार सिंह टी0एम0ओ0 के पद पर उस समय कार्यरत थे। घटना के समय प्रभारी अभियुक्त रामबदन सिंह थे। अभियोजन साक्षी संख्या—3 नवल किशोर ने अपने साक्ष्य में जांच प्रतिवेदन का उल्लेख किया है तथा इस साक्षी को डीजीएम, विजलेंस द्वारा दिनांक 01.10.1997 से 31.03.1999 तक के सारे केडिट को डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पूरे पांच वर्ष के जांच हेतु तीन टीमें बनी थी। जांचोंपरांत इनके द्वारा जांच प्रतिवेदन सौंपा गया था, जिसे प्रदर्श—6 साबित किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य में अभियुक्तगण काउंटर क्लर्क अनिल कुमार सिन्हा एवं चंद्रशेखर के कार्यावधि के डेली लिस्ट में भी शॉट केडिट पाई गयी थी, जिसका विस्तृत वर्णन इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के दौरान किया है। इस साक्षी ने अपने जांच के दौरान अभियुक्तगण काउंटर क्लर्क

चंद्रशेखर द्वारा 9,52,279 रुपये, अनिल कुमार सिन्हा द्वारा 1,25,752 रुपये, उमेश कुमार सिंह एवं अनिल कुमार सिन्हा द्वारा 8,483 रुपये, अनिल कुमार सिन्हा द्वारा 1,32,123 रुपये शॉर्ट केडिट पाया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या–3 ने प्रदर्श–58 को संदर्भित करते हुए बताया है कि अभियुक्त चंद्रशेखर के 54,118 रुपये BRADMA रसीद द्वारा प्राप्त किया तथा मात्र 4,118 रुपया ही तारघर प्रभारी को दिया, इस प्रकार अभियुक्त चंद्रशेखर ने उक्त राशि में से 50,000 रुपया अपने पास रख लिया। टेलीफोन विभाग में बकाया बिलों के भुगतान की प्रकिया है कि जब भी पक्षकार बिल की राशि काउंटर पर जमा करता है तो उसे जमा राशि की एक रसीद दी जाती है, जिसे ईएनजी–9 कहा जाता है। तारघर प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि वह ईएनजी–9 में वर्णित राशि को डेली लिस्ट से मिलान करके कैशबुक में प्रविष्ट करके चालान बनाकर उस राशि व चेक को बैंक में जमा कर दे। इस साक्षी के साक्ष्य अवलोकन से यह भी पता चलता है कि राशि शॉर्ट पाई गई। काउंटर पर पदस्थापित इन क्लर्कों ने पूरी राशि प्राप्त की और अपने कैशबुक में पूरी राशि को प्रविष्ट कर रामबदन सिंह को दिया, लेकिन ईएनजी–9 के अनुसार रामबदन सिंह ने संबंधित क्लर्क से प्राप्त उक्त तिथि पर रेमिटेंस को कम किया। इस साक्षी ने तिथिवार शॉर्ट रेमिटेंस का उल्लेख अपने साक्ष्य में किया है और बताया है कि दिनांक 01.10.1997 से 31.03.1999 के बीच डीटीओ बिहारशरीफ अनिल कुमार सिन्हा कार्यरत थे। इस साक्षी ने कुल 20 महीने का ऑडिट किया था। अभियोजन साक्षी संख्या–4 एच0 हेमरोम इस वाद के अनुसंधानक हैं। इन्होंने घटनास्थल और जीईक्यूडी रिपोर्ट को साबित किया है। इस साक्षी ने जून, 1997 से मार्च, 2002 तक की अवधि के डिफॉल्केशन कैलकुलेशन रजिस्टर को साबित किया है, जिसमें अभियुक्तों द्वारा गबन की गई राशि की विवरणी अंकित है। इस साक्षी ने कुल 4 बीएसएनएल बिहार शरीफ के उप. स्थिति रजिस्टर है जो जनवरी 2000 से सितंबर 2001, जनवरी 1998 से दिसंबर 1999, मार्च 1998 से जुलाई 2000 एवं अगस्त 2000 से सितंबर 2003 तक के हैं, जिनमें अभियुक्तों के बीएसएनएल बिहार शरीफ में पदस्थापन का उपस्थिति का विवरण अंकित है। जिसमें सभी अभियुक्तों राम बदन सिंह, वी.के सिंह, आर. के. एल. दास, चंद्र शेखर, ए.के. सिन्हा, एन.के. झा, बी.के. प्रसाद और इंद्र देव प्रसाद के पदस्थापन एवं उप. स्थिति का विवरण अंकित है, का भी उल्लेख अपने साक्ष्य में किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–4 ने अपने साक्ष्य में यह भी बताया है कि वास्तविक बिल की राशि बैंक में जमा नहीं की जाती थी और कम राशि बैंक में जमा की जाती थी, शेष राशियों का राम बदन सिंह, उमेश कुमार सिंह, चंद्र शेखर एवं अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा गबन कर लिया जाता था, जिससे बीएसएनएल को आर्थिक नुकसान होता था और अभियुक्तों को आर्थिक लाभ होता था। अभियोजन साक्षी सं0–5 पंकज कुमार ने अपने साक्ष्य के दौरान बताया है कि इनके सामने स्पेसीमेन सिग्नेचर लिये गये थे। पीडब्लू–6 विजय कुमार ने अपने साक्ष्य के दौरान बताया कि इन्होंने घोटाले की जांच की थी। इस साक्षी ने घोटाला संबंधी संप. ूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस घटना के समय काउंटर क्लर्क आर0के0 प्रसाद, चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह, आर0 के0 एल0 दास बिल काउंटर पर विभागीय रा. जस्व का संग्रह करते थे और रामबदन सिंह बीएसएनएल, बिहारशरीफ में इंचार्ज थे। श्री रामबदन सिंह तारघर के इंचार्ज थे और विभागीय नियमानुसार डीटीओ इंजार्च पूर्ण रूप से रकम जमा करने के लिए जिम्मेदार थे, उनके द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरतकर सरकारी राजस्व का गबन किया गया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में इस बात का उल्लेख भी किया है कि उसने अभियुक्त नवीन कुमार खिलाफ के विरुद्ध कोई जांच किया था, क्योंकि वे रसीद काटने में सम्मिलित नहीं थे। पीडब्लू–7 जावेद इकबाल इस वाद के शिकायतकर्ता हैं और इन्होंने अपने साक्ष्य में तथाकथित घटना का समर्थन किया है। इनके सामने स्पेसीमेन सिग्नेचर लिया गया है। पीडब्लू–8 अभय सुंदर ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 15.05.1998 से 30.03.1999 तक बीएसएनएल बिहारशरीफ में डीटीओ ऑफिस में कार्यरत अनिल कुमार सिन्हा, चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह, इंद्रदेव एवं

डीटीओ इंचार्ज रामबदन सिंह के द्वारा कुल 12,12,541 रूपये का शॉर्ट क्रेडिट बैंक में जमा किया गया था। वास्तविक बिल की राशि बैंक में जमा नहीं की जाती थी और कम राशि बैंक में जमा की जाती थी, शेष राशियों का राम बदन सिंह, उमेश कुमार सिंह, चंद्र शेखर, अनिल कुमार सिन्हा, इंद्र देव प्रसाद के द्वारा गबन कर लिया जाता था। जिससे बीएसएनएल को आर्थिक नुकसान होता था और अभियुक्तों को आर्थिक लाभ होता था। इस शॉर्ट क्रेडिट को साक्षी ने प्रदर्श–81 साबित किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में शॉट क्रेडिट और मिसिंग डेली लिस्ट का उल्लेख किया है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य, दस्तावेज एवं उभय पक्षों के बहस के विवेचना. परांत यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण रामबदन सिंह, चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह एवं अनिल कुमार सिन्हा ने मिलकर आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होकर डेली लिस्ट को गायब किया और कई सीरियल नंबर भी कटे–फटे पाये गए अर्थात् इस दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके साथ ही इन्होंने बीएसएनएल सब्सकाईबर्स से प्राप्त शुल्क की राशि व चेक की राशि में शॉर्ट क्रेडिट कर बीएसएनएल को प्राप्त पैसे से कम धन. राशि बैंक में जमा कराया, जिससे बीएसएनएल को अर्थिक हानि और अभियुक्तगण को सदोष अर्थिक लाभ हुआ।

ऊपरोक्त साक्ष्य जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त नवीन कुमार झा काउंटर क्लर्क नहीं थे और इस अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अभियोग के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त नवीन कुमार झा के विरुद्ध भा0. दं0सं0 की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है तथा अभियुक्त नवीन कुमार झा पर्याप्त ठोस साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होने योग्य हैं और इन्हें ऊपरोक्त धाराओं में आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त रामबदन सिंह डीटीओ थे तथा अभियुक्तगण चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह व अनिल कुमार सिन्हा काउंटर क्लर्क थे। इनके कार्यावधि में सब्सकाईबर द्वारा जमा की गई राशियों में शॉर्ट क्रेडिट किया जाता था और कुछ डेली लिस्ट भी गायब पाये गए हैं व सीरियल नंबर भी कटा–फटा पाया गया है। इससे दर्शित होता है कि इनके द्वारा साक्ष्य मिटाने का काम भी किया गया है। चूकि इन अभियुक्तों के कृत्य से बीएसएनएल को आर्थिक नुकसान कारित हुआ है तथा इसके लिए इन चारों अभियुक्तो ने आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर वाद की घटना को अंजाम दिया है। जब बीएसएनएल के सब्सकाईबर्स द्वारा भुगतान की गई राशि, जैसा की डेली लिस्ट में वर्णित है, उससे कम राशि बैंक में जमा कराई गई तो ऐसी स्थिति में यह साबित करने भार का बचाव पक्ष पर है कि उक्त शॉर्ट क्रेडिट नहीं हुई है तथा बीएसएनएल को इस मामले में कोई वित्तीय हानि उक्त अभियुक्तों द्वारा कारित नहीं की गई है, जिसे बचाव पक्ष साबित करने में असफल रहा है।

अतः उक्त विवेचन की सीमा तक अभियुक्तगण रामबदन सिंह, चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह व अनिल कुमार सिन्हा के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के अंतर्गत गठित आरोप को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में सफल रहा है।

न्यायाधीश सी. बी. आई. 1 बिहार पटना

आदेश

अतः न्यायालय अभियुक्त नवीन कुमार झा को भा0दं0सं0 की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के आरोप से दोषमुक्त करती है और अभियुक्तगण रामबदन सिंह, चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह व अनिल कुमार सिन्हा को भा0दं0सं0 की धारा–120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) में दोषी पाती है और इसके अपराध में दोषसिद्ध करती है तथा ऊपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्तगण के जमानत संबंधी बंधक–पत्र रद्द करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

विशेष न्यायाधीश,सी0बी0आई0–प्रथम,
पटना।

(अविनाश कुमार),
विशेष न्यायाधीश,सी0बी0आई0–प्रथम,
पटना।

सजा के बिन्दु पर सुनवाई

बाद में:–

18–02–2026 दोष सिद्ध ऊपरोक्त अभियुक्तगण रामबदन सिंह, चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह व अनिल कुमार सिन्हा के सजा के विन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख द्वितीय पाली में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। सजा के विन्दु पर सुनवाई के समय दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक, सी0बी0आई0 न्यायालय में उपस्थित हुए। दोष सिद्ध ऊपरोक्त अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त–गण का यह प्रथम अपराध है और उनके विरूद्ध पूर्व दोष सिद्धि का कोई प्रमाण अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है। अभियुक्त–गण वरिष्ठ नागरिक हैं और वर्ष 2002 से ही प्रस्तुत वाद में विचारण का सामना कर रहे हैं और अभियुक्तगण बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं, अतः अभियुक्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोष सिद्ध धाराओं में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम दंड से दंडित किया जाय।

दूसरी ओर लोक अभियोजक, सी0बी0आई0 द्वारा सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा लोकसेवक होते हुए भ्रष्टाचारयुक्त आचरण किया गया, जो कि जघन्य अपराध है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को जिन–जिन धाराओं में दोषी पाया गया है, उनमें समुचित दंड से दंड़ित किया जाय।

दोष सिद्ध अभियुक्तगण के सजा के विन्दु पर उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दोष सिद्ध अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है और उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण वृद्ध व्यक्ति है।

अतः अभियुक्तगण की उम्र एवं वाद की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामबदन सिंह, चंद्रशेखर, उमेश कुमार सिंह व अनिल कुमार सिन्हा को 120(बी) सहपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी), पुनः भा0दं0सं0 की धारा–420,

409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के आरोप में दोषी पाते हुए भा0दं0सं0 की धारा–201 के अंतर्गत अपराध हेतु एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, 409 में तीन वर्ष सश्रम कारवास व 50 रुपये अर्थदंड की, 420 में अपराध हेतु तीन वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये, 467 में अपराध हेतु तीन वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड, 468 में अपराध हेतु तीन वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड, 471 में अपराध हेतु तीन वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड, 477(ए) में अपराध हेतु तीन वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) में अपराध हेतु दो वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा दी जाती है, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर प्रत्येक धारा में एक–एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी जाती है। चूंकि मूल धाराओं के अपराध हेतु उपरोक्त अभियुक्तों को समुचित दंड से दंडित किया जा चुका है, इसलिए पुनः 120(बी), 420, 409, 467, 468, 471, 477(ए) एवं पीसी एक्ट की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी) के अंतर्गत अपराध हेतु अलग से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी तथा उक्त अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में कारा में बितायी गई अवधि को दी गई इस सजा में से समायोजित किया जायेगा।

ऊपरोक्त अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि नहीं दिये जाने पर अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने से अर्थदंड की राशि का समायोजन नहीं माना जाएगा। अर्थदंड की राशि नियमानुसार उसकी संपत्ति से वसूल की जाएगी।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

18/02/2026

विशेष न्यायाधीश,सी.बी.आई–प्रथम,
पटना।

अविनाश कुमार 18/02/2026
(अविनाश कुमार)
विशेष न्यायाधीश,सी.बी.आई.–प्रथम,
पटना।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/02/2026
(अविनाश कुमार),
विशेष न्यायाधीश,सी.बी.आई.–प्रथम,
पटना।